Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 22वां दिवस [संख्या 17

सोमवार

29 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्नोत्तर

(नियुक्ति, विद्युत्, अकाल सहायता, चुनाव, पंचायत, वक्फ, चिकित्सा, सिंचाई, गृह; शिक्षा, श्रम, नगर विकास, समाज कल्याण, यातायात, स्वायत्त शासन, उद्योग, सहकारिता, विधि, आयुर्वेद–विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक'!

(अनुपस्थित)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण

श्री हरिकिशन : साथ में मेरा भी है।

450. क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए नियुक्तियों/पदोन्नतियों में क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत आरक्षण कर 40 पाइन्ट रोस्टर निश्चित किया है? यदि हां, तो दोनों आदेशों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्मिक (क–5) विभाग के पत्र संख्या एफ. 15 (24) डी.ओ.पी. (क–5)/75 दिनांक 15 दिसम्बर, 75 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों (जिलाधीशों को सम्मिलित करते हुए) एवं कुछ अन्य विभागों को भी निर्देश दिये हैं कि नियुक्तियों पदोन्नतियों के बारे में त्रैमासिक विवरण कार्मिक विभाग को मय प्रमाण-पत्र के भिजवाये जावें?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार के सभी विभागों, अधीनस्थ/कार्यालयों/स्वायत्त सेवी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों आदि सभी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नियुक्तियों/पदोन्नतियों में आरक्षण व रोस्टर पंजिका तैयार करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं?

(4) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा यह आवश्यक नहीं समझा गया कि आरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण

Page No 2

(श्री हरि किशन)
आदेशों/नियमों, संशोधित आदेश-पत्रों को राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान हाई कोर्ट/राजस्थान विधान सभा सहित सभी विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त सेवी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों को जारी किया जावे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

श्री हरिकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आदेशों की प्रतियां नहीं मिली हैं इसलिए पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकूंगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने तो भेज दी हैं। शायद आपको प्राप्त हो गयी होंगी।

(2) जी हां। कार्मिक (क–5) विभाग के पत्र संख्या प.15(24)कार्मिक(क–5)/75 दिनांक 15–12–75 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों (जिलाधीशों सहित) को त्रैमासिक प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(3) सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किये गये हैं। स्वायत्त सेवी संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों में आरक्षण कराने हेतु उनसे विचार किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। कार्मिक विभाग यह आवश्यक समझता है कि आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश एवं नियम आदि राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान विधान सभा/राजस्थान हाई कोर्ट/स्वायत्त सेवी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों द्वारा भी लागू किए जायें परन्तु इस प्रकार के आदेश जारी करने से पहले संविधान एवं अन्य संबंधित एक्ट व प्रावधानों के अनुसार इन संस्थाओं/विभागों के अध्यक्षों/विभागाध्यक्षों से विचार विमर्श जरूरी है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरिकिशन : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह रिटर्न्स, सर्टीफिकेट आदि भेजने की तारीख 15 जनवरी है। उस समय तक कितने विभागाध्यक्षों ने रिटर्न्स और सर्टीफिकेट्स भेजे हैं और कितनों ने नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह बात सही है कि सभी विभागाध्यक्षों से त्रैमासिक विवरण हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जिन विभागाध्यक्षों से यह विवरण प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनका हमने एक्सप्लेनेशन पूछा है और उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद ही उस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिकिशन : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह स्वयं सेवी संस्थायें जैसे आर. एस. ई. बी., स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन आदि हैं, इनमें हजारों की भर्ती की जा रही है तो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं आदेशों की पालना करवाई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा प्रश्न के भाग (4) में कहा है, राज्य सरकार इसको आवश्यक समझती है लेकिन उस संबंध में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार इन कार्पोरेशनों को डाइरैक्टिव्स देने में सक्षम है और कार्पोरेशन के एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि अगर सरकार कोई डाइरैक्टिव देती है तो उसकी पालना कार्पोरेशन करेगा? आपके डाइरैक्शन देने के बाद भी क्या उन्होंने उनकी पालना नहीं की? और अगर ऐसा है तो आप क्या एक्शन उनके खिलाफ लेने जा रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह नयी ही कार्यवाही है। इसके इम्पलीमेंट होने में कुछ समय लगेगा।

प्रश्न संख्या 451

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हनुमान सहाय व्यास !

ग्राम बाघावास में अतिवृष्टि से क्षति

452. श्री हनुमान सहाय व्यास (बेराठ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि अति-वृष्टि के कारण ग्राम बाघावास चौरासी का बांध टूट जाने से ग्राम जवानपुरा (बेराठ) के खेत एवं कुए नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं? यदि हां, तो क्षति प्राप्त बांध की मरम्मत के लिए क्या राहत कार्य प्रारम्भ किये गये अथवा नहीं?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन-जिन व्यक्तियों के कुए, कृषि भूमि, मकानात आदि को क्षति हुई है उन्हें सरकार द्वारा राहत दी गई है? यदि हां, तो क्या क्या राहत दी गई? यदि नहीं दी गई, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बरसात से पूर्व इस बांध की पुनः मरम्मत करा सकेगी अथवा नहीं?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां, सन् 1976 की बरसात में अति वृष्टि के कारण ग्राम बाघावास चौरासी का तालाब टूट जाने से पानी के बहाव के साथ खेतों एवं कुओं में नुकसान हुआ है। क्षतिग्रस्त तालाब की मरम्मत के लिए राहत कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) बांध पंचायत समिति का होने से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित पंचायत समिति द्वारा ही की जा सकती है।

श्री हनुमान सहाय व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति में कोई बजट का प्रावधान नहीं है। यह बांध 1966–67 में बांधा था और इसके टूटने से हर वर्ष आपकी नेशनल हाई वे, जयपुर–दिल्ली, अलवर वाली सड़क टूटती

Page No 4

(4)

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

है। इस बांध की मरम्मत हो जाने से वह सड़क नहीं टूटेगी। इस वर्ष दोनों सड़कों पर इसके कारण 1।। लाख रुपये का नुकसान पी. डब्लू. डी. को हुआ है। इसके लिए 15 हजार रुपये की आवश्यकता है। बांध पूरा नहीं टूटा है। पानी के निकास वेस्टवेयर की मरम्मत करनी है और उसमें 15 हजार रुपये का खर्चा है। मैं जानना चाहूंगा कि जो बाढ़ सहायता के कार्यों के लिए पैसा मिला है उसमें से क्या 15 हजार सेंक्शन करके इसको करवायेंगे ताकि भविष्य में सड़क का नुकसान नहीं हो?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस वर्ष जो भारत सरकार से बाढ़ से क्षति ग्रस्त कार्यों के लिए धन राशि प्राप्त हुई थी उसके अन्तर्गत इसको लिया जाना सम्भव नहीं था इसलिए इसको अभी नहीं लिया गया।

श्री हनुमान सहाय व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि यदि इसकी स्वीकृति हमको राज्य सरकार दे दे तो हम यह बांध बनवा सकते हैं। वह इसको आवश्यक समझते हैं कि इसकी रिपेयर होना जरूरी है। यदि इसी तरह की बरसात आई तो गांवों को भी नुकसान होगा और सड़कों को भी नुकसान होगा। तो क्या राज्य सरकार पुनः विचार करेगी कि पैसे का कहीं से भी इन्तजाम करके इस बांध की मरम्मत कराई जाये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह प्रश्न एक ही पंचायत समिति के टूटे हुए बांध से संबंधित नहीं है। अगर राज्य सरकार इस तरह से क बांध की रिपेयर करने का निर्णय लेती है तो राजस्थान में कई जिलों के इस प्रकार के क्षति ग्रस्त कार्य हैं और उनके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उसको अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार नहीं करा सकेगी। इसलिए यह कहना आज के दिन सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री भगराज चौधरी !

जामा मस्जिद जालोर का प्रबन्ध

453. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर की जामा मस्जिद के इन्तजाम हेतु एक कमेटी का गठन किया हुआ है जिसमें ऐसे व्यक्ति सदस्य बनाये गये हैं जो देहात के निवासी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कमेटी को भंग कर उसको पुनर्गठित करने हेतु वहां के नागरिकों ने दरख्वास्तें राज्य सरकार को दे रखी हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री फारुक हसन) : (1) जी हां, इस कमेटी के कुछ सदस्य जालोर के पास देहात के निवासी हैं।

(2) अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड को इस मामले को बोर्ड की मीटिंग में विचारार्थ लाने के अव्वल निर्देश दे दिये गये। इसके अतिरिक्त एक और दूसरे प्रार्थना-पत्र पर वक्फ बोर्ड से कमेन्ट्स मांगे गये हैं जो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जालोर नगर के निवासियों ने इस बोर्ड को भंग करके दूसरे वक्फ बोर्ड को बनाने के लिए निवेदन किया था, उसको दिये कितना अर्सा हो गया और अभी तक उस पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री फारूक हसन : पहला प्रार्थना-पत्र 26-12-75 को दिया गया था । उस को वक्फ बोर्ड की मीटिंग में विचारार्थ रखने के आदेश दे दिये गये हैं। जब रखा गया तो वक्फ बोर्ड की कार्यवाही, मीटिंग स्थगित हो गई। अब ऐसा लिखा आया है कि जो मीटिंग अप्रेल के महीने में हो रही है उसमें विचारार्थ लिया जायेगा। जो प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन है उस पर कमेन्ट्स मांगे थे। वह अभी अभी उपलब्ध हुआ है। उस पर अभी विचार चल रहा है और शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब बोर्ड ने यहां की कमेटी गठित की और राज्य सरकार से निवेदन किया गया था तो क्या राज्य सरकार अपने को सक्षम नहीं समझती कि बोर्ड ने जो कार्यवाही है उससे जनता सन्तुष्ट नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड की बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेन्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और फिर से कमेटी का गठन करे ?

श्री फारूक हसन : मेरे खयाल से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसका गठन अनुचित हुआ है जब कि किसी भी बेनीफिशियरी को कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है। अब यह देखना होगा कि जो कमेटी के मेम्बर्स हैं वह बेनीफिशियरीज हैं या नहीं। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड द्वारा गठन गलत हुआ है। उसके पहले नहीं कहा जा सकता कि गठन गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री राजेन्द्र सिंह !

पंचायतों के चुनाव

454. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच के कितने स्थान रिक्त हैं और सरकार इनको चुनाव द्वारा कब तक भर देगी ?

(2) पंचायतों के चुनाव राज्य सरकार कब तक कराने का विचार रखती है ?

चुनाव मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) 31-12-75 तक रिक्त स्थानों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिन संस्थाओं में प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रधान व उप-प्रधान अथवा सरपंच व उप-सरपंच दोनों स्थान रिक्त होने के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था वहां उप चुनाव द्वारा उप प्रमुख, उप-प्रधान व उप-सरपंच के पद अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भर दिये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जहां ऐसी स्थिति थी वहां उप-सरपंचों व उप-प्रधानों के उप-चुनाव सम्पन्न करा दिये गये हैं।

(श्री खेतसिंह)

(2) पंचायतों के चुनाव अवधि समाप्त होने से पूर्व यथासंभव सम्पन्न करा दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास !

पंचायत समिति मालपुरा के प्रधान के विरुद्ध जांच

455. श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मालपुरा के प्रधान द्वारा गत कई वर्षों से पंचायत समिति के क्वार्टर को अपने निजी उपयोग में बिना किराया दिये जाने का आरोप है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरोप की जांच भी हो चुकी है व यह आरोप प्रमाणित भी हो चुका है ?

(3) यदि हां, तो अब विभाग इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। उक्त आरोप की जांच जिलाधीश, टोंक द्वारा की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(3) जांच का परिणाम आने पर ही आगे कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : क्या यह सही है कि चीफ अकाउण्ट्स आफिसर ने इस मामले में मालरैडी जांच की है, वहां पर सरपंच के स्टेटमेंट रिकार्ड किए हैं और पंचायत समिति के एम्पलाईज के स्टेटमेंट रिकार्ड किए हैं ? क्या यह भी सही है कि आडिट आब्जेक्शन आठ वर्ष से लगातार बाकी बता रहा है और रिकवरी के आदेश आपके यहां से हो गए ? चीफ अकाउण्ट्स आफिसर ने फिर इंक्वायरी की और रिपोर्ट दे दी कि इनसे यह रुपया फौरन रिकवर किया जावे ? आपने दुबारा जांच का आदेश दे दिया, यह किस कारण से दिया ? जो चीफ अकाउण्ट्स आफिसर ने रिपोर्ट की उसको किस आधार पर चैलेंज किया है और आपने किस आधार पर उसको गलत माना है, किस आधार पर दुबारा जांच के आदेश दिए गए हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधान, पंचायत समिति, मालपुरा के खिलाफ 72–73 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 10, 584) रु. मकान किराये के रूप में वसूल करना निकाला गया। इसकी वसूली की कार्यवाही की गई तब प्रधान ने इस बात का खण्डन किया कि उन्होंने पंचायत समिति के भवन का प्रयोग किया है। तो इस मामले को जिलाधीश टोंक के पास भेजा गया और जिलाधीश टोंक के पास से समय पर रिपोर्ट नहीं आने के कारण सीनियर अकाउण्ट्स आफिसर को भेजा गया। यह सही है कि सीनियर अकाउण्ट्स आफिसर ने जांच की और जो 10,584) रु. की वसूली निकाली उसके लिए यह माना कि यह भवन का उप-

(श्री रामनारायण चौधरी)
योग प्रधान के द्वारा किया गया है जिसका मुनासिब किराया लिया जावे। वह किराया तय करने के लिए प्रधान को नोटिस दिया गया तो प्रधान ने कहा यह बात गलत है कि मैं इस भवन का निजी उपयोग कर रहा हूं। सन् 65 से गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग होता आया है। उसमें पंचायत समिति के दूसरे सरपंच, उप सरपंच ठहरते रहे हैं और मैं भी ठहरता रहा हूं। मैंने निजी रूप में कभी प्रयोग नहीं किया। यह जांच का विषय है जो मेरे रूबरू होनी चाहिए और तब तक वसूली की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार ने प्रधान को सुना, वी. डी. ओ. को भी सुना और इस बात का आदेश दिया कि प्रधान और बी. डी. ओ. की मौजूदगी के अन्दर इस मामले की जिलाधीश जांच करें और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दें। यह जांच के आदेश 16–12–75 को दिए गए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या यह सही है कि सारे वक्तव्य से यह सिद्ध हो गया है कि प्रधान ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है? एक वर्ष से ही नहीं अनेक वर्षों से उस पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, क्या यह भी सही है? यह सिद्ध हो गया है कि रिक्वरी भी निकलती है। फिर कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि उस प्रधान के प्रति इतना सोफ्ट कार्नर क्यों है? इस सदन में उसके वक्तव्य को ही पढ़ कर उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है। मेरा सवाल यह है कि 18 सरपंचों ने लिखकर दिया है कि इसके अन्दर कभी कोई नहीं ठहरा। इसके अलावा चीफ अकाउन्ट्स आफिसर ने पंचों के, सरपंचों के, पंचायत समिति के एम्पलाईज के स्टेटमेंट रिकार्ड किए हैं और स्वयं बी.डी.ओ. के स्टेटमेंट रिकार्ड किए हैं। बाद में जो दूसरे बी.डी.ओ. आये श्री श्रीवास्तव वह प्रधान से मिल कर आपके पास आये। उस बी.डी.ओ. को यह आश्वासन दिया गया कि तेरा प्रमोशन करवा देंगे, तेरा कन्फर्मेशन करवा देंगे लेकिन उसने भी आपके पास आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो बी.डी.ओ. पहले था उसने स्टेटमेंट दिया है सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर के सामने कि यह प्रधान खुद रहता आ रहा है और आपने जबरदस्ती फाइल में लिख दिया। मैं कहता हूं कि आप फाइल सदन में रखिए। आपने जबरदस्ती लिख लिया कि बी.डी.ओ. सहमत है कि प्रधान वहां नहीं रहता। उसके आधार पर दुबारा जांच के आदेश देना मामले को ढिले करना है।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं। क्या गेस्ट हाउस का किराया वसूल किया गया है पंचायत समिति की तरफ से? इसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने मेरे उत्तर के अन्दर पूर्णतया स्पष्ट किया है। जहां तक प्रधान के द्वारा इस भवन का निजी उपयोग करने का प्रश्न है, प्रधान के द्वारा निजी रूप से इसका उपयोग करना प्रमाणित हुआ हो····

Page No 8

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर की रिपोर्ट है कि वह निजी प्रयोग में लेता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेरी भी सुनेंगे या अपनी ही बात कहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप रिपोर्ट देख कर बताइये कि सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर ने अपनी रिपोर्ट में एरियर्स निकाले हैं या नहीं? फिर आप प्रधान के वर्सन को सदन के अन्दर दोहरायें और रिकार्ड को सदन में प्रस्तुत करें, चीफ अकाउन्ट्स आफिसर की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें। जो रिकवरी निकाली है उसको वसूल नहीं करें और प्रधान के स्टेटमेंट को ही यहां पर दोहराते जायं तो क्यों माननीय मंत्रीजी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य, एक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को प्रोटेक्शन देते हैं तो क्या बुराई है? आप स्वयं मानेंगे कि गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि केवल सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर की बात मान ले और प्रधान को सुने ही नहीं। अगर यह सदन की राय है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को फिजो र नहीं किया जावे और केवल अकाउन्ट्स आफिसर की बात ही मान ली जाय तो यह एक अजीब सी स्थिति होगी। जब माननीय मंत्रीजी ने यह देखा कि प्रधान ने एक प्रकार का वर्सन दिया है तो उन्होंने इन्क्वायरी करने के लिए कहा है, इसको ड्राप नहीं किया है। इस से माननीय सदस्य को संतोष करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : एक करप्ट रिप्रेजेन्टेटिव को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। उसको सुना गया है और सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर ने मौका दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय मंत्रीजी ने यही किया है कि इसको प्रमाणित करे....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर की रिपोर्ट को किस आधार पर चैलेंज किया गया है? इसको मेलाफाइड माना है या प्रिजुडिस्ड माना है तो किस आधार पर?

श्री हरिदेव जोशी : मेलाफाइड का प्रश्न नहीं है। उसने यह कहा है कि इसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया गया है....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : यह तो जांच के समय भी कहा था। इन्क्वायरी करके रिपोर्ट कर दी गई है सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर के द्वारा। पहले इसकी जांच हो चुकी है और उन्होंने यह कहा है कि इसका पैसा चार्ज करें। इसकी री-इन्क्वायरी कराने का आधार क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट काम्पीटेन्ट है, उसको यह महसूस हो कि कोई वर्सन इन्क्वायरी में नहीं आया है तो गवर्नमेंट उसको इन्क्वायरी करा ले।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आप कितनी दफा री-इन्क्वायरी कराते जायेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक संतोष की स्थिति न हो जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : या जब तक वह प्रधान रहे रिकवरी न हो, यह मकसद है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब काम्पीटेंट आफिसर ने इन्क्वायरी कर ली, सबके स्टेटमेंट रिकार्ड कर लिए तो फिर दुबारा इन्क्वायरी की पोजीशन कैसे री-जनरेट होती है ? उसके टर्म्स आफ रैफरेंस क्या हैं ? जब एक बार मेटर डिसाइड हो गया तो क्या री-इन्क्वायरी कराना टालने की स्थिति पैदा नहीं करता ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो डायवर्स ओपिनियन होगी कि····

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सीनियर अकाउण्ट्स आफिसर ने यह जाहिर किया है अपनी रिपोर्ट में कि जब मैं इन्क्वायरी करने पहुंचा तो प्रधान ने अपने नौकरों से कहा कि मेरा सामान दूसरे गोदाम में छिपा दो। जब इन्क्वायरी आफिसर ने पूछा कि प्रधानजी का सामान कहां है तो नौकरों ने कहा कि प्रधानजी का सामान अभी अभी गोदाम में रखवाया है। ऐसी स्थिति में भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यह सही है कि वह प्रधान, माननीय मन्त्रीजी, आपका जान पहचान का आदमी है और आपका उसके प्रति सोफ्ट कोर्नर है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा कोई सोफ्ट कोर्नर नहीं है···

श्री हरिदेव जोशी : फेक्चुअल पोजीशन क्या बनती है इसको समझने की जरूरत है और वह यह है कि वहां के आफिसर ने एक रिपोर्ट दी और सीनियर अकाउण्ट्स आफिसर ने एक प्रकार की रिपोर्ट दी···

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : क्या उसको चेलेंज किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके सुनिए। इतने उत्तेजित क्यों होते हैं ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उत्तेजना का विषय है।

श्री हरिदेव जोशी : कतई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : चीफ अकाउण्ट्स आफिसर ने एक प्रकार की रिपोर्ट दी। उसके पहले आडिट ने दस हजार रुपये बकाया निकाल दिए और दूसरे आफिसर ने कह दिया कि इतना रुपया नहीं होना चाहिए। अगर आडिट की बात सही मान लें तो दस हजार रुपया बकाया निकाल दिया उसको वसूल कर लेना चाहिए था लेकिन उसको उसने चेलेंज किया और दूसरे आफिसर ने माना कि हां, यह सही है कि इतना रुपया नहीं निकलता। इसके अलावा भी एक बात बहुत साफ है कि प्रधान अगर दूसरे गांव का रहने वाला है और पंचायत समिति के काम से आता है तो वह कहां ठहरेगा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : वहां नहीं ठहरते। यह 18 सरपंचों ने लिख कर एप्लीकेशन दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि···

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी कह रहा हूं, आपको सुनना चाहिए। प्रधान जो है वह अगर यह कहता है कि वह गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग किया जाता है तो उनके वर्सन से फुल्ली गवर्नमेंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाय, तब तक वर्सन ही ट्रीट किया जावे, मैं भी इस बात से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दो सप्लीमेंट्री और हैं। प्रश्न यह है कि आप क्या इस बात को निष्पक्ष मानते हैं? यह ठीक है कि गवर्नमेन्ट उसके वर्सन के आधार पर इन्क्वायरी करा कर सेटिस्फाई हो जावे। उसने कहा कि इस भवन को गेस्ट हाउस के रूप में काम में लिया जाता है, इस मामले की जांच हो गई, सीनियर अकाउण्ट्स आफिसर ने रिपोर्ट दे दी। उसके ऊपर री-इन्क्वायरी अभी हो सकती है बशर्ते कि प्रधान उसके वर्सन को चैलेंज करे। क्या प्रधान ने यह कहा कि यह इन्क्वायरी रिपोर्ट मेलाफाइडी है, प्रिज्युड है, यह मोटिव इम्पूट किये हैं? कोई आधार तो होना चाहिए री-इन्क्वायरी का। कोर्ट के अन्दर भी अपील करते हैं तो ग्राउन्ड आफ अपील होते हैं कि इस आधार पर यह गलत है। यह इन्क्वायरी आप किस आधार पर करना चाहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को प्रोटेक्शन आप देना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक कि गवर्नमेन्ट कन्विन्स नहीं हो जाती है—गवर्नमेन्ट इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को प्रोटेक्शन देती है तो कोई बुरा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कब तक नहीं होगी।····

श्री हरिदेव जोशी : कलेक्टर की रिपोर्ट को हम फाइनल समझेंगे···

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : मैं नम्रतापूर्वक यह यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री हरिदेव जोशी : पोलिटिक्स में एक प्रधान और एक एम. एल. ए. में झगड़ा हो सकता है, पोलिटिक्स में एक प्रधान और एक प्रमुख के बीच में झगड़ा हो सकता है, पोलिटिक्स में एम.एल.ए. और एम.एल.ए. के बीच में झगड़ा हो सकता है। इसमें गवर्नमेन्ट की ओर से किसी एक पार्टी को प्रोटेक्ट किया जाय, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि एक अकाउन्ट्स आफिसर द्वारा दस हजार रुपया निकाल दिया गया और दूसरे अकाउन्ट्स आफिसर ने उससे कम निकाला है परन्तु इससे प्राइमा-फेसी केस तो बन गया। केस एस्टेब्लिश हो गया है और आपके स्टेटमेन्ट से भी हो गया है कि प्रधान ने मिसयूज किया है। एक ब्यूरोक्रेट की बात मानें या दूसरे ब्यूरोक्रेट की सुप्रीमेसी मानें? यह क्वेश्चन तो ब्यूरोक्रेट की सुप्रीमेसी का है परन्तु प्राइमा-फेसी तो केस प्रूव्ड है। इसमें सरकार प्रधान के साथ रियायत कर रही है। एक अफसर ने जो रिपोर्ट दी है और दूसरे अफसर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सिर्फ अमाउन्ट का ही फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : जो स्टेटमेन्ट माननीय मंत्रीजी ने दिया है कि उसके कथन से गवर्नमेन्ट सेटिस्फाई नहीं हुई है और जब तक गवर्नमेन्ट सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेन्ट का उस केस के अन्दर प्रोसीड करना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । ग्रार्डर प्लीज ।

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को सुन लीजिये । मैं स्पष्ट कर देता हूं । एक पंचायत समिति में 40 सरपंच हैं और उनमें से 18 सरपंच अपोजीशन के हैं और 22 कांग्रेस के हैं ये 18 सरपंच मिल कर वहां के प्रधान को मेलाइन करने की कोशिश करें तो वहां उसको गवर्नमेन्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सरपंच की बात को छोड़िये····

श्री उपाध्यक्ष : I have closed it.

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : I am requesting for only one supplementary. एक सप्लीमेन्टरी और करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर ग्राफिसर्स के स्टेटमेन्ट रिकार्ड हुये हैं । कलेक्टर को रि-इन्क्वायरी के ग्रार्डर दिये गये हैं । कलेक्टर की रिपोर्ट इस मसले पर आती है तो क्या आप उसको सही मानेंगे ।····

(शोरगुल, व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : इतना समय एक ही प्रश्न में लग गया है, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : तो क्या आप कलेक्टर की रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं ? वह भी आपके अनुकूल नहीं हुई या आपकी कन्वीनियेन्स के अनुसार नहीं हुई तो क्या कार्यवाही नहीं करेंगे ?····

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी भी कह रहा हूं जब तक गवर्नमेन्ट इटसेल्फ सेटिस्फाई नहीं होती है····

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कलेक्टर की रिपोर्ट से तो आप सेटिस्फाई होंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को सुन लीजिये । जब तक गवर्नमेन्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक किसी भी मिनिस्टर के लिए विदाउट सेटिस्फेक्शन कोई ग्रार्डर देना अपनी ड्यूटी को अदा नहीं करना है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कलेक्टर की रिपोर्ट से तो आप सेटिस्फाई होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज ।

नेक्स्ट । श्री जगमोहनसिंह ।

छबड़ा में मेटरनिटी होम की मांग

456. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा तहसील जिला कोटा में, जिसकी कि आबादी

Page No 12

(श्री जगमोहन सिंह)
करीब एक लाख है, मेटरनिटी होम को कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि छबड़ा की जनता व नगरपालिका द्वारा पिछले पांच साल पूर्व से मेटरनिटी होम के लिए भवन बना कर तैयार कर रखा है ?

(3) यदि हां तो, यहां पर मेटरनिटी होम के लिए स्टाफ एवं दीगर आवश्यक स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर उचित व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा।

श्री जगमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वहां पर भवन बना हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब तो 'हां' 'ना' दोनों में है।

श्री जगमोहन सिंह : यह बजट में प्रावधान कब तक हो जायेगा ? वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। 12 हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। भवन की व्यवस्था जनता की ओर से है और आपको सिर्फ स्टाफ देना है। मेरा खयाल है इससे आपके बजट में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका सिट्टा सिका हुआ है।

श्री जगमोहन सिंह : आप चाहेंगे तो जनता और रुपया कन्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं।

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेटरनिटी होम खोलने का सवाल है, हम बिल्डिंग, इक्विपमेंट इन दो का खर्चा एक साथ लेते हैं और उसके बाद सारी परिस्थितियों पर विचार करके मेटरनिटी होम खोलने का निर्णय लेते हैं। हमारे पास इस वर्ष के वित्तीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक बिल्डिंग बनाने का सवाल है, यह भवन हमारी बिना इजाजत के बना है और किसी तरह का कोई पत्राचार डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज और म्युनिसिपैलिटी छबड़ा से नहीं हुआ है। अब बिल्डिंग आपने बना ली उसमें मेटरनिटी होम खुलना चाहिये लेकिन हमारे पास जब वित्तीय प्रावधान होंगे उस समय हम खोलेंगे और उस समय छबड़ा को प्राथमिकता देते हुए विचार करेंगे, तब तक आप शान्ति रखें।

प्रश्न संख्या 457

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

तहसील गंगापुर के तालाबों पर व्यय की गई राशि

458. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम डोब एवं खण्डीय तहसील गंगापुर में नये तालाबों का निर्माण किस

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
वर्ष में किया गया था तथा निर्माण कार्यों पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(2) क्या दोनों तालाब बन कर पूर्ण हो चुके हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनको पूर्ण करवाने की कार्यवाही शीघ्र करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) ग्राम डोब एवं खण्डीय तहसील गंगापुर में नये तालाबों का निर्माण नहीं किया गया था अपितु ग्राम डोब के पुराने तालाब के जीर्णोद्धार हेतु सन् 1972 में 18000/—रुपये व्यय किये गये थे। खण्डीय भी एक पुराना टूटा हुआ तालाब है, इसको बांधने की दिशा में सन् 1968-69 में 2 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

(2) जी नहीं। ग्राम डोब का तालाब सिंचाई विभाग का नहीं है। अतः इस पर आगे कार्य कराना विभाग के लिए संभव नहीं है। खण्डीय बांध की लगभग पूरी लम्बाई में खार युक्त मिट्टी होने के कारण कार्य कराना विचाराधीन है।

श्री हरिश्चन्द पल्लीवाल : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्षजी, जिला सवाई माधोपुर में निजी तालाब और सरकारी तालाब हैं उनमें एक तरफ तो मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि निजी तालाब पर सरकार कोई खर्चा नहीं करती है और दूसरी तरफ जो निजी तालाब हैं उनके लिए सहायता देते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग होता है। इस रकम का भी दुरुपयोग हुआ है जिला सवाई माधोपुर के वामनवास में भाखरवाला का तालाब है जो कि सबसे बड़ा तालाब है और जो सरकारी तालाब बड़े हैं उनके मुकाबले का है। गत वर्ष अति वृष्टि के कारण वह तालाब जगह जगह से टूट गया है। सरकार को इस तालाब की मरम्मत के लिए तहसीलदार और कलेक्टर की ओर से लिखा गया है परन्तु आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछली साल भी कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं मिली है, यह निजी तालाब बड़े तालाबों के बराबर है। यह जो निजी तालाब हैं उनके लिए सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये जिसमें पक्षपात नहीं हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रसंग से प्रश्न है। दो स्पेसिफिक तालाबों के बारे में पूछा गया था और उसका जवाब दिया गया है।

श्री मीठालाल मीणा : मैंने सरकारी नीति के बारे में पूछा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह निजी तालाबों का प्रश्न नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : यह निजी तालाब है और 18 हजार की सहायता की गई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहीं नहीं कहा है कि निजी तालाब है।

श्री मीठालाल मीणा : यह 18 हजार की सहायता दी गई है, यह क्या है ?

Page No 14

(14)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ग्राम डोब के तालाब पर 18 हजार रुपया सिंचाई विभाग द्वारा खर्च किया गया है, वह किस मद में खर्च किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मैंने नहीं कहा है। जो मैंने जवाब दिया है, उसको फिर से सुन लीजिये :–

ग्राम डोब एवं खण्डीय तहसील गंगापुर में नये तालाबों का निर्माण नहीं किया गया था अपितु ग्राम डोब के पुराने तालाब के जीर्णोद्धार हेतु सन् 1972 में 18 हजार रुपये व्यय किये गये थे। . . .

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह निजी तालाब है और 18 हजार रुपया खर्च किया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह जो दो लाख रुपये खर्च किये गये हैं उसके बारे में निवेदन है कि जब वहां पर खार युक्त मिट्टी थी तो यह क्यों खर्च किया गया ? उस समय यह ध्यान में नहीं आया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह एक पुराना तालाब था। सिंचाई के लिए तालाब बनाया जा सकता है, इसके लिए एक स्कीम बनी और 68–69 में इसका सर्वे हुआ है। इसकी जो मिट्टी की पाल बनाई गयी थी वह टूट गयी। बाद में यह पता चला कि यह मिट्टी खारयुक्त है इसलिए यह नहीं टिक सकती है। यह अल्केलाइन साइल है जो टिक नहीं सकती है। अब इसका रिमाडलिंग किया जा रहा है और यह सोचा जा रहा है कि इसको इतना लम्बा न बनाया जाये और जहां तक मिट्टी टिकाऊ है वहीं तक इस तालाब को बनाया जाये ताकि इसका उपयोग हो सके। यह सीधी सी बात है। कहीं कोई निजी तालाब का प्रश्न नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : यह जो दो लाख रुपये खर्च किये गये हैं, जिस अधिकारी ने यह किये हैं उसके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? दो लाख रुपया खर्च करने के बाद आपको मालूम पड़ा है कि वहां की मिट्टी खार युक्त है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जितनी केपेसिटी उस तालाब की होनी चाहिए उस हिसाब से उसको बनाया, लेकिन ज्यादा वर्षा के कारण वह टूट गया। यह जांच की गई कि उसको पुनः रेस्टोर किया जा सकता है या नहीं। जांच से यह पता लगा कि अगर उसको रेस्टोर किया गया तो पुनः ऐसी स्थिति आ सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह बात आपको दो लाख रुपये खर्च कर देने के बाद पता लगा कि उसको मिट्टी ऐसी है ?

श्री **उपाध्यक्ष :** नेक्स्ट ! श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

रिश्वत लेते पकड़े गये अधिकारी

459 श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे

Page No 15

(15)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
हाथों गिरफ्तार किये गये कितने व कौन कौन अधिकारी हैं जिनके खिलाफ दो बार जांच हो जाने पर भी उनको मोअत्तिल नहीं किया गया है और न चालान किया गया है ?

(2) उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कब से तफतीश चालू है और इतनी देर होने का क्या कारण था अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों की जांच अब कब तक पूरी हो सकेगी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) ऐसे दो कर्मचारी हैं। सर्वश्री लक्ष्मीनारायण पटवारी, जिला गंगानगर व श्री कान्तीचन्द्र जोशी, जिला परिवहन अधिकारी, अलवर।

(2) श्री लक्ष्मीनारायण पटवारी के खिलाफ अनुसंधान तारीख 22-1-75 से चालू है। श्री कान्तीचन्द्र जोशी के विरुद्ध अनुसंधान दिनांक 12-5-75 से किया जा रहा है। इन दोनों मामलों में तकनीकी बिन्दुओं पर जांच शेष है।

(3) जांच शीघ्र पूरी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नत्थासिंह।

लाल बहादुर शास्त्री कालेज के भूतपूर्व प्राध्यापक की नियुक्ति के आदेश

460. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि श्री आनन्दस्वरूप सेठ भूतपूर्व प्राध्यापक लालबहादुर शास्त्री कालेज जयपुर को राज्य सरकार ने पुनः नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री सेठ की पुनः नियुक्ति के पीछे आदेश राज्य सरकार ने किये जब कि लालबहादुर शास्त्री कालेज के अन्दर चुनी हुई प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है ? यदि हां, तो यह आदेश किन नियमों के अन्तर्गत निकाले गये ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सेठ को प्रबन्ध समिति ने प्रोबेशन पीरियड में वहां के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों से ठीक व्यवहार नहीं होने के कारण निकाला था ?

(4) क्या यह सही है कि श्री सेठ ने लाल बहादुर शास्त्री कालेज में आने से पूर्व करीब नौ और महाविद्यालयों में कार्य किया था और उन्हें उनका व्यवहार खराब होने के कारण वहां से निकाला गया था ?

(5) क्या यह सही है कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज से निकालने के सम्बन्ध में जो निर्णय प्रबन्ध समिति ने लिया था उस समय राज्य सरकार की भी अनुमति थी क्योंकि स्वयं कालेज शिक्षा निदेशक वहां उपस्थित थे ? अब राज्य सरकार ने स्वयं ही उसकी पुनः नियुक्ति के आदेश निकाले हैं तो क्या यह एक दूसरे केस से विपरीत नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सेठ ने लाल बहादुर शास्त्री कालेज से निवृत होने के तुरन्त पश्चात् डी. ए. वी. कालेज अजमेर में ज्वाइन कर लिया था तथा वहां

(श्री नत्थासिंह)
से भी उन्हें निकाल दिया गया था ? यदि हां, तो दुबारा लाल बहादुर शास्त्री कालेज में नियुक्ति पाने का अधिकार किस प्रकार से बनता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। ये आदेश जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अनुदान नियम 1963 के अन्तर्गत दिए गए।

(3) राज्य सरकार को लिखे गये प्रबन्ध समिति के पत्र में ऐसा उल्लेख था।

(4) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(5) जी नहीं। शिक्षा निदेशक मीटिंग में एक सदस्य के नाते उपस्थित थे।

(6) जी हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुनः नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

श्री नत्थासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री आर. के. अग्रवाल, डिप्टी सेक्रेट्री को शिक्षा मन्त्री जी ने दिनांक 15-11-75 या 10-11-75 को कोई आदेश दिये हैं कि उनको नौकरी पर नहीं लिया जाय ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : यह तो नियमों का सवाल है माननीय शिक्षा मन्त्री जी, लेकिन वजूहात नहीं बतलाये गये कि किन कारणों से आपको इन नियमों की आवश्यकता पड़ी ? जिस अध्यापक को निकाला जा चुका है और प्रबन्धकारिणी समिति ने उनको सलेक्ट नहीं किया। आपने जिन कारणों से उसको नियुक्त किया, वे कारण क्या थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्टरी प्रश्न है। क्या आपने उसकी नियुक्ति करके इसी सदन में आश्वासन दिया था कि यदि कालेज में उसकी नियुक्ति नहीं की गई तो उसकी एड बन्द कर दी जायगी ? उसके बाद में नियुक्ति के आदेश क्यों नहीं इम्पलीमेन्ट करा सके ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : और तो कोई नहीं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री आनन्दस्वरूप को 7-7-70 को प्रोबेशन पर रखा गया था और जून, 72 से उनको हटा दिया गया। उसके बाद में उन्होंने दयानन्द कालेज अजमेर में अपाइन्टमेंट लिया जहां पर वे 21-8-72 से मई, 74 तक रहे। इस दरम्यान उनको लाल बहादुर शास्त्री कालेज से हटा दिया गया था लिहाजा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दावा पेश कर दिया और एक रिप्रजेन्टेशन गवर्नमेन्ट को भी पेश कर दिया। गवर्नमेन्ट के पास उनकी और भी कई कम्पलेन्ट्स थीं। इसी आधार पर एक कमेटी जांच करने के लिये बिठाई गई उसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड आई.ए.एस. कक्कड़ साहब थे, उससे जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि कुछ और भी अनियमितताएं हुई हैं और सेठ को निकाला गया वह भी

(श्री खेतसिंह)

उचित नहीं है और चूंकि जब उसे रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिये गये थे और जैसा कि नरपतसिंहजी ने पूछा, लाल बहादुर शास्त्री कालेज के मैनेजमेन्ट को आदेश दिये कि उसको वापिस ले लिया जाय लेकिन मैनेजमेन्ट ने यह रिप्रजेन्टेशन किया कि आपके सामने जो फेक्ट्स रखे गये हैं वह करेक्ट नहीं हैं, मेहरबानी करके इसको लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवाया जाय। उन्होंने रिप्रजेन्टेशन की एक कापी मुख्य मन्त्रीजी को भी दी और उन्होंने मुझे मार्क करते हुए लिखा कि लॉ डिपार्टमेन्ट से इसको एग्जामिन करवाया जाकर कार्यवाही की जावे। इसको लॉ डिपार्टमेन्ट में भेजा गया तो उन्होंने यह कहा कि जब उनकी नियुक्ति प्रोबेशन पर हुई थी तो वहां के मैनेजमेन्ट को उनको हटाने का भी अधिकार है। लिहाजा यह परिस्थितियां थीं, जिनके अन्दर उनको नियुक्ति नहीं दी गई।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : आपने 10-11-75 और 15-11-75 को उसको रखने के आदेश दिये थे, उसके अन्दर आपका शिक्षा विभाग या सेक्रेटेरियेट सफल क्यों नहीं रहा ? दूसरा प्रश्न यह है कि लॉ डिपार्टमेन्ट की यह राय रही कि वह प्रोबेशन में था और मैनेजिंग कमेटी को अधिकार था कि उसको निकाला जाय तो उस अधिकार के होते हुए भी बार-बार उसको रखने के आदेश क्यों दिये जा रहे हैं। जब कि एक तरफ तो भ्रष्ट गवर्नमेंट सर्वेन्ट को आप कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे रहे हो···

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि लॉ डिपार्टमेन्ट की जो ओपीनियन है वह सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि शिक्षक ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां पर दावा किया और लर्नेड मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने जो जजमेन्ट दिया था उसमें यह बताया गया है कि प्रोबेशन का टाइम खत्म हो जाने के बाद भी उसका एक्सटेंशन किया गया है, चार महीने के बाद, लिहाजा उसका कन्फर्मेशन हो जाता है। यह जजमेन्ट लर्नेड मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने दिया था। यह भी कहा है कि इस तरह से गवर्नमेन्ट द्वारा ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाकर उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यह दोनों आपके ध्यान में आ चुकी हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि अजमेर के डी. ए. वी. कालेज से उनको निकाला गया तो क्या उस कालेज के प्रिन्सिपल को लाल बहादुर शास्त्री कालेज के प्रिन्सिपल ने एक कान्फीडेन्शियल लेटर लिखा था कि उसको नहीं रखा जाय और इसी बेसिस पर उनको निकाला गया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी फोटोस्टेट कापी और ट्रू कापी पेश कर सकती हूं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट आप स्वीकार करते हैं। उसने इनकी नियुक्ति न किया जाना बिल्कुल गलत माना है, और भी कई अनियमितताएं उस रिपोर्ट में पाई गईं और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का जजमेन्ट भी

Page No 18

(18)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
स्पष्ट है, उसके बाद भी आपके लिये क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि आपको उस मामले को लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवाना पड़ा ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह ब्रीच आफ एस्योरेन्स ऑफ हाउस नहीं है कि आपने सदन में आश्वासन देने के बाद भी उसको लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवाया ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यह कहा था कि लॉ डिपार्टमेन्ट की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। शिक्षा मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि दुबारा अपोइन्टमेन्ट नहीं होगा।

(अश्रव्य–शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाकर यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक आदमी 9 जगह अपोइन्टमेन्ट पाकर भी नहीं टिक सका···

(शोरगुल)।

श्रीमती उषा प्रकाश : प्रश्न यह नहीं है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी चीज यह है कि गवर्नमेन्ट को एक सुविधा है, एक कालेज में एक आदमी इनडिसिप्लीन करता है तो एक जगह से दूसरी जगह भेज देती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेज देती है, इनकन्वीनियेंट जगह भेज देती है। लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में यह सुविधा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स की दिक्कत को समझना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर डिसिप्लीन रहे, गवर्नमेंट उसमें मदद दे, नॉन-कापरेट करके नहीं चल सकती। गवर्नमेंट उनसे नॉन-कापरेट करती है तो मैं उदाहरण बतलाता हूं, फतेहपुरिया, कहां का था···

श्री खेतसिंह : लक्ष्मणगढ़ !

श्री हरिदेव जोशी : लक्ष्मणगढ़ के कालेज की बात है। उन्होंने उसे बन्द कर दिया। हम क्या कर सकते थे ? टीचर्स वर्सेज मैनेजमेंट, ऐसी पोजीशन पैदा हो गई कि गवर्नमेंट ने कहा, यह करना पड़ेगा, हमने अपने आग्रह को चलाने की कोशिश की लेकिन हमारा आग्रह नहीं चल सका और उन्होंने फेकल्टी को बन्द कर दिया। हमें यह समझना चाहिए, अगर किसी ने जांच की, जैसे कक्कड़ एक प्रकार के आफिसर है, लेकिन मैनेजमेंट में उनसे सीनियर आदमी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वहां है, पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटायर्ड चेयरमेन वहां हैं। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं वहां पर। वहां पर सीनियर आफिसर्स हैं। यूनेनिमसली यह सोचे मैनेजमेंट कि गलत ढंग का आदमी आ गया है, इसको प्रोबेशन पीरियड में हटा देना चाहिए तो उसमें हमें कोआपरेशन का एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम यह करवायें।

श्रीमती उषा प्रकाश : एक प्रश्न···

Page No 19

(19)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए । I will not allow.

श्रीमती उषा प्रकाश : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है····

प्रश्न संख्या 461

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर । श्री रामसिंह बिश्नोई ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक प्रश्न···

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीय । I have closed it.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सदन में आश्वासन सारी बातें सोच कर दिया गया था । सरकारी आश्वासन रोज बदला जायगा तो सदन की प्रतिष्ठा नहीं रहने वाली है····

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीय ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह सदन की प्रतिष्ठा····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

उद्योग में मजदूरों की भागीदारी

462. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : (बूंदी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के कोने कोने से उद्योग में मजदूरों को भागीदार बनाने के सिद्धान्त को लागू किया गया है ?

(2) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मजदूरों को भागीदार बनाने का सिद्धान्त लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) मैन्युफेक्चरिंग व माइनिंग उद्योगों के उन संस्थानों, जिनमें 500 अथवा उससे अधिक कामगार कार्यरत हों, पर मजदूरों को भागीदारी बनाने के सिद्धान्त की योजना को लागू किया गया है ।

(2) 500 कामगार एक स्थान पर कार्यरत नहीं होने के कारण निगम पर यह योजना लागू नहीं होती । फिर भी इसे स्वेच्छा से लागू करने के लिये निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कितने उद्योगों में, माननीय मंत्री जी, आपने इसको लागू किया ? आप बता सकते हैं, पर्सेन्टेज के हिसाब से, यह बता दीजिये, गाइड लाइन का लागू किया है या प्रेक्टिकल लागू किया है ? मैं पर्टीक्यूलर उद्योगों के लिहाज से पूछना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 37 संस्थाओं में राजस्थान में यह लागू होता है । 37 में से 9 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, 3 राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र, दो सहकारी क्षेत्र और 23 निजी क्षेत्र – इन 37 संस्थानों में से 27 में प्रोडक्शन कौंसिल, शाप कौंसिल, मैनेजमेंट कौंसिल गठित हो चुकी हैं । जहां तक राजस्थान पथ परिवहन निगम का सवाल है, वहां पांच सौ आदमी एक साथ काम नहीं करते हैं, इन-

Page No 20

(२०)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
लिए यह योजना राजस्थान पथ परिवहन पर लागू नहीं है। यह योजना मेन्युफेक्चरिंग व माइनिंग उद्योगों पर लागू होने के बावजूद हमारी इच्छा है कि इसे राजस्थान पथ परिवहन निगम पर लागू किया जाय। इसलिए सेन्ट्रल लेबर इन्स्टीट्यूट के प्रयाग मेहता को बुलाया है। उनकी बातचीत हो रही है, इन्टक और एटक के नेताओं से बातचीत हो चुकी है, पदाधिकारियों से हो चुकी है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम के ऊपर इसको लागू करके इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाय। यह फैली हुई संस्था है, जगह जगह काम करती है, जगह जगह डिपोज हैं। एक सुचारू रूप से योजना बना कर कार्यान्वयन करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय मंत्री जी के दो प्रकार के जवाब थे, एक पर लागू हो सकती है, और उसके लिए आपने जो प्रयास किया है वह भी बताया है। मैंने मांग के समय भी यह निवेदन किया था तो आपने कहा था कि जल्दी से जल्दी हम लागू करवा रहे हैं। अब 37 संस्थानों में ही लागू करायें तो क्या वजह है, जब कि उसके अन्दर कहा था कि गाइड लाइन है, तमाम उद्योग में लागू किये जायं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सीधा सवाल है, 500 या 500 से ऊपर मेन्युफेक्चरिंग और माइनिंग उद्योग मे काम करते हैं तो वर्कर पार्टीसिपेशन स्कीम लागू होगी। यह सेन्ट्रल स्कीम है। सबको भेजी है। 37 संस्थान इसमें आते है, तो 38 कैसे करूं ? पांच सौ से अधिक कोई में हैं तो वर्कर पार्टीसिपेशन स्कीम लागू होगी।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ए.एस.आई. रामगंजमण्डी में इसको लागू किया है। क्या नंबर है वहां पर ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे खयाल में माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। 37 संस्थाओं मे लागू हुई उनकी तफसील दे सकता हूं, कहां कहां लागू हुई है, कहां नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अगर आपको मालूम नहीं है तो कह दें कि मालूम नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मालूम है। नहीं मालूम होने का सवाल नहीं है। आपने रामगंज मण्डी का कहा···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ए. एस. आई.।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फकीर चन्द एण्ड कम्पनी की तैयारी कर लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह साफ नहीं है। कोटा इन्स्ट्रूमेंटेशन, कोटा, श्री श्रीराम रैयन्स···

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सारा सुनाने की जरूरत नहीं है। और प्रश्न हैं महत्वपूर्ण।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पांच सौ या पांच से अधिक एक जगह काम करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने निवेदन किया कि लागू कर सकते हैं। एक आदमी की कम्पनी की 17 माइनिंग लीज हैं, वह जगह जगह काम कर रहे हैं और हर जगह 500

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
आदमी माइनिंग में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उस जगह वर्कर पार्टीसिपेशन लागू नहीं कर सकते ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उस जगह कम से कम दो हजार आदमी काम करते हैं । हमारी यूनियन है, उसमें रजिस्टर्ड लोग हैं एक स्थान पर, एक जगह । माननीय नेता अच्छी तरह से जानते हैं । एक जगह यह हालत है तो पूरे राजस्थान में क्रियान्वयन की क्या हालत है ? मंत्री महोदय, इसके ऊपर आप गौर करें और स्पष्ट तथ्य हैं वह सदन में रखने की कोशिश करें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने स्पष्ट तथ्य, उपाध्यक्ष महोदय, रखे हैं ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ए. एस. आई. का आप बता दें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ए. एस. आई. की जांच कर ली जायगी, दो हजार आदमी एक जगह काम करते हैं तो निश्चित तौर पर योजना लागू होगी । आज नहीं करते हैं . . .

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : It is different question. आपने कहा कि जांच कर लेंगे । क्यों नहीं की अब तक ? क्वेश्चन यह है कि आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की इसके ऊपर ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): इसकी जांच कर लेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगला प्रश्न बहुत गम्भीर प्रश्न है ।

श्री हरिदेव जोशी : एक निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि इसमें तो लेबर वेलफेयर का कोई प्रश्न नहीं है । यह जो योजना है, यह प्राडक्शन बढ़ाने की है । प्राडक्शन बढ़ाने के लिए और मैनेजमेंट सुधारने के लिये दरअसल में इसमें मैनेजमेंट तो राजी होगा कि लेबर की सहायता ली जाय और वो किया जाय । भीतर की बात यह है कि लेबर राजी है इसमें पार्टीसिपेशन करने को ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वस्तु स्थिति यह है कि लेबर चाहता है क्योंकि बराबर में बैठने का मौका आया है । इतना तो आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 463 प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत आवश्यक है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक इम्पार्टेन्स का है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम रघुनाथ चौधरी ।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 20–3–1976

अजमेर में बाढ़ से क्षति

219. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) गत वर्ष 1975 की आई बाढ़ में अजमेर के आनासागर में कितनी निर्मा-

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
एाधीन इमारतें पानी में डूब गयी थीं तथा कितनी पहले से बनी सरकारी इमारतें पानी में डूबीं ?

(2) वर्षा समाप्त होने एवं आना-सागर का ओवरफ्लो बन्द हो जाने के बाद कितनी इमारतें पानी में डूबी रहीं और अब तक पानी में हैं ?

(3) पानी में डूबने वाली इमारतों को कितनी धनराशि खर्च कर बनाया गया ?

(4) इन इमारतों को बनाने से पूर्व आनासागर के ओवरफ्लो को ध्यान में रखते हुए क्या इसका सर्वे कर प्लान बनाया गया था ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? और अगर हां, तो फिर यह जानते हुए कि वहां पानी आ सकता है, क्यों बनाया गया ?

(5) इस प्रकार आनासागर के पानी में आने वाली इमारतों से कुल कितनी धनराशि का अनुमानतः नुकसान हुआ ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाब-सिंह शक्तावत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्ध होने के कारण उनको स्थानान्तरित किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : करोड़ों रुपये की लूट कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग से मैंने प्रश्न पूछा था, न जाने क्यों, विभाग को चेंज कर दिया गया। यह ऐसा प्रश्न है जिसका पलड मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं। एक दफा पहले भी आया था, तब स्थगित हुआ था और दुबारा आज स्थगित हो रहा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और लाखों-करोड़ों रुपये की धनराशि का मामला है। इसका जवाब तुरन्त आना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग की टर्न पर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले डिपार्टमेंट चेंज किया है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है, दो डिपार्टमेंट के बीच में आता है तो मुझे सौंप दें। मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोण्ड।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्थगित प्रश्न। स्थगित। स्क्वायर !

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह !

स्थगित प्रश्न

(दि. 20-3-76)

राज्य में बाढ़ से क्षति

223. **श्री नत्थासिंह (भरतपुर) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में राजस्थान में बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो

Page No 23

(23)

(श्री नत्थासिंह)
किन-किन जिलों में और इस बाढ़ से कितना कितना नुकसान हुआ है ? प्रत्येक जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1975 की बाढ़ सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी रकम प्राप्त हुई और केन्द्र द्वारा दी गई राशि किन-किन जिलों में कितनी-कितनी किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है ? विस्तृत विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 की बाढ़ सहायता में केन्द्रीय सरकार की रकम के अलावा राज्य सरकार ने भी रकम स्वीकार की थी ? यदि हां, तो कितनी रकम स्वीकार की गई और यह रकम किन-किन जिलों में कितनी-कितनी किन किन कार्यों पर व्यय की गई ? विस्तृत विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के बयाना सब डिवीजन में गम्भीरी नदी की आई बाढ़ से कृषि भूमि में रेता आ जाने से भूमि बेकार हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस भूमि को उपजाऊ बनाने की कोई व्यवस्था अब तक की है ? यदि हां, तो क्या की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। विभिन्न जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। योजना, अग्रिम सहायता से 2.50 करोड़ रु. प्राप्त हुआ है। विभिन्न जिलों को आवंटित राशि का विवरण जिलेवार सदन के पटल पर रख दिया गया है। यह राशि सिंचाई, एवं सड़कों पर खर्च होगी।

(3) राज्य सरकार ने 35.86 लाख रु. बाढ़ सहायतार्थ विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराया है। यह धनराशि बाढ़ पीड़ितों की तात्कालिक, आवासीय, भोजन व्यवस्था आदि पर खर्च की गई है।

(4) जी हां। भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।

श्री नत्था सिंह : एक, तो मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली है। दूसरी बात, स्वीकृत धनराशि ढाई करोड़ में से भरतपुर के लिए आपने कितनी दी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान में दो करोड़ में से सबसे अधिक पैसा यदि किसी को मिला है तो वह भरतपुर जिले को मिला है और सड़कों के लिए हमने 2.83 करोड़ में से 50 लाख रुपए भरतपुर को दिए हैं और उसमें से सिंचाई के कार्यों के लिए हमने भरतपुर को करीब 11 लाख रुपए के आस-पास आवंटित किए हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अब संतोष है या नहीं आपको ?

श्रीमती उषा प्रकाश : जो फ्लड की इमर्जेन्सी में आपने पैसा खर्च किया था, यह उसके अलावा है या उसमें शामिल है ?

Page No 24

(24)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पलड के बचाव कार्यों के लिए या सड़कें टूट गईं, उन कार्यों के लिए मैंने कहा 2 करोड़ में से 49 लाख रुपये भरतपुर को और 50 लाख रुपये सिंचाई में मिले हैं उसमें से 11 लाख रुपये बाढ़ की क्षति पूर्ति के लिए या बचाव के कामों के लिए····

श्रीमती उषा प्रकाश : आपने 11 लाख रुपये सिंचाई के लिए दिये उसमें से 8 लाख रुपये पहले ही इमर्जेन्सी के कामों में खर्च हो गए और बाद में जो रिपेयर्स के लिए दिया, वह नाकाफी है।

श्री हरिदेव जोशी : नाकाफी हो सकता है। मगर जो एलोकेशन हुआ है वह है 50 लाख में से 11 लाख और दो करोड़ में से 49 लाख भरतपुर को।

श्रीमती उषा प्रकाश : वर्षा से पहले टूटे हुए तटबंध हैं जैसा मंत्रीजी ने कहा··

श्री नत्थासिंह : मैं केवल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हजारों बीघा जमीन भरतपुर में रेत आने से खराब हो गई, काबिले काश्त नहीं रह गई है, उसको काबिले काश्त बनाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री हरिदेव जोशी : अकाल, बाढ़ या आग, ये स्थिति की खराबी के लिए आती हैं, वह वरदान नहीं है। भरतपुर में अलबत्ता कभी–कभी बाढ़ हल्का वरदान साबित होती है, मगर फिर भी जहां पर खराब मिट्टी आती है, खेतों पर आती है तो वे खराब हो जाते हैं, कुएं टूट जाते हैं। तो किसी भी राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह पुरानी स्थिति में उन स्थानों को ला सकें।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

जयपुर जिले के आयुर्वेद औषधालय

255. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में 'ए' श्रेणी एवं 'बी' श्रेणी के कितने-कितने औषधालय हैं?

(2) 'बी' श्रेणी के औषधालयों के लिए कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चोमवाड़ी में स्थित औषधालय में 'बी' श्रेणी के औषधालय के लिए स्वीकृत स्टाफ भी नहीं दिया गया है?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम चाय-वाड़ी के औषधालय में मरीजों की संख्या अन्य औषधालयों के मुकाबले में बहुत अधिक है?

(5) यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि अन्य समान स्तर के औषधालयों जितना भी स्टाफ यहां नहीं है?

(6) क्या चोमवाड़ी के औषधालय को, जहां कि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्रमोन्नत करने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक? एवं नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): (1) जयपुर जिले में 'ए' श्रेणी के तीन चिकित्सालय एवं 'बी' श्रेणी के 19 औषधालय हैं।

(2) 'बी' श्रेणी के उक्त 19 औषधालयों में से 11 औषधालयों में एक वैद्य पद, एक धात्री एव एक कल्पद पद तथा शेष 8 औषधालयों में एक वैद्य तथा एक धात्री या कल्पद पद स्वीकृत हैं।

(3) ग्राम चोथवाड़ी का आयुर्वेद औषधालय 'सी' श्रेणी का औषधालय है अतः 'बी' श्रेणी का स्टाफ होने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं, जयपुर जिले में ग्राम चौथवाड़ी ('सी' श्रेणी) औषधालय की रोगी संख्या से अधिक रोगी संख्या वाले अन्य ('सी' श्रेणी) औषधालय भी हैं।

(5) यहां पर स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ कार्यरत है।

(6) बजट प्रावधानों के अन्तर्गत औषधालय को क्रमोन्नत करने के बारे में विचार करना संभव हो सकेगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मंत्रीजी ने जो कहा कि चोथवाड़ी का औषधालय 'सी' श्रेणी का है, वह खुद आश्वस्त हो जाएं फिर जवाब दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने कहा 'सी' श्रेणी का है और गवर्नमेंट रिप्लाई है। मैं 'बी' श्रेणी का कैसे मान लूं?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं कहती हूं 'बी' श्रेणी का है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं जांच करवा लूंगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 268

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 268।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आप मोहर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जनहित का प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : आप रामानन्द बनने की कोशिश करते तो समझ में आता लेकिन मोहरसिंह बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई?

श्री उपाध्यक्ष : Have you got authority?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जन हित का सवाल है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप अलाऊ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशलाल।

नाहरी का नाका: जयपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

463. **श्री गणेशलाल** (गंगरार) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, जयपुर में पानी की टंकी के पास

Page No 26

(26)

(श्री गणेशलाल)
एक शिव मंदिर की आड़ में कुछ व्यक्तियों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रखा है और इस संबंध में शिकायतों की जांच करने के लिए अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जयपुर ने श्री मांगीराम, अतिक्रमण निरोध अधिकारी (प्रथम), नगर विकास न्यास को आदेश दिए थे? यदि हां, तो क्या यह जांच पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) प्रश्न के भाग (1) में वर्णित जांच किन किन आरोपों के विषय में थी और प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में क्या क्या निष्कर्ष निकला?

(3) क्या प्रश्न के भाग (1) में वर्णित स्थान पर राज्य सरकार जनहित में एक सर्किल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने जा रही है? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माणकर्ता इस सर्किल को न बनाए जाने की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस अनुचित मांग को सार्वजनिक अहित में भी स्वीकार कर लेगी? यदि हां, तो क्यों?

(4) प्रश्न के भाग (3) में वर्णित स्थान पर सर्किल के निर्माण कार्य का यदि सरकार विचार रखती है तो यह कार्य कब तक आरंभ किया जावेगा?

नगर विकास मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए समय देने की कृपा करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : किस बात की जानकारी? लाखों रुपये की धरती पर अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। इस तरह से लोगों को बिठा रखा है। उनको हटाया नहीं जा रहा है। उनको रियायत दी जा रही है। ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न भी स्थगित हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आपने भ्रष्टाचार को छूट दे रखी है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : डाइरेक्ट बात मत कीजिए। You should address the chair.

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : जानकारी किस बात की? कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी थी, इन्क्वायरी कम्पलीट हुई या नहीं? जांच जयपुर में हो रही है। मंत्रीजी राजधानी में ही रहते हैं और कलेक्टर भी जयपुर में ही रहते हैं। यह नहीं पूछ सकते कि...

श्री मीठालाल मीणा : मंत्रीजी ने पहले भी इस प्रश्न को स्थगित करवाया और आज भी स्थगित करवा रहे हैं। आपके विभाग में भ्रष्ट काम हो रहे हैं, आप उनसे क्यों डरते हैं? प्रश्नों का जवाब नहीं देते, गत सत्र में भी प्रश्न स्थगित कराए, फिर ..

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जब मंत्रीजी नहीं बताए तब माननीय सदस्य..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या माननीय सदस्य मंत्रीजी के एडवोकेट हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : एडवोकेट के अलावा दूसरा शब्द भी काम में ला सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चमचा और पतीली नहीं कहना चाहता।

Page No 27

(27)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी, आप कोई भी तारीख तय करें, सदन के सत्रावसान से पहले की····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल फिक्स करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कल की तारीख तय करें।

श्री उपाध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : कल जवाब दे सकेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या इस तरह से कम्पेल किया जा सकता है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास :

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रिक्वेस्ट की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कब तक ?

श्री उपाध्यक्ष : I will decide. प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शोरगुल)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति, लाडपुरा का आर. ई. सी. योजना के अन्तर्गत सर्वे

451. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति, लाडपुरा के लिये आर. ई. सी. योजना का शीघ्र सर्वे करवाया जाकर स्वीकृत करवाने के लिये निवेदन किया है ?

(2) पंचायत समिति, लाडपुरा में कब तक आर. ई. सी. के तहत गांवों में कुओं पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एक मिनी फार्म स्कीम के लिये सर्वे की जा चुकी है और योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

टौंक फाटक स्थित केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर को भूमि का अलाटमेन्ट

457. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास न्यास द्वारा केन्द्रीय विद्यालय (टौंक फाटक स्थित) जयपुर को विद्यालय के लिये कितनी भूमि अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अलाटशुदा भूमि के काफी बड़े भाग पर अनधिकृत रूप से झुग्गी झोंपड़ियां स्थित हैं ? यदि हां, तो कुल कितने भाग पर ?

(3) क्या इन झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने तथा इस भूमि को विद्यालय को शीघ्र हस्तान्तरण करने के लिये राज्य

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय विद्यालय (टोंक फाटक स्थित) जयपुर को विद्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा 7 एकड़ भूमि फरवरी, 67 में आवंटित की गई थी।

(2) जी हां। लगभग 3 एकड़ भूमि पर अनधिकृत रूप से 111 झौंपड़ियां स्थित है जिनमें से 102 पर सर्वे नम्बर लगे हुये है तथा 9 बगैर सर्वेशुदा हैं।

(3) जी हां। निर्धारित नीति के अनुसार 102 झुग्गी झौंपड़ियों वाले, जिन पर सर्वे नम्बर लगे हुये हैं जो अन्यत्र बसाने हेतु कार्यवाही चल रही है। इन्हें बसाने हेतु भूमि एवं वातावरण सुधार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर लोगों को बसाया जाना सम्भव हो सकेगा। सर्वेशुदा झौंपड़ियों के निवासियों को बसाने के पश्चात् ही अन्य मामलों पर विचार किया जायेगा। भूमि प्राप्त किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। सर्वेशुदा लोगों को अन्यत्र बसाने के पश्चात् ही उक्त भूमि को विद्यालय को उपलब्ध करा पाना सम्भव हो सकेगा।

मिनिमम चार्जेज स्कीम

461. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में आर. एस. ई. बी. में मिनिमम चार्जेज स्कीम कब से व क्यों शुरू की गई ? इसके पीछे क्या औचित्य था व इससे आर.एस.ई.बी को कितना फायदा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि मिनिमम चार्जेज स्कीम से गरीब व छोटे काश्तकार ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं ? अगर हां, तो क्या विद्युत् बोर्ड इस स्कीम को उठाने के पक्ष में है ? यदि हां, तो कब तक इस स्कीम को समाप्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) मिनिमम चार्जेज विद्युत् टैरिफ का ही एक हिस्सा है। यह मिनिमम चार्जेज अलग-अलग विद्युत् उपभोक्ताओं पर अलग-अलग दर से लगाये जाते हैं। विद्युत् मन्डल को उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने हेतु पूंजीगत खर्चा करना पड़ता है व आवश्यक मात्रा में बिजली रिजर्व रखनी पड़ती है। इस पूंजीगत खर्चे पर ब्याज तथा घिसाई (अवक्षयण) की वसूली के लिये मिनिमम चार्जेज लगाये जाते हैं। अतः इन मिनिमम चार्जेज से मण्डल को कोई फायदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह मिनिमम चार्जेज शुरू से ही लागू हैं।

(2) जी नहीं। मिनिमम चार्जेज लोड के आधार पर होते हैं। जिस कुए में जितनी बड़ी मोटर होगी, मिनिमम चार्जेज उतने ही अधिक होंगे व कम हार्स पावर की मोटरों के लिए मिनिमम चार्जेज कम हैं। मिनिमम चार्जेज टैरिफ का ही अंग है अतः इसे उठाना संभव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-76)

अलवर जिले में को-आपरेटिव के कर्ज की वसूली में की गई कार्यवाही

268. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की रामगढ़ तहसील के मुबारकपुर के श्री केशरसिंह से को-आपरेटिव कर्ज वसूली 500) रु. के तहत उसको पुलिस ने बेइज्जत किया व मारपीट की व ग्राम की चोपाल में बिठाकर जूते लगवाये और भैंस की नीलामी की गई ?

(2) यह सही है कि तहसील रामगढ़ के ही रुन्नाका ग्राम के हरिसिंह चमार से उसकी कुर्की की पहली किश्त जो जून, 1976 में वाजिब होती है समय से पूर्व जबरन पुलिस व एस. डी. ओ. द्वारा मारपीट करके और नीलाम करके वसूली की गई ?

(3) इसी जिले की गोबिन्दगढ़ तहसील के पुंडपुरी ग्राम के दीवानचन्द के खाद-बीज की 500) रु. के करीब की वसूली न चुका सकने पर उसे बेइज्जत किया गया व मारते हुये थाने में ले गये और चालान कर जेल में भेज दिया ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त गोविन्दगढ़ तहसील के ग्राम हमूदखेड़ा के सरपंच श्री रामनारायण के कानों की वाली व हाथ की मूंदडी चोपाल में खड़ा करके पुलिस ने उतारी ली और एस.डी. ओ. ने उसे गालियां दीं और उपरोक्त दोनों चीजों को थाने में नीलाम कर दिया गया।

(5) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ तहसील के ग्राम डबोली के सत्यपाल की दुकान पुलिस द्वारा नीलाम करवा दी गई और इसी ग्राम के कितने ही अन्य किसानों को उनका मुंह काला करके ग्राम में घुमाया गया और गले में जूतों की माला भी पहनाई गई ?

(6) क्या इस सिलसिले में यह सही नहीं है कि उपरोक्त सभी किसान 4 से 16 बीघा तक के बारानी के काश्तकार हैं ? अगर हां, तो जुल्म करने वालों के साथ क्या कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। इस नाम का कोई व्यक्ति स्थानीय सहकारी समिति का सदस्य नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है।

(5) यह सही नहीं है।

(6) यह सही नहीं है।

Page No 30

(30)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर शहर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को पट्टे देने की योजना

231. श्री केदारनाथ, (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर शहर में कुल कितने लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं और आज तक कितने व्यक्तियों को पट्टे दिए गये ? शेष लोगों को पट्टे देने की क्या योजना है ?

उत्तर

गंगानगर क्षेत्र में करीब 800 व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। इनमें से अब तक 203 व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दे दिए गए हैं। शेष व्यक्तियों को भी पट्टे देने की योजना तैयार की जा रही है।

पंचायत समिति, टोंक की अनुदान की राशि

232. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक पंचायत समिति को सन् 1965 से 1975 तक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस स्रोत से ?

(2) समिति द्वारा किस-किस को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

(3) समिति की कुल कितनी राशि किन-किन में और कब-कब से बकाया है ? कृपया पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि के बारे में निम्न तालिका में सूचना सदन की मेज पर रखें:—

क्र.सं., नाम राशि, दिये जाने की तिथि, उद्देश्य, कितनी राशि का उपयोग हुआ, बकाया।

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत, चांदसेन (लालसोट) को मंडी निर्माण हेतु दी गई धनराशि

233. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत विधान सभा सत्र के दिनांक 15 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 128 ग्राम पंचायत, चांदसेन (लालसोट) को मण्डी निर्माण हेतु दी गई धन राशि के सम्बन्ध में क्या यह सही है कि जिस फाइल पर 6000 रुपये की स्वीकृति प्रशासन वित्त कर स्थायी समिति ने दी थी उससे पहले भी एक फाइल इस सम्बन्ध में और चली थी जिसे अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर द्वारा सम्बन्धित जिला तकनीकी से जांच कराने पर सही नहीं पाने से अस्वीकृत कर दी गई तथा तकनीकी कमी के कारण तत्कालीन विकास अधिकारी श्री बलवानसिंह ने उस फाइल पर अस्वीकृति प्रदान कर दी और वह फाइल आज भी समिति के कार्यालय में सुरक्षित है ? यदि हां, तो दूसरी फाइल चलाकर स्वीकृत करना गैर कानूनी नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि आज तक आबादी में परिवर्तित नहीं हुई तथा उसका नामान्तरकरण नहीं खुला है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति किसी समिति को ऋण (लोन) स्वीकृत कर सकती है ?

(श्री मीठालाल मीणा)

(3) क्या भूमि का सर्वे करने वाले सिंचाई विभाग के जे.ई.एन. ने उक्त सर्वे करने के लिये पहले या बाद में अपने सम्बन्धित अधिकारियों से स्वीकृति ली थी जो अति आवश्यक थी ? क्या उक्त जे.ई.एन. उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बिना सर्वे करने को अधिकृत था ? यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट प्रमाणित है अथवा नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सर्वेयर ने एक ही भू-खण्ड के दो टुकड़े कर अलग-अलग सर्वे किया तथा भूमि को असमतल बताकर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालना बतलाया जबकि भूमि पहले से ही समतल है और समतल कार्य उक्त भूमि पर है ही नहीं ? यदि हां, तो उक्त सर्वेयर द्वारा गलत कार्यवाही करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पहले वाली सर्वे रिपोर्ट व बाद में श्री मिठ्ठनलाल जैन जे.ई.एन. द्वारा की गई सर्वे रिपोर्ट में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या ? कृपा कर दोनों रिपोर्ट की मूल सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या उक्त स्वीकृत 6,000 रुपये की धनराशि जांच चलने के पश्चात् पंचायत रोकड़ में हेरा फेरी कर जमा की गई ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति ने एक ही दिन में 3000-3000 रुपये के दो चैक उक्त पंचायत के सरपंच को दिये ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार उचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त 6000 रुपये की धनराशि आज भी सरपंच के पास ही है और किसी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में जमा नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के कुछ दिन पश्चात् ही एक प्रार्थना-पत्र द्वारा उक्त भूमि पर समतल कार्य करने के लिये 8000 रुपये की अन्य मांग की थी, जो विकास अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई ?

(10) क्या यह सही है कि विभाग ने अभी तक रुपयों की वसूली व सम्पूर्ण भ्रष्ट काण्ड की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ब्यावर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., ब्यावर

234. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., ब्यावर को कितना ऋण किसानों में वितरण करने का अधिकार दिया हुआ है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त बैंक की वसूली काफी रुकी हुई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोगों में अवधिपार ऋण बकाया है।

Page No 32

(32)

(श्री केशरीमल)

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1974–75 में और अभी ऋण की वसूली काफी की गई? आज अवधिपार ऋणों की वसूली कितने प्रतिशत रह गई? क्या यह सही है कि अब सिर्फ 35 प्रतिशत अवधिपार ऋण हैं? यदि हां, तो उपरोक्त बैंक को अपना कारोबार करने व बढ़ाने में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर मदद क्यों नहीं करवा रहा?

(3) क्या इस बैंक को राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 0.31 लाख रुपया ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य तय किया है? यदि हां, तो क्या यह राशि बिल्कुल नाकाफी नहीं है? क्या सरकार ब्यावर बैंक को ऋण वितरण की राशि बढ़ाने की व मदद दिलाने की व्यवस्था करायेगी?

उत्तर

(1) ब्यावर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., ब्यावर को वर्ष 75–76 में 0.62 लाख रुपये का ऋण किसानों को वितरण करने का अधिकार दिया हुआ है। हां यह सही है कि उपरोक्त बैंक की वसूली काफी रुकी हुई है। दिनांक 30–6–75 को 2.10 लाख रुपये की राशि सदस्यों में अवधिपार बकाया थी जो कुल सदस्यों का 52% होता है।

(2) हां यह सही है कि सन् 1974–75 में एवं अब ऋण की काफी वसूली की गई है। अब अवधिपार ऋणों की वसूली 38% रह गई है न कि 35 प्रतिशत। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर द्वारा ऋण वितरण की निकाली गई योग्यता के अनुरूप 0.62 लाख रुपये का ही ब्यावर भूमि विकास बैंक लि. ऋण वितरण का अधिकारी है।

(3) इस बैंक को ऋण वितरण करने का जो अधिकार 0.31 लाख था वह वर्ष के 1975–76 के प्रारम्भ में था जो अब बढ़ाकर 0.62 लाख कर दिया गया है।

जयपुर जिले में कैनाल इरिगेशन की योजनाएं

235. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कैनाल इरिगेशन की क्या सम्भावनाएं हैं?

(2) गत चार योजनाओं में इस दिशा में जयपुर जिले में क्या कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्यूब वेल्स के निर्माण से जयपुर जिले में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 116 बांध हैं और इन बांधों की नहरों से लगभग 92034 एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है।

(सिंचाई मंत्री)

इसके अलावा रामगढ़ बांध से, जिसका पानी केवल जयपुर शहर के पेयजल हेतु सुरक्षित है, मगर सिंचाई के निमित्त पूरा पानी प्राप्त हो तो लगभग 20,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इस वर्ष से पर्याप्त मात्रा में पानी आने से लगभग 14000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा कराई गई है।

इनके अतिरिक्त 36 योजनायें और प्रस्तावित हैं जिनसे लगभग 8059 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

(2) गत चार योजनाओं में जयपुर जिले में 24 लघु सिंचाई कार्य व एक मध्यम सिंचाई कार्य पूरा किया।

विवरण संलग्न है।

(3) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

किसान से सिंचाई की वसूली

236. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बड़े बांध एवं उसके नीचे बने टैंक से सिंचन हेतु एक ही भूमि पर अलग अलग एक बार पानी ले लेने पर किसान से दो सिंचाई की वसूली की जाती है? यदि हां, तो क्या यह उचित है?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में नहरों से डीकणी चड़स चाएला वाटर पम्प आदि से सिंचाई को सिंचाई श्रम (मेहनत) की मान कर ऐसे क्षेत्र की आधी रेट से सिंचाई वसूलात की जाती थी? यदि हां, तो वर्तमान सिंचाई वसूली पूरी रेट से क्यों की जाती है?

(3) क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने को राजी है? यदि हां, तो कब?

(4) फसल की एक पिलाई अथवा एक से अधिक पिलाई की दरें किस प्रकार निर्धारित हैं?

उत्तर

(1) सामान्यतः इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है परन्तु कुछ क्षेत्र में ऐसी समस्या सामने आई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) जल-दरों की अनुसूची के प्रथम भाग के सामान्य प्रावधान के पैरा 7 के अनुसार जहां जल को उठा कर सिंचाई होती है वहां सामान्य दरों की आधी दरें ही वसूल की जाती हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जल दरों की अनुसूची के प्रथम भाग के सामान्य प्रावधान पैरा 6 के अनुसार पानी की कमी पर अन्य किसी कारण से यदि किसान को एक या दो पानी ही मिलता है तो सिंचाई दर में क्रमशः दो तिहाई व एक तिहाई की कमी की जाती हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गांवों को लिये जाने का आधार

237. **श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पिछले चार वर्षों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में एक भी गांव को विद्युतीकरण योजना में नहीं लिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) ग्राम विद्युतीकरण योजना में किसी गांव को लिये जाने के क्या आधार हैं ? क्या अगले वर्ष जोधपुर जिले से किन्हीं गांवों को लेने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में जितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में पिछले 4 वर्षों में जो गांव विद्युतीकृत किये गये हैं, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

1971–72	49
1972–73	18
1973–74	3
1974–75	–

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाते समय गांवों का चयन भूजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अमुक क्षेत्र की योजना बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार देती है। जोधपुर जिले की भूपालगढ़ पंचायत समिति की एक योजना अभी हाल ही में स्वीकृत हुई है जिस पर अगले वर्ष कार्य आरम्भ किया जायगा। योजना के प्रथम चरण में 17 ग्रामों का विद्युतीकरण होना है। इसके अतिरिक्त शेरगढ़, ओसियां, फलौदी पंचायत समितियों की आर. ई. सी. योजनायें विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

राज्य के गांवों को बिजली

238. **श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अब तक कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है ? जिला अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(2) अगले वर्ष जिलों के अनुसार कितने कितने गांवों को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) राजस्थान के सम्पूर्ण गांवों में बिजली कब तक पहुंचा दी जायेगी और इसके लिए क्या योजना बनाई गई है ?

(4) क्या राजस्थान राज्य में विद्युत् की कमी है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक ?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में फरवरी 1976 तक के विद्युतीकृत गांवों की संख्या की जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1976–77 में राज्य के विभिन्न जिलों के 1000 गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है । इनमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक स्वीकृत योजनाओं के व भविष्य में स्वीकृत होने वाली योजनाओं के ग्राम व आर. ई. मद में स्वीकृत होने वाले गांव होंगे ।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(4) जी हां । और अधिक बिजली प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वैसे व्यास प्रोजेक्ट से भी बिजली का उत्पादन वर्ष 1977 में होने की आशा है जिसमें से राजस्थान को हिस्सा मिलेगा । इसी प्रकार अणु शक्ति पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट भी वर्ष 1977–78 में चालू होने की संभावना है । इनके अतिरिक्त कोटा में भी ताप विद्युत् गृह बनाने का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बिसलपुर योजना का सर्वे

239. **श्री चतरभुज (टोडारायसिंह):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

बिसलपुर योजना पर कब से सर्वे कार्य किया तथा आज दिन तक सर्वे खर्च कितना हुआ ? क्या सरकार सिंचाई बांध बनाने का इरादा रखती है ? अगर रखती है तो वह बांध कितनी क्षमता का होगा व कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी ?

उत्तर

अनुसंधान एवं भूमापन का कार्य वर्ष 1959 से आरम्भ किया गया था ।

अब तक रु. 60,000 खर्च हुए ।

यह योजना मुख्यतः पेयजल व्यवस्था हेतु बनाई गई है और पेयजल की आवश्यकता पूरी करने के बाद पानी बचता नहीं है । इसलिए योजना से सिंचाई करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर जिले की सिंचाई योजना

240. **श्री जय किशन लाल तोसावड़ा (फागी) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1970 से 1975 तक सिंचाई कार्यों के लिये कितनी रकम खर्च की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्यों के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई के साधनों की दृष्टि से जयपुर जिला पिछड़ा हुआ है ?

Page No 36

(36)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

(4) क्या राज्य सरकार के पास जयपुर जिले में सिचाई के बारे में कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूचना संलग्न है।

(2) प्रस्तावित पांचवीं योजना में सिचाई कार्यों के लिए प्रस्तावित प्रावधान की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जयपुर जिले में सिचाई की दृष्टि से विचाराधीन योजनाओं की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये परिशिष्ट–8 देखिये)

जालोर में विद्युत मंडल का खंड आफिस

241. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि अभी तक जालोर में विभाग का खंड आफिस नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ? और अब यह आफिस कब कब खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जालोर जिले में मौजूदा बिजली का प्रसार होने की गुंजाइश को देखते हुए बिजली खंड आफिस खोलना प्रशासन के हित में उचित है ? अगर हां, तो उक्त खंड आफिस कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जब मण्डल के नार्म्स के अनुसार आवश्यकता होगी तभी खण्ड कार्यालय खोल दिया जायगा।

(2) खण्ड कार्यालय मण्डल के नार्म्स के अनुसार ही खोला जा सकता है।

तहसील सराड़ा के आदिवासी छात्रावासों को द्वितीय श्रेणी में परिवर्तन करने की मांग

242. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में गांव प्रसाद और झाडोल में तृतीय श्रेणी के आदिवासी छात्रावास को द्वितीय श्रेणी में परिवर्तन करने का राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो द्वितीय श्रेणी में परिवर्तन के आदेश कब तक किये जायेंगे ?

उत्तर

जी नहीं।

सवाई मानसिंह अस्पताल के काटेज वार्ड

243. श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल के कितने कितने कोटेज वार्ड में मार्च सन् 1974 से अब तक कितने-कितने दिनों के लिये सरकारी अधिकारी रहे हैं या रह रहे हैं ?

(श्री रणजीत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारी अनावश्यक रूप से अधिक समय तक काटेज वार्ड में रहते हैं जिसके कारण जनता को काटेज वार्ड में स्थान मिलने में बड़ी असुविधा रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये सरकार इस व्यवस्था पर विचार कर सकती है कि ऐसे अधिकारियों को प्रारम्भ में अपने पास से किराया का रुपया जमा करना पड़ेगा और बाद में इस रकम को रिअम्बर्स कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न संख्या (2) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

244. श्री रणजीत सिंह (ओसियां): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सतर्कता आयोग के प्रतिवेदनों में किस-किस आई.ए.एस. अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार व दुराचरण के प्रमाणित आरोपों का उल्लेख है ?

(2) इन आरोपों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा सरकार को किस प्रकार की कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया ?

(3) इन सिफारिशों के आधार पर किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

(4) सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन में आरोपित किन-किन आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किस-किस प्रकार वेतन शृंखला में या पदीय आधार पर पदोन्नत किया गया ?

(5) इनमें किन-किन को कब-कब निलम्बित किया गया और उनको कब कब पुनः बहाल कर दिया गया और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

राज्य की अनुदान प्राप्त पाठशालायें

245. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कई राजकीय अनुदान प्राप्त पाठशालाओं को जिन्हें कई वर्षों पूर्व मान्यता तो प्रदान कर दी गई किन्तु उन्हें अनुदान पाने वाली पाठशालाओं की सूची में पांच वर्ष पश्चात् सम्मिलित करके अनुदान प्रारम्भ किया गया एवं उनके प्रारम्भ में नियुक्त किए गए अध्यापकों के पांच वर्ष तक के इन्क्रीमेन्ट

(श्री अमृतलाल गहलोत)

जुड़े हुए वेतन के अनुपात में अनुदान प्रारंभ नहीं किया गया परन्तु प्रारम्भिक वेतन के अनुपात में ही केवल अनुदान देना प्रारम्भ किया गया जो अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो किस समय के वेतन के अनुपात में अनुदान देना प्रारम्भ किया गया ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि प्रारम्भिक वेतन के अनुपात में ही अनुदान प्रारम्भ किया जाता है क्योंकि अनुदान सूची पर आने के पूर्व किसी कर्मचारी को कोई संस्था कब से कितना वेतन देती रही है इससे विभाग को कोई प्रयोजन नहीं होता।

उदयपुर जिले की प्राथमिक शालाएं

246. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्राथमिक शालाओं हेतु छात्र शालाओं के लिए 427 और छात्रा शालाओं के लिये 220 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो ये कर्मचारी कौन कौन सी शालाओं के लिए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाली प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ? क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

(3) उदयपुर जिले में कितनी प्राथमिक शालाऐ पंचायत समितियों के अन्तर्गत हैं जहां 200 से ऊपर छात्र पढ़ते हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 412 व 214 पद क्रमशः आवंटित है। ये कर्मचारी छात्र एवं छात्रा प्राथमिक शालाओं के लिये हैं। आवंटित पदों की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) हां यह सही है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1959 के पश्चात् प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रखने का प्रावधान नहीं रखा गया।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखिये)

समाचार पत्रों को विज्ञापन

247. श्री रणजीतसिंह (ओसियां): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद किन-किन समाचार पत्रों की सरकारी विज्ञापन देने के विषय में मान्यता रद्द की गई और किन किन समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में पत्रों की श्रेणियों में कब-कब क्या-क्या परिवर्तन किया गया और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(जन सम्पर्क मंत्री)

उत्तर

आपातकालीन स्थिति के बाद राजकीय विज्ञापनों के लिये 115 समाचार पत्रों की मान्यता रद्द की गई। सूची 'क' संलग्न है। मान्यता रद्द करने के मुख्य कारण अनियमितता, अपर्याप्त प्रसार, पत्रकारिता तथा भाषा का निम्न स्तर रहा है। जिन समाचार पत्रों की श्रेणियों में परिवर्तन किया गया उनकी सूची 'ख' संलग्न है। श्रेणी परिवर्तन पत्र के स्तर, नियमितता आदि के आधार पर किए गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दि. 22-3-76)

ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा नई मंडी के लिये खरीदी गई भूमि

126. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट पंचायत समिति, जयपुर की ग्राम पंचायत चांदसेन ने नई मंडी के निर्माण हेतु जो भूमि कृषकों से खरीदी थी उसका नामान्तरकरण अभी नहीं हुआ है? क्या कुछ भूमि ऐसी भी है जिसे पंचायत ने खरीद तो ली लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है? कृपया पंचायत द्वारा खरीदी गई कुल भूमि का बेचने वाले के नाम सहित ब्यौरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंडी हेतु खरीदी गई भूमि में से सरपंच ग्राम पंचायत चांदसेन ने बिना अन्य लोगों को सूचित किए तथा बिना नीलामी कार्यवाही किए अन्य लोगों को एडवांस लेकर देने का वायदा किया है, जिसके बदले में सरपंच द्वारा रुपयों की रसीद व स्टाम्प लिख कर दिए हैं? यदि हां, तो किस-किस को? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत इस प्रकार एडवांस लेकर भूमि का सौदा कर सकती है? यदि हां, किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो सौदा करने वाले सरपंच के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों को सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त एडवांस ली हुई धनराशि वापिस की है? यदि हां, तो किस-किस को तथा कितनी?

(5) क्या सरकार सारे मामले की शीघ्र जांच करवाएगी? यदि हां, तो कब से? यदि जांच प्रारम्भ हो गई तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त एडवांस बेचान की कुछ रसीदें विभागाधिकारियों को प्राप्त भी हो गई हैं? यदि हां, तो कितनी?

(7) क्या यह सही है कि बेचान की रसीद व स्टाम्प जिला अधिकारियों को प्राप्त होने पर भी उक्त सरपंच को आज तक मुअत्तिल नहीं किया गया? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक कर दिया जावेगा?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दि. 22-3-76)

औद्योगिक केन्द्र कुचामन रोड

129. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि कुचामन रोड में एक औद्योगिक केन्द्र चल रहा है जिसमें एक ही परिवार कन्हैयालाल साबू व उसके बेटे श्री. पी. साबू, आर. पी. साबू आदि हैं और उन्होंने एक ही केन्द्र को आठ नामों पर बांट रखा है जिसके कारण वे अपने मजदूरों की हाजरी इधर-उधर बदलते रहते हैं और जब चाहते हैं मजदूरों को निकाल देते हैं ?

(2) उपरोक्त उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में अलग-अलग नामों पर किस-किस वस्तु का कितना-कितना कोटा प्राप्त किया है और उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

(3) क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी कि उपरोक्त उद्योग, जो कि आठ नामों पर कार्य कर रहा है, को एक स्थान है और वह कोटा लेकर ब्लेक में बेचता रहा है और अपने मजदूरों को बिना किसी कारण के सेवा से मुक्त करता रहा है ?

उत्तर

(1) साबू परिवार के छः उद्योग, उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं। जानकारी के अनुसार साबू परिवार का वैधानिक विभाजन 1954 में हो चुका है। ये सब उद्योग कुचामन रोड, माल गोदाम के पास स्थित हैं, किन्तु सभी पृथक्-पृथक् रजिस्टर्ड फर्मों द्वारा चलाये जाते हैं। इनकी अलग-अलग सीमायें कारखाना अधिनियम व अन्य प्रावधानों के अनुसार भी पृथक्-पृथक् हैं। ऐसी जानकारी नहीं है कि मालिक मजदूरों की हाजरी इधर-उधर बदलते हैं और मजदूरों को निकालते हैं। इस सम्बन्ध में कोई विवाद विचाराधीन भी नहीं है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्त छःओं उद्योगों की अलग-अलग सीमायें, कारखाना अधिनियम व अन्य प्रावधानों के अनुसार पृथक्-पृथक् हैं। इनके द्वारा प्लेटों को ब्लेक में बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जांच की गयी थी। जांच के दौरान कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया। मजदूरों को बिना किसी कारण सेवा निवृत्त करने का कोई विवाद विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—12 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्री मीठालाल व मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा, ने अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह द्वारा आत्महत्या के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार ग्राह्य नहीं है

(श्री उपाध्यक्ष)
किन्तु मैं चाहूंगा इस मामले में राज्य सरकार दिनांक 30 मार्च 1976 को सदन में एक वक्तव्य दे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री फूलचंद जैन : वैसे स्थगन प्रस्ताव तो हम नहीं दे सकते और जो आपने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है लेकिन यह महत्वपूर्ण मसला है, अगर मुख्य मंत्री इस पर आज सदन में कुछ प्रकाश डाल सकें तो कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है वह दूर हो सकता है। हम सोचते हैं कि इससे कई बातों का निराकरण हो जाएगा और माननीय सदस्यों की गलत फहमी दूर हो जाएगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में अलवर महाराज कुमार की मृत्यु को लेकर काफी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। क्या बात हो गयी, महाराज कुमार प्रतापसिंह की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में अगर राज्य सरकार की तरफ से आज ही जवाब हो जावे तो उचित होगा।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के बजाय अगर राज्य सरकार कल इसके बारे में जवाब दे दे तो क्या बात है। कल हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजाखेड़ा जिला भरतपुर में ग्राम देवदासपुरा में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम देवदासपुरा, थाना राजाखेड़ा, जिला भरतपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्यमन्त्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रद्युम्नसिंह विधायक द्वारा प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं:—

दिनांक 11–3–76 को डाकू हर विलास द्वारा पुलिस थाना शमशाबाद, जिला आगरा पर हमला किया गया। जिला आगरा का एक पुलिस दल राजस्थान के राजाखेड़ा थाने के क्षेत्र में आया और ग्राम देवदासपुरा, बसई, जिलायारा एवं दगड़ा में दिनांक 12–3–76 को दबिस दी।

ग्राम देवदासपुरा से 10 व्यक्तियों को आगरा पुलिस ने पकड़ा और थाना शमशाबाद ले गये। इनमें से तीन व्यक्ति परसराम, बेदरिया और परितराम को धारा 307 ताजीरात हिन्द 36/43 डी. आई. आर. के अन्तर्गत चालान न्यायालय आगरा में प्रस्तुत कर दिया गया। शेष सात व्यक्तियों को दिनांक 15–3–76 को छोड़ दिया जाना मालूम हुआ है।

दिनांक 12–3–76 को ही ग्राम बसई सीयाराम में से सर्व श्री ब्रह्मचारी, सीया-

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

राम, श्रीमती माया, श्रीमती मीना को उत्तरप्रदेश पुलिस ने पकड़ा। ब्रह्मचारी व सीयाराम को थाना शमशाबाद से धारा 307 ताजीरात हिन्द व 36/43 डी.आई.आर. में गिरफ्तार कर आगरा भेज दिया गया एवं श्रीमती माया व मीना को नम्बर, 35/76 धारा 302/365/368 ताजीरात हिन्द थाना शमशाबाद में गिरफ्तार कर बाद में आगरा अदालत में भेजना मालूम हुआ।

दिनांक 12-3-76 को ही ग्राम दगरा में आगरा पुलिस ने भोका गूजर व चिरौंजी मल्लाह को पकड़ा जिनमें से भोका गूजर के विरुद्ध धारा 307 ताजीरात हिन्द 36/43 डी.आई.आर. में चालान करना मालूम हुआ एवं चिरौंजी मल्लाह को दिनांक 15-3-76 को थाना शमशाबाद पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाना मालूम हुआ।

राजस्थान पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। इन गिरफ्तारियों के समय किसी भी प्रकार की सम्पत्ति ले जाना व औरतों की इज्जत लूटा जाना नहीं पाया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कुछ सवालात पूछना चाहूंगा। पहला तो यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो हरकत ग्राम देवदासपुरा, बसई, घोयाराम एवं दगड़ा में की गई है उससे आप सन्तुष्ट हैं ? इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना पुलिस को इत्तिला दिये राजाखेड़ा हल्के के गांव देवदासपुरा, बसई और घोयाराम और दगड़ा में जो कार्य किया है वह न्यायसंगत है ? क्या उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं के अन्तर्गत कोई वारन्ट थाना राजाखेड़ा में अथवा वहां की पुलिस को उन लोगों के खिलाफ में बताये ? क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी आमद रोजनामचा में दर्ज कराई जो कि होना बहुत कानूनी है ? इस तरह से 400-500 पुलिस के लोग एक फौज की तरह आकर डाकुओं का पीछा करते हुए देवदासपुरा, बसई और ग्राम घोयाराम की जनता को मनचाहे रूप से पकड़ कर ले गये। वहां से 10 आदमी और औरतों को पकड़ कर ले गये। इन लोगों के खिलाफ 307 की कार्यवाही की गयी उनके खिलाफ में डी. आई. आर. के तहत केसेज बनाये इसमें कुछ लोग घोयाराम और देवदासपुरा के थे। ग्राम देवदासपुरा, बसई, घोयाराम एवं दगड़ा में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लूटपाट की गयी। आपकी राजस्थान की पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के इस प्रकार के निकम्मेपन के कार्य के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की। बिलकुल निष्क्रिय की तरह देखती रही। वहां पर औरतों को बिलकुल नंगा कर खड़ा कर दिया। इस प्रकार से औरतों के साथ कार्यवाही करें और वहां राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं करे यह कहां तक उचित है ? इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक आक्रमणकारी की तरह आकर लूटपाट की। मैं वहां के निर्वाचन क्षेत्र से जन प्रतिनिधि हूं मेरा फर्ज हो जाता है कि वहां पर जो घटनायें घटीं उनके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दस आदमियों को पकड़ कर ले जाना और

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बाद में उनमें से सात आदमियों को छोड़ देना और तीन औरतों के खिलाफ में कार्यवाही करना यह क्या मखौल है? चाहे जिसको पकड़ कर ले गये और बाद में चाहे जिसको छोड़ दिया। बाकी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की उनमें, उपाध्यक्ष महोदय, औरतें हैं। उनको सरे आम इज्जत लूटी गयी। उन्हें मादरजात कर दिया। यह बात हुई जब कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सी. आर.पी.सी. के प्रोसीजर के तहत पहले पुलिस थाने में आकर आमद दर्ज करानी चाहिये थी। वारन्ट बताना चाहिये था। बिना वारन्ट आप कैसे पकड़ कर किसी को भी ले जा सकते हैं? आपको इन सभी बातों को गम्भीरता से लेना चाहिये और उन लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करनी चाहिये। इसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिये। इसके लिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है, खैर मुख्य मंत्री जी के पास तो बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन राज्य मन्त्री जी गृह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह खुद वहां चलें और वहां की जनता से जांच करें कि जो मैंने कहा वह सही है या नहीं। अगर मैंने कोई भी गलत बात कही हो तो आप मुझे जो चाहें सजा दें। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ इस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया उससे आप सन्तुष्ट हैं क्या? क्या इन सभी बातों को गम्भीरता से सोच कर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ में कोई कार्यवाही करेगी या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है वह बहुत ही गम्भीर बात है। उन्होंने वहां की जनता को भावनाओं को यहां सदन में प्रस्तुत किया उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता। इसके लिये मैं तथ्य की जानकारी फिर से और कराऊंगा और इसके लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी की जायेगी। उसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के इस प्रकार के बर्ताव के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को भी पत्र लिखूंगा और हाईएस्ट लेवल पर इस प्रकार की गम्भीर स्थिति के बारे में कार्यवाही करूंगा। इसके अलावा तो मेरे पास कोई चारा नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि उनके पास चारा नहीं है, यह गलत है। उनके पास चारा है। वह कार्यवाही खुद अपने लेवल पर कर सकते हैं आपने खुद ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ग्राम देवदासपुरा से दस व्यक्तियों को पकड़कर ले गई और बाद में उनमें से 3 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिना पुलिस में आमद दर्ज कराये यह कार्यवाही की है आप उनके खिलाफ में दफा 342 ताजीरात हिन्द के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखें। उसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज करने चाहिये। आपको देखने की जरूरत है कि यू.पी. की पुलिस ने आपके इलाके के लोगों

Page No 44

(५५)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के खिलाफ में डी. आई. आर. के मुकदमे बना दिये और आपके राजस्थान के राजाखेड़ा थाने में उसके बारे में कोई वारन्ट, कोई आमद, कोई कार्यवाही नहीं। यह क्या मखौल है कि औरतों की इज्जत लूट लें। आपको चाहिये कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ में वहां पर लूटपाट करने, औरतों की इज्जत लूटने तथा गैर कानूनी तौर पर वहां से लोगों को पकड़ कर ले जाने व बाद में उन्हें छोड़ देने के लिय दफा 342 के तहत कार्यवाही केस रजिस्टर करके करनी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं खुद मानता हूं कि अगर यह स्थिति सही है तो काफी गम्भीर घटना है। इसके लिये राज्य सरकार काफी गम्भीरता से कार्यवाही करेगी। इसकी फिर से जानकारी की जाकर कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप विराजिये। श्री गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर राजस्थान की भी सीमायें हैं और वह सीमायें न केवल उत्तर प्रदेश से ही लगती हैं बल्कि वह मध्य प्रदेश से, हरियाणा, गुजरात से भी लगती हैं। इस प्रकार की कार्यवाही आज तो उत्तर प्रदेश की पुलिस करके चली गयी, कल के दिन हरियाणा की पुलिस यह कार्यवाही कर सकती है। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राजाखेड़ा की जनता के साथ बर्बर अत्याचार किया यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन का खेल हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में डाकू लोग डाका डाल करके चम्बल की घाटी में चले जाते हैं। उन डाकुओं के बदले में वहां की पुलिस हमारे यहां की जनता के साथ इस प्रकार का अमानवीय वर्ताव करे, यह उचित नहीं है। इसलिये मेरा मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाओं की दूसरे राज्यों द्वारा पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सख्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ में मुस्तैदी से की जानी चाहिये। इस प्रकार से दस को पकड़ कर ले जाना और फिर तीन को छोड़ जाना, उसके अलावा औरतों के खिलाफ में डी.आई.आर. के तहत केस बनाना यह बहुत ही सोचने की बात है।

मुख्य मंत्रीजी ने जैसा आश्वासन दिया है, इस पर वे सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। यू.पी. से बातचीत करें तो अच्छा रहेगा।

श्री भीमराज (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है कि यू.पी. पुलिस इस प्रकार हमारी सीमा में घुस कर अत्याचार कर रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको सख्त से सख्त इसके लिये कार्यवाही करनी चाहिये ताकि आगे ऐसी स्थिति न हो। सीमायें हरियाणा से मिलती हैं, पंजाब से मिलती हैं और मध्य-प्रदेश से मिलती हैं, गुजरात से मिलती हैं, इस प्रकार की स्थिति रही तो हमारी सीमायें खतरे में पड़ जायेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : इसी पोइन्ट पर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक तरीके से लिया है। मैं अर्ज करूं कि यह घटना केवल माननीय सदस्य के ही क्षेत्र में हुई हो ऐसी बात नहीं है। रोज होती हैं ऐसी घटनायें। विशेष तौर से पंजाब की पुलिस तो मानी हुई धाकड़ पुलिस है। जब भी वहां पर पुलिस आती है कई घटनायें वृहत रूप से होती हैं और न राजस्थान की पुलिस से और न अधिकारियों से इजाजत लेने की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश और यू.पी. के चीफ मिनिस्टर्स से इस पर बातचीत करनी चाहिये। और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री से भी इस पर बातचीत करनी चाहिये।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

शिक्षा मंत्रीजी।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1976) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

Page No 46

(46)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1976) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4), विधेयक 1976।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में अगले साल का बजट पास कर रहे हैं। यह बजट उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन परिस्थितियों में पेश किया गया है जब हमारे देश में इमर्जेन्सी लागू हुई, और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्रीजी ने पेश किया ताकि गरीबों को राहत मिले, उनको रोजगार मिले, बेरोजगारों की बेकारी और बेरोजगारी दूर हो।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हमको इस बजट को उस संदर्भ में देखना चाहिये कि इस बजट में कहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम की पूर्ति हुई है। माननीय चन्दनमल जी की मैं तारीफ करूंगा कि इस साल में राज्य को बकाया की उन्होंने वसूली की है और कामयाबी हासिल की है। ग्राम तौर से लोग कहते हैं कि ऊपर राम है और नीचे राज है। यह काया राम की है और यह माया राज की है। यह काया राम के पास जाने वाली है। भगवान जाने कब जावेगी लेकिन माया धीरे धीरे राज्य के पास जा रही है। जिस तरह की प्राइसेज डाउन हुई हैं, उनके हिसाब से वसूली कम होनी चाहिये लेकिन उसके कम्पेरिजन में वसूली ज्यादा हुई है। हमारे राज्य पर ओवर ड्राफ्ट भी नहीं है और बेलेन्स्ड बजट है। दो तीन साल से जैसी परिस्थितियां हैं वैसी हैं, चाहे मंहगाई कम हुई हो। हमें इस बात को उसी लाइट में लेना चाहिये। जनता की जो आकांक्षाएं हैं और जैसा कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने गरीबों को बचाने के लिये, उनको राहत देने के लिये, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के दौरान में जिस रोज बोलने का मुझे मौका मिला, मैंने यह समझाने की कोशिश की कि इस बजट के द्वारा जनता की आकांक्षाओं की राज्य सरकार कहां तक पूर्ति करना चाहती है। यह एलान किया गया कि $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि मार्च तक बांट देंगे जिससे 40 हजार परिवारों को फायदा हो सकेगा। इसके अलावा हमारी $2\frac{1}{2}$ करोड़ की आबादी है, उसमें से 80 परसेन्ट ऐसे लोग हैं जो केवल खेती पर निर्भर हैं। ऐसे लोग हैं जिनको मुश्किल से दो वक्त खाना मिलता है। इस बजट में, आपने उनके लिए क्या रखा है? पिछले साल के बजट को देख लीजिये और इस साल के बजट को देख लीजिये। जो सुविधा है उनके अलावा कोई भी उनको सुविधा नहीं मिली है। वही नल, और वही पानी की सुविधायें हैं जैसी पहले थीं। इस 20 सूत्री प्रोग्राम के इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस बजट में कोई बात नजर नहीं आयी। जमीन के लिए तो कहा है कि $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ जमीन और बढ़ गयी। 225 बीघा कुल सिंचित भूमि आपको सीलिंग में प्राप्त हुई है। उसका बंटवारा कर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम का कौनसा कार्यक्रम आपने इस बजट के प्रोग्राम में रखा है जिससे उन गरीबों को राहत मिल सके?

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप यह एलान करते हैं कि प्रत्येक परिवार को, जिसके पास धन्धा नहीं है, जो बेकार बैठे हैं, आप धन्धा देने जा रहे हैं, काम देने जा रहे हैं तो मैं उस बात को मान सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इसका इस बजट में कतई जिक्र नहीं है। गरीबी मिटाना चाहते हैं लेकिन बेकार आदमियों की बेकारी को दूर करने के लिए आपने क्या लक्ष्य रखा है और किस हद तक आप इस बजट के द्वारा उनको बेकारी को दूर कर रहे हैं? इसलिए गांवों के अन्दर बेकार आदमियों के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए और ग्रामोद्योग खोलने चाहिएं। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महो-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दय, इस बात पर विचार करें। यह लक्ष्य होना चाहिए कि जिन परिवार के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई धन्धा नहीं है और जिनके पास दो दो बीघा जमीन है, उतनी सी जमीन से वह अपने परिवार का पेट पालन नहीं कर सकते उनको सरकार धन्धा दे। इसके लिए सिर्फ यही तरीका है कि गांवों में ग्रामोद्योग पनपाये जायें। आज गांवों में लोग बेकार घूमते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ ग्रामोद्योग ही उनको रोजगार में लगा सकते हैं। हमारे यहां से जब से ग्रामोद्योग खत्म हो गये तब से हमारा मुल्क गरीब हो गया, हमारे गांव गरीब हो गए। गरीबी को दूर करने का कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि ग्रामोद्योगों को हम दुबारा से पनपायें। मैं इस बारे में गांधी जी की और दूसरे लोगों की अनेक बातें बता सकता हूं जिन्होंने यह कहा है कि गरीबी को दूर करने का इसके सिवाय दूसरा चारा हो ही नहीं है।

अब आबादी बढ़ती जा रही है और खेती की जमीन कम होती जा रही है गांवों में काश्तकारों के पास दो, तीन बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। हमने भी जो जमीन दी है वह दो, तीन बीघा से ज्यादा नहीं दे पाये हैं। इतनी सी जमीन से कितना प्राडक्शन हो सकता है? इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। बिजली और पानी की सुविधायें हैं, अच्छे बीज हैं तो यह साधन होने से अब हम उस जमीन से जितनी पैदावार करते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। बारानी जमीन में एक फसल होती है और सिंचित क्षेत्र में दो फसलें होती हैं। हम अच्छी व्यवस्था करें तो उससे चार गुना पैदा कर सकते हैं। प्राडक्शन बढ़ेगा तो हमारी बेकारी दूर होगी और फिर गरीबी भी दूर होगी।

दो बातें उद्योग और खेती के लिए मैंने अभी निवेदन कीं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम गांवों के अन्दर गरीबी को दूर कर सकते हैं। जैसे एक बाप के पास 50 बीघा जमीन है और उसके 5 बेटे हैं तो हर एक के दस-दस बीघा हिस्से में आती है और उसके बाद और बच्चे पैदा हो गए तो एक एक या दो दो बीघा जमीन ही उनके हिस्से में आयेगी। आबादी बढ़ती जा रही है इसको रोकने के लिए उस समय भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हमें सख्त कदम उठाने चाहिए जैसे पंजाब और हरियाणा ने उठाये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बढ़ती आबादी की बात बहुत चिन्ता की बात है और हम जितनी प्रगति करते हैं वह बढ़ती आबादी के साथ खत्म हो जाती है। इसलिए इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यही बात शराब बन्दी के बारे में लागू होती है। मैं उन शराब पीने वालों के लिए नहीं कहता जो कि समृद्ध परिवार के हैं और जिनके यहां शराब पीना फैशन हो गया है। गरीब परिवार में शराब पीना बहुत दुखदायी है। मेरे पड़ोस में एक हरिजन बैठता है वह हाल ही में मर गया। वह जितना कमाता था शाम को शराब पी आता था। अमीरों को तो आप छूट दे दें शराब पीने के लिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

क्योंकि उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता लेकिन गरीब परिवारों के लिए आपको जरूर व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि उनके घरों में खाने को भी नहीं है और बच्चे परेशान होते हैं। गरीबी का कारण यही है कि उनकी सारी कमाई शराब में खतम हो जाती है। मैं उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी का जवाब सुन रहा था। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह बात भारत सरकार को देखनी चाहिए और उसे कुछ न कुछ करना चाहिए।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा। भिक्षावृत्ति के बारे में मैं यही कहूंगा कि भिक्षावृत्ति ऐसी दिलचस्प और लज्जाजनक बात है कि जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा निकल आया हो। जो लोग खाना खाते हैं और भूठन छोड़ देते हैं भिखारी उसको बैठ कर चाटता है। आखिर मनुष्य को हम भगवान का अंश मानते हैं। आदमी ही परमात्मा है। यह हमारे लिए कलंक की बात है। इसके लिए दिल्ली में भी कदम उठाये गये हैं और भिक्षा-वृत्ति को रोकने के लिए वहां लोगों को काफी संख्या में गिरफ्तार भी किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो आदमी काम नहीं कर सकते उनको आप बेगर होम में रखें और जो काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भिक्षा को रोकने के लिए अपने बजट में कोई ऐलान नहीं किया कि इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं। हमारे गांवों में कोई मर जाता है तो दो-दो और चार-चार गांवों को लोग खिलाते हैं और कानून होते हुए भी वह कन्टीन्यू हो रहा है। जो प्रोडक्शन का जरिया था वह को-आपरेटिव थी या पंचायत समिति थी। को-आपरेटिव के फण्ड्स का बहुत मिसयूज किया गया और आज को-आपरेटिव इसी कारण इफेक्टिव नहीं हैं। हम समझते थे कि इनके माध्यम से हमारे यहां प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम गरीबी को दूर करेंगे लेकिन उसमें को-आपरेटिव नाकामयाब हुई हैं। उसका कारण यह है कि जिन को-आपरेटिव सोसाइटीज में भ्रष्टा-चार है और गबन है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही या एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में आपको बताऊं कि यू. पी. ने हाई पावर कमेटी अपाइन्ट करके सारी संस्थाओं का मुआयना करवाया और एक हजार आदमी गिरफ्तार किये। इसके कारण बहुत सा रुपया जमा हो गया। हमारे यहां भी राजस्थान सरकार को हाई पावर कमेटी अपाइन्ट करनी चाहिये, को-आपरेटिव और पंचायत समितियों के फण्ड्स को देखना चाहिये। जब हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे गांव, स्कूल, पंचायतें और को-आपरेटिव हमारे विकास के मूल भूत स्रोत होंगे। अब यह मूलभूत स्रोत ही समाप्त हो जायेंगे तो फिर विकास कहां से होगा? इसलिए सरकार को बिना किसी लिहाज के हाई पावर कमेटी अपाइन्ट करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आर्थिक क्रांति कैसे होगी? को-आपरेटिव सारे गांव का उद्धार कर सके, नये उद्योग धंधे लगा सके और खेती के काम में मदद कर सके इसकी ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे और भी बहुत सी बातें अर्ज करनी हैं लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं आपसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मूल बातें हैं जिनके बारे में और स्टेट्स में कदम उठाये गये हैं वे राजस्थान में नहीं उठाये गये हैं, उनके लिए अब कदम उठाने चाहिए। जैसे दहेज की बात है, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार की बात है, प्राडक्शन की बात है, खेती को पैदावार बढ़ाने की बात है और इसी तरह की बातें हैं, जिनके ऊपर प्राप्ति निर्भर है, उनकी तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था। अब नहीं तो आइन्दा के लिए इस बात का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा विस्तार में न बोल कर केवल माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी और पंचायत मंत्रीजी से दो बातें निवेदन करनी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जल वितरण के मामले में, पानी के, जन स्वास्थ्य के फण्ड के वितरण के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि कहां ज्यादा खर्च किया जा रहा है और कहां कम किया जाता है। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि किसी प्रभाव में आ करके या क्षेत्रीय प्रभाव में आ करके राशि का वितरण न करें। आवश्यकता के अनुसार, जहां भी आवश्यकता हो, वहां उसी ढंग से करें। जयपुर जिले में गत बार जितनी योजनाएं शुरू की थीं उन योजनाओं में से अधिकांश जल योजनायें केवल तीन तहसीलों में शुरू कीं और बाकी जो 14 तहसील हैं उनमें स्वीकृति नहीं दी, यह बड़े दुःख को बात है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जैसे जयपुर जिले में दो-चार तहसीलों की जल योजना शुरू की उसी तरह से सारी तहसीलों के अन्दर शुरू करें। लालसोट मंडावरी की स्वीकृति दी है उसके लिए तो धन्यवाद है लेकिन रामगढ़, बछवारा, डीडाबना ऐसी कई योजनायें हैं जिनकी ढाई पर्सेन्ट धन-राशि जमा है, उनके सम्बन्ध में भी यह जल योजना शीघ्र शुरू करावें।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायत के मामले में मुझे माननीय मंत्री जी से जरूर निवेदन करना है और वह यह है कि आज की स्थिति में, आज के समय में पंचायत विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, काफी समय से चुनाव नहीं होने के कारण जो भ्रष्टता व्याप्त हो गई है, उसके बारे में माननीय मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट तहसील की पंचायत समिति की प्रोसीडिंग्स का सवाल चला था कि अधिकारियों ने, जो जनरल मीटिंग्स हुईं उनकी प्रोसीडिंग्स बदल दीं और निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स को बदला और अपने ढंग के नए प्रस्ताव ले आए। यह जनतंत्र में बिल्कुल अनहोनी बात है। माननीय मंत्रीजी, एक तो पंचायती राज के चुनाव नहीं होना पहले ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर पंचायत समिति लालसोठ में कई लोगों को नाजायज तौर पर पैसा दिया है जिसकी संख्या लाख

(श्री मीठालाल मीणा)

के लगभग है लेकिन आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। बार-बार पंचायत समिति को लिखा जाता है, जिला अधिकारी लिख देते हैं लेकिन आज तक कोई वसूली नहीं हो रही है।

दूसरी बात एक, माननीय उपाध्यक्षजी, आज प्रश्न एक स्थगित किया गया है। ग्राम पंचायत खानसिंह के छः हजार रुपये पंचायत समिति द्वारा लिए जाते हैं। पंचायत समिति से यह रुपया दिया गया है। माननीय मंत्रीजी तो सुनेंगे नहीं, वह प्रश्न टाल गए हैं लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो छः हजार रुपया दिया गया है, वह जिन सरपंचों को दिया है उन सरपंचों से मय ब्याज के वसूल तो कर लीजिए। वसूल करने के अतिरिक्त वह जिस काम के लिए दिया गया है वह काम हुआ नहीं है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग भ्रष्ट हैं, उन लोगों को पंचायत समिति से हटायें और शीघ्रातिशीघ्र इनके चुनाव करायें। साथ ही इन मामलों में कानूनी कार्यवाही की जावे।

मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी बैठे थे लेकिन वे चले गए हैं क्योंकि वे कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं यहीं पर था, बाहर नहीं गया था। मैं आपकी बात पूरी सुन रहा था, आप कहिए। मैं आपकी हर बात को सुन रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में यह निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में प्रशासन को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यह समझता हूं कि तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय का पुनः निर्धारण किया जावे। यह अति आवश्यक है। इस बारे में यही निवेदन करना चाहता था कि इस सत्र में और पहले भी कई दफा गत सत्रों में भी मैंने प्रश्नों के द्वारा यह मामला सदन में उठाया है। राजस्थान में बहुत से जिले ऐसे हैं, जिनमें तीन चार तहसीलें हैं और बहुत कम आबादी है। कुछ सब डिविजन, ऐसे हैं जैसे दौसा सब डिविजन ही है कि जिसमें चार तहसीलें हैं और जिसकी आबादी भी बहुत बड़ी है। सब डिविजन दौसा जयपुर जिले का ऐसा कस्बा है कि जिसमें सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर आपका विद्युत, पानी, कालेज, यातायात बाई रेल एण्ड रोड्स वह सब मुहैय्या हो जाते हैं। साथ ही साथ लॉ-डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट ने भी यह माना है तथा उसका जिला स्तर मान कर वहां ए.डी.जे. की कोर्ट स्थापित की है। जब तीन तीन तहसीलों के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वही कलेक्टर है, वही जिला लेवल के अधिकारी हैं, कुछ कम लोगों के लिए ज्यादातर वही प्रशासन है जो बड़े जिलों के लिये है तो सबका एक जैसा प्रशासन हो, सबको उतनी ही मुहैय्या हो प्रशासन की मशीनरी जैसी कि जयपुर जिले जैसी भीमकाय जिले के लिए है। तो इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा जिला, जयपुर शहर जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है उसके लिए भी वैसा है जैसा कि राजस्थान के

(श्री मूलचन्द डागरिया)

दूसरे छोटे से जिलों के लिए है तो क्या जयपुर जिले को इफेक्टिव प्रशासन और शीघ्र न्याय मिल सकता है और प्रशासन की तरफ से क्या इस तरह का न्याय मिलना संभव हो सकता है जितना कि छोटे जिलों को मिलता है? इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से देखते हुए जयपुर जिले को दो टुकड़ों में विभाजित करें। जयपुर जिले को, मिसाल के तौर पर, आबादी के साथ साथ सब डिविजन दौसा की आबादी, भूमि, कृषि योग्य भूमि, लगान और इसके पशु धन आदि आदि को देखते हुए अगर एक दौसा जिला बनाने के साथ साथ उसके अन्दर दो तीन तहसीलें और मिलाई जावें तो कम से कम दस तहसीलों का एक जिला अलग हो सकता है। फिर भी जयपुर जिला बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले को दो हिस्सों में बांटा जाए। फिलहाल मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दौसा के वर्क को देखते हुए ए.डी. एम. की कोर्ट की व्यवस्था के साथ साथ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि जितने भी मामले होते हैं उन में हर मामले में सब डिविजन की जनता को, जो एक तरफ सवाईमाधोपुर से मिला है और दूसरी तरफ अलवर डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है, एक छोर से दूसरे छोर तक हर मामले में जयपुर आना पड़ता है। इसलिए ए. डी. एम. और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को तुरन्त दौसा में स्थापना करने की मांग करता हूं।

सहकारिता की दृष्टि से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आफिस दौसा में स्थापित करना निहायत जरूरी है। आज सरकार ने डेयरी विकास के लिए योजना बनाई है उसी के साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि जहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर का कार्यालय दौसा में खोला गया है उसी के बराबर और उसी के मुकाबले का वेटरनरी वाला कार्यालय, जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय भी स्थापित किया जावे। पुन: निवेदन करूंगा, दौसा में खासतौर पर जिला पशु पालन अधिकारी का कार्यालय तुरन्त खोला जावे।

इसी तरह से दौसा हास्पिटल में मरीजों की संख्या है और जितनी दूरी से लोग वहां पर आते हैं उसको देखते हुए और जयपुर में जिस तरह से हास्पिटल्स में लोगों का प्रेशर रहता है उस तरह से मरीजों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि दौसा हास्पिटल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रमोन्नत किया जावे। और दौसा हास्पिटल में बीस 25 हजार रुपये खर्च करके नगर-पालिका ने पांच-सात साल पहले एक एक्स-रे की मशीन मुहैया कराई थी। उसके अन्दर कुछ मामूली सी खामी है जिसकी वजह से चालू नहीं है और एक्स-रे प्लेट भी आज तक नहीं निकली है। यह सब होने के बावजूद, जब कि स्वास्थ्य मंत्राजी ने लगातार इनके बारे में एश्योरेंस दिया था सदन में और यह आशा की जाती थी कि उनके आश्वासन के बाद एक्स-रे मशीन चालू हो जावेगी, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी है।

इसके साथ साथ वहां पर एन. सी. डब्ल्यू. को अपग्रेड करने की आवश्यकता

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है । दौसा के आस पास ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां पर यह सुविधा हो जहां पर छोटे बच्चों की देख रेख हो सके । आसपास कोई दूसरा मैटरनिटी हास्पिटल नहीं है ।

इन सब के साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ केसेज ऐसे आते हैं कि जो पागल कुत्ते के काटे हुए होते हैं। उनके बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत चार पांच फरवरी को, या मिडिल आफ दी फरवरी एण्ड बिगनिंग आफ दी मार्च के बाद पागल कुत्तों ने जिनको काटा उनके लिये जो एण्टीरेबिक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी जयपुर को गई, एस. एम. एस. हास्पिटल के अन्दर भी एन्टी-रेबिक इंजेक्शन नहीं है । फिर यह भी जानकारी की गई, कि क्या इसका कोई सब्स्टीट्यूट है । यह इस प्रकार की बीमारी है कि पागल कुत्ते का काटा हुआ खुद भी पागल होकर मरता है । ऐसी भयंकर बीमारी के लिये क्या कोई दूसरा सब्स्टीट्यूट हो सकता है तो डाक्टरों ने कहा कि इसका कोई सब्स्टीट्यूट नहीं है और इस समय अवेलेबल भी नहीं है । यह स्थिति आज तक की है, यह बहुत गंभीर स्थिति है । एक बार घटना हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है और यह औषधि गवर्नमेन्ट लेवल पर ही मिलती है, बाजार में नहीं मिलती है । और इसका कोई सब्स्टीट्यूट नही है तो सरकार इस ओर ध्यान दे । यह गम्भीर बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जब कभी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की बात की है मैंने निवेदन किया है कि जयपुर के कालेजों में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है । स्थानीय लोगों को कम पैसे में शिक्षा मिल सके इसके लिए यह जरूरी है कि आस पास के इलाके में जितने कालेज हैं और जिनमें अच्छी संख्या में विद्यार्थी हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट में बदलने की योजना सरकार की थी किन्तु किन्हीं कारणों से उस योजना को रद्द कर दिया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दौसा कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में क्रमोन्नत किया जाये । इसी तरह से दौसा माध्यमिक कन्याशाला भवन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । यह माध्यमिक कन्याशाला बाजार के बीच में स्थित है । आस पास मकान बने हैं और चारों तरफ गंदगी है । एक तरह से वहां का दृश्य नारकीय है । इसके बारे में भी सरकार को कई बार निवेदन किया है, प्रश्न के द्वारा ध्यान आकर्षित किया है । सरकार ने यह कहा कि जमीन तो ले ली है, और कन्या शाला भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है, वह वाजिब नहीं है । जब शहरों में सरकारी खर्च से····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में वार्ता न करें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : भवन बनते हैं तो इस भवन के लिए भी सरकारी कोष से रकम दी जाये । खास तौर से महिला वर्ष, महिला दशाब्दि वर्ष जब हम मना रहे हैं, तो कन्याशाला भवन की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कन्या शाला भवन का निर्माण किया जाना चाहिए । यदि कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो आंशिक रूप से लोगों

(श्री मूलचन्द सामरिया)

को क्षमता के अनुसार जुटायी जा सकती है। वहां की जनता की ओर से ही विद्यालय भवन बना दिया जाये यह तो बड़ा मुश्किल होगा और इससे देरी भी होगी। आज वहां पर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। जो स्थान है वह भी उपयुक्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो मिनिट। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीसलपुर योजना और ढूंढ़ नदी के बांध के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह उत्तर मिला है कि इलाका सर्वे करवा लिया गया है और इसकी फाइल भी कम्पलीट है। बीसलपुर की योजना बन जाती है तो जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ टोंक, अजमेर, ब्यावर के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि पहले जमुवा रामगढ़ के बांध से सिंचाई की जाती थी। सरकार ने इसको मजबूरी में जयपुर शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए रख लिया है। इसके फलस्वरूप किसानों को जो सिंचाई के लिए पहले पानी मिलता था, वह बन्द हो गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इसलिए इस योजना को भी आप शीघ्र पूरा करें ताकि जयपुर की भी पेयजल की समस्या शीघ्र हल हो। वर्तमान में यह नीति है कि पहले जयपुर शहर को पीने के लिए पानी देते हैं और उसके बाद यदि पानी बचता है तो उसको सिंचाई के लिए देते हैं। लेकिन होता यह है कि सिंचाई के लिए जो पानी देना होता है, उसका पहले सरकार से आदेश लेना होता है और दूसरा जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग के बीच पत्र-व्यवहार होता है। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं होने की वजह से इतना समय बीत जाता है कि सिंचाई का जो पीक टाइम होता है, वह निकल जाता है और उसके कारण पानी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सरकार एक पोलिसी निर्धारित कर दे अमुक मात्रा तक पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा बिना जन स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के सिंचाई विभाग बंधे का पानी नहीं लेगा। सिंचाई विभाग अमुक पाइन्ट तक पानी सिंचाई के लिए ले सकेगा। इस प्रकार की एक पोलिसी स्थायी आधार पर बना दी जावे तो सिंचाई विभाग पानी दे सकेगा और किसानों को भी लाभ होगा। इसके साथ ही यह तय कर दिया जाये कि दस साल तक इस बंधे का दस पर्सेन्ट पानी प्रति वर्ष सिंचाई के काम में लिया जायेगा जब तक कि जयपुर शहर के लिए पेय जल की कोई योजना पूरी नहीं हो जाती है। जयपुर शहर के लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक यानि दस साल तक दस पर्सेन्ट पानी इस बान्ध से सिंचाई के लिए दिया जायेगा।

दूसरा निवेदन सहकारी विभाग के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समिति दब्बी है। इसकी एप्लीकेशन पर जयपुर कोआपरेटिव बैंक से आपत्तियां निकाली गयीं। हर बार एक आपत्ति निकाल दी गई। दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी इस प्रकार आपत्ति निकाली गयी। अन्त में सब आपत्तियां ठीक होने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पर यह कम्पलीट हो गयी तो उनको मीटिंग में नहीं रखा गया और उस समय इसकी स्वीकृति दी गयी जब खाद का समय निकल गया था परन्तु साथ में यह जोड़ दिया गया कि इतना खाद लेना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की धांधली इस कोआपरेटिव बैंक में हो रही है। इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो उचित होगा। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में यह एक आम बात हो गयी है। इस तरफ मंत्री महोदय का या सरकार का ध्यान देना उचित है। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत विभाग की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका यह विभाग मनमाने तरीके से बिल बना रहा है कम से कम मार्च के महीने में तो इतनी गफलत हुई है कि 90 पर्सेन्ट लोग इससे तंग आ गये हैं, और बिलों का भुगतान करना लोगों की केपेसिटी के बाहर हो गया है। जहां दस, बीस के बिल होते थे, वहां पर सौ, दो सौ रुपयों के बिल आ गये और कई जगह हजार, पांच सौ के बिल पहुंच गये। स्थानीय गांवों में रि-कनेक्शन की भी गुंजाइश नहीं है। पूछने पर बताया जाता है कि जो बिल बन गया सो बन गया। इसकी दुरुस्ती एक्स. ई. एन. ही कर सकता है। यह जो नीति है, यह गलत है। मीटर सही चल रहा है कम कन्जम्पशन आया है, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हैं परन्तु जिस महीने में हाईएस्ट कन्जम्पशन होगा उसके अनुपात से बिल बना देंगे और उसका पेमेन्ट नहीं किया जायेगा तो कनेक्शन काट देंगे। इस विभाग में इस तरह की धांधली चल रही है। सरकार का कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं है। सरकार को इस तरफ शीघ्र ध्यान देना चाहिये। यह बिल इतना वजनी होता है कि उसका पेमेन्ट साधारण लोगों की क्षमता के बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करके मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को कम से कम कभी न कभी तो न्यायोचित तरीके से देखना चाहिये कि जयपुर जिले के दो टुकड़े कर दौसा को अलग से जिला बनाया जाय ताकि अन्य जिलों की तरह हमें भी इफेक्टिव, इमीडिएट प्रशासन की सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 4), विधेयक, 1976 पर विचार के समय मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो–तीन पाइन्टस् की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इनमें से एक तो यह है कि राजस्थान में जो बेकारी की समस्या है उससे वे स्वयं परिचित हैं। जो स्थानीय लेखा परिक्षण विभाग है, उसकी तरफ से करीबन 35 व्यक्तियों को, कर्मचारियों को पंचायत समितियों में अकाउन्टेन्ट बनाकर भेजा गया। उनकी बाकायदा नियुक्तियां हुई हैं। जैसे ही वहां से लेखा अधिकारी, जो राज्य स्तर के थे, नये आये तो उन सबको हटा दिया गया आज वे दर दर मारे फिर रहे हैं और यह कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन्स मांगी गई थी, हमारे साक्षात्कार हुए थे और

(श्री दीपंकर)

हमारी नियुक्तियां हुई थीं, तो फिर हमको क्यों हटा दिया गया? यह उनको कोई आज बतलाने वाला नहीं है। उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस तरह से तीस चालीस आदमी, जो पढ़े लिखे हैं आज बेकार घूमते फिर रहे हैं। चार्जेज उनके कुछ भी नहीं हैं। उनको प्राइवेट में यह बताया जाता है कि आपने जो नियुक्तियां लीं वह हजारों रुपये देकर कराई हैं और आप अपना स्टेटमेन्ट रिकार्ड करवाइये कि आपने कितने रुपये देकर नौकरी ली थी। इस तरह की जानकारी उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने कुछ दिया यह तो मुझको नहीं बताया लेकिन यह जरूर है कि वे आज बेकार हो गये हैं इस तरह से आदमियों को नहीं निकालना चाहिए था। अगर उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई तो उनकी ट्रेनिंग दिलवायी जानी चाहिए थी। यह एक बहुत ही अहम मसला पंचायत समितियों के अन्दर है। इसकी ओर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खीचना चाहता हूं।

(12.51 म. प.)

(श्री मीठालाल मीणा, सभापति, पीठासीन)

दूसरी बात मैं पेन्शनर्स के लिये निवेदन करना चाहूंगा। तृतीय वेतन आयोग ने भी पेन्शनर्स के लिये सिफारिश की है। आज उन लोगों की भी बढ़ी हुई आवश्यकताएं हैं और उनकी भी सामाजिक स्थितियां हैं। वृद्धावस्था के साथ जो लगी हुई बीमारियां हैं उनके इलाज के लिये उनको पैसों की आवश्यकता है। अभी भारत सरकार ने भी लोगों की पेन्शन और भत्तों में वृद्धि की है। उसी तरह से हमारे यहां पर भी वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ दिनों पहले उन पेन्शनर्स का एक सम्मेलन भी हुआ था। उसके अन्दर भी इस पर विचार किया गया था। जयपुर के अन्दर भी इस तरह के तीन चार हजार आदमी हैं। इसलिए जिन्होंने राज्य सरकार की और समाज की सेवा की है अपनी सेवा अवधि में उनकी पेन्शन और भत्तों के अन्दर वृद्धि की जानी चाहिए। जिस तरह से राज्य सरकार ने यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है कि जब भी भारत सरकार उनकी पेन्शन और भत्तों की दरों में वृद्धि करेगी तो वह भी करेगी। इसलिए वे भी यह आशा करते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ दो बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि राजस्थान में भारत सरकार की तरफ से 6 जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। सही मायने में देखा जाय तो हमारे यहां पर अधिकतर जन संख्या कृषि के धन्धे पर निर्भर करती है। भूमि पर अधिक भार बढ़ता जा रहा है और यह महसूस किया जा रहा है कि इसके सहारे पर सबका गुजारा नहीं हो सकता है। एक तरफ हम काश्तकार को अधिक अन्न पैदा करने के लिए कहते हैं, इसके साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को भी बढ़ावा देना चाहिए। वैसे बड़े उद्योग भी लगाये जाने चाहिए लेकिन बड़े उद्योग सरकारी स्तर पर ही लगाये जा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी, जो योजना मंत्री भी हैं, से निवेदन करूंगा कि

(श्री दीपंकर)

जिन जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया गया है उनके लिए यह कहना मात्र कि इतना हम पिछड़े हुए लोगों को लोन देंगे, इतनी सब्सिडी देंगे, कोई काम नहीं चलने वाला है। मैंने इस सदन के अन्दर एक प्रश्न के जरिये भी जानकारी मांगी तो यह कहा गया था कि इन जिलों में किस प्रकार की योजनाएं चल सकती हैं और किस प्रकार के प्रोजेक्ट सरकार अपने हाथ में ले सकती है, यह सब काम करने की कोशिश की जायेगी। यह बात तो सही है परन्तु राजस्थान के लोग बाहर जायं, बम्बई, कलकत्ता जाकर अपना पैसा लगाते हैं। राज्य सरकार ने एक पैम्फलेट, इन्फार्मेशन का वहां जाकर बांट दिया कि हम कितनी बिजली दे सकते हैं, कितनी जमीन दे सकते हैं और क्या रॉ-मेटीरीयल्स दे सकते हैं। केवल यह देने से काम नहीं चलेगा। वहां से लोग आते भी हैं और दो चार दिन भटक कर वापिस चले जाते हैं। वह यह कहते हैं कि आप हमको यह बताइये कि आप कितनी सुविधायें हमको देंगे क्या इन्ट्रेस्ट है कि हम वहां पर उद्योग लगायें। सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़े हुए जिलों के लिये कोई इस प्रकार की योजना नहीं बनाई गई है हमारे टेक्निशियनों के द्वारा जिससे कि लोग बाहर नहीं जाकर हमारे यहां पर उद्योग लगाने के अन्दर दिलचस्पी ले सकें। सभापति महोदय, नागौर जिले को भी पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है और वहां पर काफी रॉ-मेटीरीयल उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से वहां पर बड़े उद्योग लगाये जा सकते हैं। आज यह हो रहा है कि श्री राम फर्टीलाइजर का कारखाना लगेगा कोटा में, या सीमेन्ट की फैक्ट्री दूसरी जगह बनायेंगे लेकिन हमारे यहां पर कोई उद्योग नहीं खोला जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इन पिछड़े हुए जिलों के लिये भी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे छोटे और बड़े स्तर के उद्योगों की वहां पर भी स्थापना की जा सके और लोगों की बेकारी और गरीबी दूर की जा सके। इस तरह से उद्योगपतियों को उन योजनाओं के जरिये आकर्षित किया जाय तो मैं समझता हूं कि वे अपने सलाहकारों से राय लेकर राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये इन्ट्रेस्टर लेने लग जायेंगे। वे आज यह जानते हैं कि भले ही किसी भी प्रान्त में काम करें परन्तु वे स्वाभिमान से नहीं जी रहे हैं। वहां पर जिस तरह का वातावरण और हालात हो रहे हैं, अभी इमर्जेन्सी की वजह से थोड़ी कमी आई है, लेकिन वह आवाज कभी भी उठ सकती है कि अमुक प्रान्तों के अन्दर अमुक प्रान्तों के लोगों को ही रहने का अधिकार है, उन्हीं को व्यापार करने दिया जायगा और वहीं के लोगों को नौकरी दी जायगी तो यह राजस्थानियों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या हो जायगी। लाखों, करोड़ों रुपया उन्होंने वहां लगा रखा है, वहां के लोगों को नौकरी दी है और उत्पादन को बढ़ाया है लेकिन फिर भी वे आज राजस्थान में आने को तैयार हैं। इसके बावजूद भी होता क्या है कि वे यहां पर आकर वापिस चले जाते हैं क्योंकि यहां पर कोई योजना नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई योजना

Page No 58

(58)

(श्री दीपंकर)

बनायी जानी चाहिये कि आप यहां पर क्या फैसिलिटी देंगे, क्या रॉ-मेटीरीयल देंगे और क्या क्या उद्योग व्यक्तिगत तौर पर लगाये जा सकते हैं या सार्वजनिक तौर पर लगाये जा सकते हैं। इसकी एक निश्चित योजना बनायी जानी चाहिये। सभापति महोदय, मैं योजना मन्त्रीजी से आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की योजनाएं नागौर जिले के लिये बनायें, चूरू जिले के लिये या जैसलमेर जिले के लिए बनाई जावें या जो भीलों का क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जिनको भारत सरकार ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है, वहां की परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं बनायी जानी चाहिए क्योंकि हर आदमी को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता है कि छोटा उद्योग लगा लें या बड़ा उद्योग लगा लें, कहां पर किस समय कितना पैसा लगना चाहिए, कितना उत्पादन होगा और कहां पर किस तरह का कितना रॉ-मेटीरीयल उपलब्ध हो सकता है, उत्पादित वस्तु का कितना मार्केट होगा, यह सारी बातें उनकी समझ के बाहर की हैं, यह काम योजना विभाग का है। इसलिए उद्योग विभाग के अन्दर एक इस प्रकार का सेल कायम किया जाना चाहिए जो पिछड़े हुए जिलों में बेकारी को दूर करने के लिये योजनाएं बनाये। जब तक यह काम नहीं होगा तब तक वहां के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, दूसरी बात की ओर आपकी मार्फत मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि जो इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट भारत सरकार की तरफ से खोले जा रहे हैं वह नगरपालिकाओं के टाउन तक ही सीमित हैं, वह अभी तक गांवों के अन्दर नहीं पहुंचे हैं। गांवों के अन्दर भी दस्तकार होते हैं, उनके लिये भी प्रयास किया जाना चाहिए। जो हम बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को जमीनें देने जा रहे हैं, उसके साथ ही उनके बसने की बात भी हो। आपका प्रयास अच्छा है, सराहनीय है। यह प्रगतिशील कदम है, समाजवादी नीति से स्तर ऊंचा उठाने की दिशा में है। उनको जीवन यापन के साधन देते हैं तो यह तभी हो सकता है जब आप रॉ-मेटीरीयल दें। जो छोटे मोटे धन्धे उन्हें खोलने हैं उनको आप चलाने में मदद दें। जब तक वह नहीं चला सकते तब तक कोई तरीके से जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, बेकारी दूर नहीं हो सकती, उनको भाग कर शहर की तरफ आने से नहीं रोक सकते। चाहे खादी बोर्ड का काम करें या भारत सरकार के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम करें, आपकी नुक्ते-निगाह या दृष्टि यह होनी चाहिए और विशेष राशि इसके लिए रखनी चाहिए। जो रस्सी बनाने वाले हैं, गांवों में काश्तकारी के काम में आने वाले औजार हैं, उनको जो बनाने वाले हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं उनको कुछ रॉ-मेटीरीयल दें, मदद दें, एड दें, उनको सहायता दें, उनके सामान को एम्पोरियम के माध्यम से बाहर भेजें। वह ऐसी चीजें बनाते हैं जो शहरों में बिक सकती हैं, दूसरे मुल्कों में जा सकती हैं। यह नहीं कि जयपुर शहर में एम्पोरियम है वहीं लोगों को बैठा कर शहरों में सामान तैयार करता है। लेकिन गांव में भी ऐसा सामान तैयार होता है। वह गांवों में तैयार किया हुआ सामान विदेशों में भेजा जाय,

(श्री दीपंकर)

उनको ले जाकर दिखाया जाय तो लोग मदहू हो जायं। जयपुर का जो सांगानेरी प्रिन्ट है, इसकी टायी, मफलर, फेंटा, साड़ियां—दूसरे मुल्कों में कितनी बिक रही हैं। इसी प्रकार गांवों में जो रंगाई, छपाई का धन्धा है, दूसरे धन्धे हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। कृषि पर मुनहस्सर रहने से, पशु पालन पर मुनहस्सर रहने से गांवों की बेकारी दूर नहीं कर सकते हैं, गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए छोटे पैमाने पर जो धन्धे चल रहे हैं उनको मदद देनी पड़ेगी। जब तक उनको मदद नहीं देते हैं तब तक उनकी बेकारी दूर नहीं हो सकती और यह बीस सूत्री प्रोग्राम भी पूरा नहीं हो सकता है।

आखिर में एक प्रश्न की ओर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। वह यह है कि पंचायत समिति, पंचायत और पंचायती राज के विकास कार्यक्रम में भारत में राजस्थान अग्रणी रहा है। लेकिन पंचायत राज का सम्बन्ध पहले योजना विभाग से जुड़ा हुआ था, वह विच्छेद कर दिया है। वह सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है तो पंचायतें तमाम बेकार हो गई हैं, उनके माध्यम से कोई काम नहीं होता है, पंचायत समिति के माध्यम से कोई काम नहीं होता है, सिवाय मास्टरों को तनख्वाह देने के। आपने इसको सामुदायिक विकास नाम दिया है, ताकि सामूहिक रूप से सभी लोगों का विकास हो गया तो आप इस नाम को पलट दीजिये। या पंचायतों के चुनाव जिन परिस्थितियों में नहीं हो सके, वह नहीं हो सके, लेकिन उन परिस्थितियों में इसे जिन्दा रखा है तो अब पंचायत समिति, पंचायतों का सम्बन्ध योजना विभाग से जोड़ दीजिये। कोई योजना हो ग्रामीण स्तर की, तहसील स्तर की, उसमें पार्टीसिपेट पंचायत राज को जरूर करना चाहिए ताकि गांव के लोग यह समझें कि उनकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, डवलपमेंट में हम हिस्सेदार हैं, और बीस सूत्री प्रोग्राम में पंचायतें हिस्सेदार हैं। अभी प्रधान मंत्री ने सम्मेलन बुला कर लोगों को आह्वान किया है। वह तो तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या काम करें? यह आप बताइये तो सही क्या योजना है जिसमें वह हिस्सेदार बनें। यह जरूरी है, छोटे बांध बनाने का सवाल हो या टैंक और रोड के सवाल हों, कहीं पर भी किसी तरह की योजना हो, जिसके जरिये आप काम कर रहे हैं, चाहे वह उपज बढ़ाने के काम आये, या कोई और तरह की योजना हो, फसल की नस्ल सुधार की हो उसमें पंचायत राज को जब तक सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक यह जो संस्थायें हैं, यह आर्गेनाइजेशन है, यह यूनिट हैं जो जिला स्तर से लगा कर ठेठ गांव तक फैली हुई हैं, राजस्थान में ही नहीं फैली हुई हैं, बल्कि हिन्दुस्तान में आपकी देखा देखी इनका फैलाव किया है, और इनसे फायदा उठाया है, यह फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। यह प्रोग्राम ऐसा है जिसमें जितना पैसा चाहिए उतना मिलना चाहिए। विभागीय दृष्टि से, सरकारी अधिकारियों की दृष्टि से उपेक्षित कार्य है, उन कार्यों को आप सापेक्ष दृष्टि से देखें, सही मायने में देखें। हर गांव में पीने के पानी की समस्या

(श्री दीपंकर)

है, कुछ गांवों में पानी उपलब्ध कर सके हैं और कुछ में अब कर रहे हैं, कई नालों की योजना बना दी है। आज भी लोग परम्परा गत ढंग से नहाते हैं। पानी बेरों से फैलाते हैं। नाले की योजना बना कर छोटे बड़े तालाब में डाल दें तो किसी तरह से गांव के लोगों के लिए सब्जियां पैदा हों और बच्चे स्कूल में नाले को ले जाकर सब्जी पैदा कर दें। पक्के तालाब हों वहां नल योजना बना दें। आज तालाब का उपयोग नहीं हो रहा है, वह गन्दे पड़े हैं। उन पर जाली लगाये और वहां पर मत्स्य पालन करवायें। इसी तरह से आपने कुक्कुट पालन की योजना कर दी लेकिन पंचायत समिति में कुक्कुट पालन नहीं करवा रहे हैं। जो योजना हैं, जिनको आपने स्वीकार किया है, उनको सम्पूर्ण रूप से पंचायत समिति को देकर उनका उपयोग नहीं करवा पा रहे हैं। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको सक्रिय तभी किया जा सकता है जब कि इनको योजना से जोड़ें, इन्हें साधन सम्पन्न करें और विकास की एजेंसी मानें, इनका पार्टीसिपेशन लें, इनको साथ लें। सभापति महोदय, मैं आपका इशारा समझ गया। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। हमारे यहां यह परम्परा थी कि जो सार्वजनिक तालाब होते थे, तो पूर्णमाशी और अमावस्या के रोज हर परिवार का एक आदमी जाता था और तालाब की मिट्टी निकाला करता था लेकिन जब से यह पंचायत राज लागू हुआ...

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री दीपंकर : मैं यह निवेदन कर रहा था, आखिर में एक सेन्टेन्स में कह देता हूं गांवों में परम्परा थी कि सार्वजनिक उपयोग के अन्दर टैंक और तालाब के लिए लोग श्रमदान करते थे। वह सारी परम्परा पंचायत राज व्यवस्था होने के बाद बन्द हो गई है। वैसे पंचायत राज आने के बाद आर्थिक दृष्टि से गांवों में विकास हुआ है, पाठशालायें बनाईं। सार्वजनिक स्थान होते हैं, नहाने के, शौचालय के—उनके अन्दर नल लगाने की बात हुई। यह सब कुछ हुआ तो लोगों ने समझ लिया कि राज्य ने जिम्मेदारी ले ली है। मेरा निवेदन है कि गांवों का विकास पंचायत के माध्यम से करना है तो जो योजना विभाग से संबंध था, वह वापिस जोड़ देना चाहिए और ठीक तरह से काम होना चाहिए, गांवों में व्यवस्था होनी चाहिए। परम्परागत जितनी बुराई थी, कोई छोटा काम कर देता था, किसी के हाथ से गाय मर जाती थी तो जब तक वह गंगा स्नान नहीं कर आये तब तक उसको चिलम नहीं पिलाते थे। कहते थे कि पापी है। अब आज सांड मार देते हैं तो उलाहना देने वाला नहीं है। उनके पास पैसा है, गुण्डे साथ में हैं वह किसी की परवाह नहीं करते हैं और हर एक को चैलेंज कर देते हैं और (समय-समाप्ति-सूचक घंटी), नैतिक व्यवस्था को नहीं रखते हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री दीपंकर : मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज को

(श्री दीपंकर)

सशक्त बनाने के लिए आप उनको ज्यादा साधन सम्पन्न बनायें, योजना से जोड़े, और साधन दें चाहे योजना छोटी या बड़ी हो, बीस सूत्री प्रोग्राम है, उसको उसके माध्यम से बढ़ायें और पूर्ण करायें। पंचायत राज्य बढ़ेगा, जमेगा और सफल होगा तो 21 सूत्री कार्यक्रम सफल होगा। मैं इतना निवेदन करूंगा कि मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में, मैंने मंत्री महोदय का जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन पर गौर करेंगे। यह जो विनियोग विधेयक पास करवायेंगे, इसमें जो इधर से उधर एप्रोप्रिये-शन होता है, उसमें मिस एप्रोप्रियेशन न होकर एप्रोप्रियेशन सही मायने में हो। यही मेरा निवेदन है कि गांवों के इन्ट्रेस्ट में बेकारी को दूर करने के लिए, उद्योगों को पनपाने की दृष्टि से और पंचायत राज को जमाने की दृष्टि से रुपया खर्च करेंगे।

श्री चतरभुज : सभापति महोदय, मैं पांच मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : सभापति महोदय, जो हम राजस्थान के बजट पर बहस करने जा रहे हैं इसके अंदर विकास की बात की गई है। मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए जो योजना बनाए। अभी पता नहीं किस तरह से योजना बनाते हैं, मंत्रिमंडल स्तर पर बनाते हैं या कैसे बनाते हैं। आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या राजस्थान में एक करोड़ है। एक करोड़ लोगों के भाग्य का निर्णय करने वाले उन लोगों को विकास की योजनायें बनाते समय उनको भागीदार नहीं बनाते। मंत्रिमण्डल में भी कटौती कर रखी है। केबीनेट स्तर पर भी हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जिन लोगों को आपने मंत्री बना रखा है, उनके द्वारा हमारे लिए कोई अच्छी योजना नहीं बन सकती। भारत सरकार और राज्य सरकार की गारंटी है कि इतने सालों में काम को आगे बढ़ाना है जैसे कारखानों में मजदूरों को भागीदार बनाते हैं उसी तरह से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी उनके कल्याण की योजनाओं में भागीदार बनाना चाहिए। उधर संविधान में गारंटी दी है, इधर 26 साल तो पूरे हो चुके हैं। जब तक हम राजनैतिक दृष्टि से नहीं जगेंगे, सामाजिक दृष्टि से नहीं जगेंगे तब तक आप शासन चलाने की दृष्टि से और अपनी कुर्सियां कायम रखने के लिए भले ही योजनायें बनाते रहें परन्तु वास्तव में हम बांडेड लेबर की तरह हैं चाहे विधायक हों चाहे मंत्री हों। हमारी कोई आवाज नहीं है, सुनवाई नहीं। 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं वे कागजी घोड़े हैं। बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं रखा गया है कि एक करोड़ पापूलेशन को, बैकवर्ड क्लासेज को जमीन देंगे या रोजगार देंगे। उदाहरण के लिए राजस्थान में 13 लाख आदिवासियों के लिए तो आपने सब प्लान बनाया उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन उनका कन्से-ट्रेशन 50 परसेंट पापूलेशन पर है। बाकी 50 परसेंट नीचे हैं उनके विकास के लिए क्या प्रावधान रखा है? श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राज्य सरकारों से ट्राइबल प्लान के लिए कहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : कोरम नहीं है। सदन को स्थगित करें तो अच्छा होगा वित्त मंत्री भी नहीं, कोई मंत्री नहीं...

Page No 62

(62)

(गण पूरक घंटो)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री हरि किशन : तो मैं कह रहा था कि राजस्थान में आदिवासियों की 31लाख की पापूलेशन आदिवासियों की है जिसमें 13 लाख के लिए सब प्लान बनाया गया है लेकिन 18 लाख के बारे में सरकार का क्या विचार है? 13 लाख जनसंख्या वाला इलाका तो आगे जाएगा और 18 लाख वाला इलाका पिछड़ा ही रह जाएगा। इसलिए राज्य सरकार को इलाके के बेस पर स्कीम बना सकती है, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिए योजनाबद्ध प्रोग्राम बनाना चाहिए। संविधान में है 25 साल, वह चाहे 25 साल में या 50 साल में पूरा करें लेकिन हम ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहते। टाइम लिमिट में ही विकास कार्यों को पूरा कर दें ताकि और जातियों के मुकाबले में एट पार हम आ जायें। संविधान हमको संरक्षण दे रखा है उसके अनुसार करें। हम नहीं चाहते कि हम आपके सदा आश्रित रहें। यह आपका फर्ज है कि जो 18 लाख की जनसंख्या हमारे इलाके की रह जाती है जिसमें 12-13 जिले हैं जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर डिवीजन के जिले व भीलवाड़ा है। इनके विकास के लिए, ट्राइबल विकास के लिए आपने तीन जिलों में योजनायें बनाई है। हम लोगों का कहना है कि राजस्थान के आदिवासी गरीब हैं। अगर सर्वे करायें तो यहां के 99.9 प्रतिशत लोग गरीब है, कर्जे में दबे हुए हैं। पहाड़ी एरिया हमारी रामगढ़ तहसील में देखें, रामगढ़ व जयपुर के आस पास क्या उन लोगों का स्टेंडर्ड आफ लिविंग है, कितनी एजूकेशन है। वे शराब पीते हैं, मेलों में नाचते कूदते हैं। वही पुराना ट्राइबलकरेक्टर है। सरकार को इनके लिए कोई योजनाबद्ध विकास की बात सोचनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए।

वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजातियों का विकास करने जा रहे हैं। वित्त मंत्रीजी ने कटौती अब की है, उसके लिए कह सकता हूं कि जो पहले आदिवासी विद्यार्थी थे उनकी छात्रवृत्ति में भी कटौती कर दी है, यह कहां की शाबासी की बात है। कई गरीब लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है. कालेज एजूकेशन के लिए आप उनको 75-80 रु. देते हैं उससे उनका खर्चा नहीं चल सकता। उनके सामाजिक विकास में अवरोध डालने के लिए वित्तमंत्री ने कटौती की है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

छात्रावासों के लिए भी कटौती की है। जब आप उनका मानसिक विकास करना चाहते हैं तो उसमें कटौती नहीं करनी चाहिए। वहां चारपाइयां नहीं, गद्दे नहीं। फिर यह मत कहो कि इन जातियों का विकास करने जा रहे है।

तीसरी बात, 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके लिए हम इन्दिराजी का स्वागत करते हैं लेकिन उसमें भी आपके बजट में प्रावधान नहीं है। जो जमीन दे रहे हैं वह 5 बीघा है। वह इकानामिक होल्डिंग नहीं है, उसमें न तो वह कुआ खोद सकते हैं न अच्छी खेती

(श्री हरिकिशन)

कर सकते हैं। उससे तो मजदूरी अच्छी है। आप इकोनामिक होल्डिंग दें। यह कोई प्रसाद नहीं है कि वह थोड़ा बहुत बांट दिया। कम से कम 15 बीघा जमीन दी जाए ताकि एक परिवार का अच्छी तरह से जीवन निर्वाह हो सके। नहीं तो इतनी छोटी जमीन देने से वह आर्थिक संकट में पड़ जाएगा, मजदूरी भी नहीं कर सकेगा और वह बेरोजगार रह जायगा। प्रोग्राम बनाकर रूरल इण्डस्ट्रीज खोलिए। जयपुर और दिल्ली में इस तरह के कितने ही ग्रामीण लोग हैं, जो रोजाना हजारों की संख्या में रोजगार की तलाश में आने वाले हैं। योजनाबद्ध प्रोग्राम होना चाहिए कि इतनों को जमीन पर सेटल करेंगे, रोजगार देकर सेटल करेंगे। नौकरियों में पक्षपात होता है। सरकार का इरादा अच्छा है, हमने प्रश्न के द्वारा भी पूछा है लेकिन नीचे के कर्मचारी नहीं मानते हैं। हम कहते है कि जो हैड आफ डिपार्टमेन्ट हैं, जो एपाईटिंग आथोरिटीज हैं उनके हुक्म का जो पालन नहीं करते हैं उनको अनिवार्य रूप से रिटायर करना चाहिए। जब तक सरकार उनको अनिवार्य रूप से रिटायर करके दूसरों के आगे उदाहरण नहीं रखेगी तब तक वे नहीं सुनेंगे। हमारी जाति का नौकरियों में कोटा पूरा नहीं होता, कई जगह रोस्टर रजिस्टर नहीं खोला गया है। रोडवेज व विद्युत् मण्डल में भी अभी तक रूल्स नहीं बने, प्रमोशन रूल्स इन जातियों के लिए अभी बने नहीं हैं, तो वे नियुक्ति व प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं। तो जो भी आप इरादा करते हैं उनके विकास के लिए, उसको ईमानदारी व सच्चाई के साथ लागू करें कि इतने समय में इनका विकास करना है। नहीं तो विकास नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय वह है खेती के बारे में। खेती के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज खेती में काम आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, कृषि उपज की कीमतें घट रही हैं। चाहे आप डीजल को लें, चाहे आप खाद में लें अच्छे बीजों के लिये लें, सभी की कीमतें बढ़ रही हैं राज्य सरकार कुछ भी कन्सेशन किसानों को नहीं दे रही है जिससे कि किसान की हालत डांवा डोल हो रही है। इसके अलावा जितना भी खेती के लिये किसान कुछ खरीदता है उसके लिये किसान को सेल्स टैक्स देना पड़ता है। चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे खेत में डालने के लिये दवाइयां हों बीज हों, अच्छे किस्म के फर्टीलाइजर हों सभी में सेल्स टैक्स लिया जाता है जिससे कि किसान की हालत और खराब हो जाती है। जबकि हमारे पास का प्रान्त हरियाणा है वहां पर ट्रैक्टर, फर्टीलाईजर वगैरह में सेल्स टैक्स के लिये किसान को छूट दी गयी है। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह किसान को समय पर अच्छे बीज, डीजल व अच्छी खाद वगैरह दें। इन सभी चीजों में सेल्स टैक्स की छूट होनी चाहिये ताकि किसान को राहत मिले।

सभापति महोदय डीजल, और पैट्रोल वगैरह में 30 से 40 पैसे लीटर दिल्ली व हरियाणा में किसानों को छूट दी गयी है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि आप जबकि किसान को राहत पहुंचाना चाहते हैं,

(श्री हरिकिशन)

आप उनकी इकोनोमी को बेलेन्स करने की बात करते हैं तो आपको उन्हें डीजल, फर्टीलाईजर, व खाद व बीज वगैरह में कन्सेशन देना पड़ेगा नहीं तो किसान की हालत आप किसी भी हालत में नहीं सुधार सकेंगे। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आप अपने बजट को सन्तुलित करना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर पुनर्विचार करना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां पर सभापति महोदय, अलवर जिले में सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। वहां पर सड़कों पर कोई पुलिया वगैरह नहीं हैं जिसके कारण वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी पिछले साल की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2-7-72 को राजगढ़-अलवर रोड पर रूपा रेल नदी पर एक बस दुर्घटना हो जाने से 75 आदमियों की मृत्यु हो गयी थी। उसके बारे में भी मैंने सदन में कहा है और राज्य सरकार का ध्यान बार बार आकर्षित किया है पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वहां पर बरसात में सड़कों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। बिना पुलियाओं के दुर्घटनायें होती हैं। इस प्रकार जैसा कि मैंने निवेदन किया 75 व्यक्ति मर गये पर कोई कार्यवाही राज्य सरकार ने अलवर राजगढ़ रोड़ रूपारेल नदी पर और पुलिया बनाने के लिये नहीं की। मेरा राज्य सरकर से यह निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर सड़कों की हालत सुधारे और पुलियाएं बनाये ताकि इस प्रकार दुर्घटनायें नहीं हों और जनता को राहत मिले। इसके अलावा अलवर के अन्दर राजगढ़ एक बड़ा कस्बा है लेकिन वहां के एस. डी. ओ. का जो हैड क्वार्टर बनाया है वह अलवर में रखा है। बेचारे गरीब लोगों को वहां पर जाना पड़ता है और रोजाना आने जाने के लिये लाखों किराये पर रुपया खर्च करना पड़ता है। दूसरे वहां पर सड़कों की हालत खराब है। अगर राज्य सरकार जनता को राहत देना चाहती है तो राज्य सरकार को चाहिये कि एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर राजगढ़ कर दे। रास्ते खराब हैं और दूसरे वहां की जनता गरीब है। अनुसूचित जाति की रिजर्व्ड सीट है आपको वहां पर अर्थात् राजगढ़ में ही एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर रख देना चाहिये ताकि जनता को राहत मिले। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में गम्भीरतापूर्वक जांच कर निर्णय लें। इसके अलावा राजगढ़ में हास्पिटल नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां की जन संख्या को देखते हुए व अनुसूचित जाति के क्षेत्र को देखते हुए वहां पर हास्पिटल जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिये। कम से कम 50 बेड्स तो उसमें होने चाहिये वरना बेचारे गरीब लोगों को अलवर आना पड़ता है जो कि वहां से काफी दूर है। इसके अलावा वहां पर दो पी. एच. सी. आपने खोल रखे हैं लेकिन वहां पर न तो कोई डाक्टर है न कोई वहां पर दवाइयां ही उपलब्ध हैं। अगर कोई इमर्जेन्सी का केस आ जावे तो वहां से 50 मील दूर अलवर उस रोगी को ले जाना पड़ता है। इसलिये जैसा कि मैंने आपसे कहा, वहां की सड़कों की हालत खराब है और बरसात के

(श्री हरि किशन)

दिनों में तो और भी खराब हो जाती है। उस वक्त किसी रोगी को अलवर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार वहां पर बैकवर्ड एरिया और शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिजर्व्ड सीट को ध्यान में रखते हुए हास्पिटल खोलने की व्यवस्था करे तो जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सड़कों का भी विकास होना चाहिये। क्योंकि रेल से अधिक दिक्कत वहां की जनता को पड़ती है इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे ताकि वहां की जनता को अगर तुरन्त कोई चिकित्सा की आवश्यकता हो वह हास्पिटल में दी जा सके। बस अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव के रूप में निवेदन किया है उसकी ओर वित्त मंत्रीजी जरूर ध्यान देंगे और आदिवासी क्षेत्र को देखते हुए वहां पर बजट देकर विकास की कार्यवाही करेंगे। ऐसी मेरी आशा है।

श्री सभापति : श्री चतरभुज।

श्री चतरभुज (टोडा रायसिंह) : सभापति महोदय, अभी जो हमारे यहां राजस्थान में और टोंक जिले मे 26 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की योजना चल रही है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां पर टोंक जिले की बिसलपुर योजना पिछले 20 वर्षों से राजस्थान सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत वहां की पेय जल और सिंचाई की योजना भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसके बारे में राज्य सरकार ने करीब 20 वर्षों से वचन दे रखा है पर अभी तक कोई कार्यवाही वहां पर नहीं हुई है। वहां की जनता ने राज्य सरकार को 20 वर्ष से नोटिस दे रखा है लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार की क्या मर्जी है। आप इसको 8-10 साल ही नहीं बल्कि 20 वर्षों से पूरा नहीं कर रहे हैं। वहां की जनता पानी की समस्या के लिये त्राहि त्राहि कर रही है। इतने साल हो गये राज्य सरकार ने इस योजना को अपने विचाराधीन कर रखा है पर अभी तक इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आपने खुद ने, जब आप वहां गये थे, जनता के सामने वायदा किया था कि बिसलपुर योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जावेगा। वहां के लोगों की जमीन उस योजना के लिये ली उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज 30 वर्ष होने को आये है हमारा देश आजाद हो गया है और आपने उसके बाद में राजस्थान में कई जगह सडकों का, पानी का, बिजली का विकास किया है पर मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने हमारे टोडारायसिंह और टोंक जिले में कोई विकास कार्य नहीं किया हैं। न वहां पर सडकें बनायीं न पुलियायें बनायीं, न आपने वहां पर बिजली की व्यवस्था की। आज 20 वर्षों से आपने जनता के सामने वायदा करके भी वहां पर कोई भी काम अभी तक बिसलपुर योजना के लिये नहीं किया है। यह हमारा टोडा रायसिंह और देवली का क्षेत्र एक ही टोंक जिले के नीचे आता है पर आप वहां पर विकास का कोई कार्य अभी तक नहीं कर सके। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री चतुर्भुज)

आखिर राज्य सरकार का इस योजना को पूरा करने का विचार है या नहीं, या राज्य सरकार इसको समाप्त करना चाहती है, या इस योजना को फेल करना चाहती है? अगर आप इसको पूरा नहीं करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप इसके लिये घोषणा तो कर दें। आज आपका यह 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है उसके अन्तर्गत आप किसी प्रकार का कार्य वहां नहीं कर रहे हैं जो आपको टोडा रायसिंह और देवली क्षेत्र में करना चाहिये। हमारे यहां पर टोडा-रायसिंह देवली के आसपास के लिये सिर्फ एक बीसलपुर की योजना है। दूसरे कार्यक्रम विकास के आपने टोंक जिले के लिये रखे नहीं हैं। मन्त्री महोदय ने पेयजल और सिचाई के लिये इस बीसलपुर योजना के माध्यम से व्यवस्था कराने का वचन दिया था, पूरी जनता के सामने आपने कहा था कि सिचाई और पेयजल दोनों ही योजना लागू करके रहेंगे वैसे बीसलपुर, योजना से ब्यावर, किशनगढ, अजमेर में भी पानी दिया जा सकेगा। अगर आप इसको पूरा करते हैं तो हमारे टोंक और अजमेर जिले की जनता की पीने के पानी की समस्या का हल हो जावेगा। यह बीसलपुर योजना हमारे राजस्थान में दूसरे नम्बर की योजना है जो कि करीब 300 किलो मीटर तक लम्बी है। आखिर राज्य सरकार की नीति क्या है क्या वह उसको फेल करना चाहती है या क्या बात है? आप जब कि 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहिये और ईमानदारी से इस योजना को लागू कराना चाहिये। एक तरह से बनास का पानी समुद्र मे बेकार जाता है हम देखते हैं। अगर आप इसको लागू कर दें तो काफी राहत जनता को मिल सकती है।

इसके अलावा मैं थोड़ा मैं सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि आपने यहां पर लोगों मे कहा है कि हम सीलिंग कानून को पंचायत हैड क्वार्टर्स या पंचायतों के माध्यम से लागू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने पंचायत हैडक्वार्टर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है इन पिछले 15-20 वर्षों में वहां की जमीन खेती करने लायक हो जावे। जो अलाट करके आये, एक बीघा जमीन पर भी उसमें से पैदावार की नहीं है। वह जमीन नाकाबिल है, ना पैदावार है। चाहे अलाट करो, चाहे गरीब को दो, उससे गरीब निहाल होने वाला नहीं है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं। किसी न किसी नाम से, किसी साहूकार के नाम से और किसी नाम से बड़े बड़े लोगों ने जमीन दबा रखी है। लाखों एकड़ जमीन है ऐसी, जो उन बड़े बड़े लोगों ने दबा रखी है। आपको उसकी जांच करनी चाहिये। वहां उनके पास पट्टा है, किसके नाम है और कौन उस पर पैदावार करता है। उस जमीन को निकाल कर गरीब जनता को नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। लाखों एकड़ जमीन है। क्या वे ईमानदार है? दो नम्बर का धन्धा करने वाले लोग हैं। वे हमारे ऊपर बैठे हैं। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि यह आगे नहीं चल सकता है। खाद किस भाव से मिलता है और बीज किस भाव से मिलता है। राज्य

Page No 67

(67)

(श्री चतरभुज)
सरकार ने इन सारी बातों को देखते हुए यह घोषणा की कि पुराने भाव से ही लेवो लगे तो किसान की जान में जान आयी है। वरना किसान और मजदूरों को चाहे समाजवाद के कानून बनाओ आप जिला नहीं सकते थे। आपने धनिकों पर क्यों नहीं टैक्स लगाया? सौ सौ रुपया चान्दी पर आप टैक्स लगाते। बजट की बढ़ोतरी की बात आती है तो गरीबों पर लगाते हैं। कभी ओले पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते है, कभी कीड़ी वगैरह का प्रकोप हो जाता है। फसल में बीमारी हो जाती है। राजस्व विभाग के आंकड़े देख लीजिये। दस बीघा में तीन क्विटल होता है। उस पर अपार कर लगाया है। दो नम्बर की सम्पति लेकर बैठे हैं उन पर कोई कर नहीं लगाया है। यदि आप लगाते और बात करते तो लोगों में विश्वास होता कि आपने सबको समान रूप से देखा है। सरकार के कर्तव्य और हित की बात करते हैं लेकिन आपने वह नहीं किया। ईमानदारी से सीलिंग होनी चाहिये, न्याय संगत होनी चाहिये। जयपुर से सांगानेर तक बड़े बड़े बंगले बने हुए है क्यों नही आपने कन्ट्रोल किया? क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है? क्यों और किस प्रकार से बन गये? करोड़ों का सरकार ऋण लेती है। जयपुर कहां से कहां पहुंच गया। सीलिंग के प्रति न्याय होना चाहिये। सरकार ने कभी पूछा नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो तीन मिनिट और।

आपने टोंक जिले में कारखाना लगाया, बड़ा कारखाना लगाया। गरीब जनता को यह आशा थी कि उसमें काम करेंगे। यह निवेदन करना चाहता हूं कि छः प्रतिशत मजदूर भी टोंक के नहीं हैं। 45 हजार की जन संख्या है। 50 प्रतिशत अत्यन्त गरीब हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में गरीब हैं। उस कारखाने में 50 आदमी भी टोंक के भर्ती नही किये। वहां पर मजदूरी मिलती नहीं। जबकि वहां के मजदूरों को काम मिलना चाहिये। इसलिये ही कारखाना लगाया। उस कारखाने में मजदूरों को लगाते तो हम समझते कि कारखाना लगाने का उपयोग हुआ। कहां का कहां कमाई करने के लिये आता है और सामने बैठा है। उसको ना कर देते हैं। मजदूरों को काम धन्धे लगाना चाहिये। यह कहते हुये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर का डेम बनाये जिससे प्रान्त का विकास हो और पानी से तो वंचित नहीं रहें। यह कहते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री गौरी शंकर।

श्री गौरी शंकर (खानपुर): माननीय सभापति जी, मुझे पांच बातें आपके सामने रखनी हैं। पहली बात तो यह है कि खानपुर अनाज के लिहाज से सबसे अच्छा क्षेत्र है। इन चार साल में एक दो काम हुये होंगे और कुछ नहीं हुआ। मुंसिफ मजिस्ट्रेटी भी वहां से हटा दी गयी। खानपुर के जितने केसेज हैं वे अकलेरा में जाते हैं। उन केसेज में से 75 पर्सेन्ट खानपुर के होते हैं और 25 पर्सेन्ट अकलेरा के होते हैं। इससे किसानों को कितना नुकसान होता है। 20 रुपया किराया लगता है खानपुर से अकलेरा जाने आने का। कितनी उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पेशी बदल देते हैं। इस प्रकार चार—चार छः छः दफा जाना पड़ता है

(श्री गौरी शंकर)

गवाहों को ले जाते हैं। बड़ा नुकसान होता है। लॉ मिनिस्टर साहब नहीं हैं अभी। मेरा निवेदन है कि वहां पर खानपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी खोलें जिससे लोगों को राहत मिले। हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि हर तरह से लोगों को सहूलियत मिले। यह देना ही नहीं चाहते हैं। आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी होनी चाहिये और कायम की जानी चाहिये।

दूसरा, खानपुर में कन्याशाला 8 वीं क्लास तक 50 वर्ष से है। चार साल हो गये मुझे कहते हुए उसको सैकेन्डरी करने के लिये। राजस्थान में ऐसा कोई कन्या स्कूल नहीं होगा आठवीं तक, जो कि 50 साल से हो। इसलिये कन्याशाला खानपुर को क्यों नहीं सैकेन्डरी करते हैं। तो मैं खास तौर से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके उसको सेकेन्डरी कन्या स्कूल कर दें। दूसरे वहां पर लड़कों का सैकेण्डरी स्कूल है, उसके आस पास तीस, तीस मील तक आने जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए वहां सैकेण्डरी से हायर सैकेण्डरी स्कूल किया जाय। यह बहुत जरूरी है।

तीसरा निवेदन यह है कि झालावाड़ जिले में खानपुर में ऐसी स्थिति है कि वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है और ऐसी बुरी दशा है कि लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने बड़ी कृपा करके 40 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया है और जितनी सड़कों की हालत यहां खराब है उतनी कहीं नहीं होगी इसलिए कम से कम 2 करोड़ रुपया हमारे जिले को दिया जाये ताकि जो हमारे जिले की और खासकर खानपुर की हालत बहुत खराब है वहां कुछ काम हो सके। मैं चार साल से बराबर कह रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब कृपा करके सड़कों का काम पूरा करा दें।

हमारे यहां भीमसागर बान्ध और हरिश्चन्द्र बांध ऐसे हैं कि जहां लाखों रुपये लगा दिये होंगे लेकिन आज तक उनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहरें बनी हुई हैं, सब कुछ हो गया है सिर्फ थोड़ा सा बांध ऊंचा हो जाये तो सरकार को भी लाभ मिलेगा और किसानों को भी ज्यादा अनाज पैदा करने का मौका मिलेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि 5 करोड़ का खर्चा है। मैं कहता हूं कि 5 करोड़ का खर्चा मत कीजिए, सिर्फ 50 लाख रुपया भीमसागर पर लगा दें। इससे क्या होगा कि कम से कम 25 हजार बीघा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। यह खानपुर की ऐसी जमीन है कि हमारे राजस्थान में कहीं नहीं है। तो ऐसी जगह जरूर ध्यान देकर इसको करायें। यह कहते हैं कि इससे असनावर डूब में आयेगा लेकिन मेरा कहना है कि 50 लाख रुपया केवल लगाने से वह डूब में नहीं आयेगा।

चौथा मेरा निवेदन यह है कि सहकारिता का जहां तक सवाल है अभी यह हाल हो रहा है मैं पूरे राजस्थान की तो नहीं कहता लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि सहकारिता में हमारे यहां यह हाल हो रहा है, लोगों ने 60 लाख रुपये कर्ज ले रखे हैं। नया साल आये तो पहले के रुपये जमा

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

कर दिये और पीछे नावे मांड देते हैं ब्याज की रकम ज्यादा वसूल कर लेते हैं और आधी रकम जमा कर लेते हैं और आधी ऊपर की ऊपर हजम कर जाते हैं। गरीब लोग समझते नहीं हैं। यह भी होता है कि रकम दूसरे के नाम मांड कर खुद ले लेते हैं और फिर साल के आखिर में जमा कर लेते हैं। इस तरह नाजायज लाभ उठाते हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जावे।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, दो मिनिट ही नहीं हुए और आपने घंटी बजा दी।

पांचवीं बात यह है कि पंचायतों के चुनाव होना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं सब निष्क्रिय हो गये हैं और कुछ काम नहीं करते। गांवों के सब लोग परेशान हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पंचायत मन्त्री जी निश्चित चुनाव करायें। मैं आपको बताऊं कि इसमें कांग्रेस को पूरी सफलता मिलेगी····

श्री मूलचन्द सामरिया : कतई सफलता नहीं मिलेगी इसीलिए तो नहीं करा रहे हैं। सफलता के आसार होते तो अब तक करा लेते।

श्री गौरीशंकर मुनीम : छठा निवेदन यह है कि हमारे यहां इन्डस्ट्रीज का आफिस खोल दिया गया है इसके लिए तो मैं इन्डस्ट्री मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आफिस को खुले हुए दो साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया? मेरे ख्याल से तनख्वाह में दो लाख रुपया तो चला गया होगा और नतीजा जीरो है। हमारे यहां इन्डस्ट्रीज लाने के बहुत चान्सेज हैं लेकिन कोई प्रोत्साहन देने वाला, मदद करने वाला तो हो। हमारे राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला इन्डस्ट्रीज के मामले में जिला झालावाड है। सभापति महोदय, आप नहीं पधार सके मुझे अफसोस है। आप पधारते तो आप देखते कि एक छोटे से छोटा गांव भी जिला झालावाड से अच्छा होगा और जब भारत के लोग वहां आते हैं तो हंसते हैं और कहते है कि यह जिला है या गांवडा है। मैं आपको बताता हूं कि वहां तेंदू पत्ता बहुत ज्यादा होता है और उस पत्ते से वहां बीड़ी का कारखाना लगाया जा सकता है लेकिन उस तेंदू पत्ते को बाहर भेज देते हैं। अगर उसी पत्ते का उपयोग वहीं हो तो लोगों को बहुत कुछ राहत मिल सकती है। वहां बीडी का कारखाना खोल दें इससे लोगों को राहत मिलेगी।

अब मेरा निवेदन यह है कि कुक्कुट पालन का हमारे वहां एक दो आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन उनको राहत नहीं दी जा रही है और न बहुत कुछ बढाना चाहते हैं। उसको आगे कैसे बढ़ायें? वहां जमीन मांगते हैं तो देते नहीं हैं और कहते हैं कि वहां चले जाओ। आज एक दो साल से चक्कर दे रहे हैं और मुर्गे वहां मर जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब कोई खास बात नहीं रही। मेरा निवेदन करना यही था कि जो कुछ मैंने

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

मांग रखी है कृपया उनकी तरफ ध्यान दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और गोलियों का भी ध्यान रखें। और वित्त मन्त्री को गोली जरूर दें।

श्री चन्दनमल बंब : वित्त मन्त्री को दें या नहीं लेकिन हांडा साहब को जरूर दें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। सभापति महोदय, इस साल के बजट में वित्त मंत्री महोदय ने कुछ नये कर भार जनता पर जो आरोपित किये हैं उनके संबंध में बजट मे इस बात का इशारा नहीं है कि प्रत्येक कर से कितनी कितनी अनुमानित राशि मिलेगी। पिछले वर्षों में जो कर लगाये गये उनके संबंध में जितने अनुमान सरकार के थे कर लगाते समय उन अनुमानों से कहीं अधिक आमदनी सरकार को हुई है। हमें इस बारे में किसी भी तरह की कोई शिकायत करने का अवसर नहीं है लेकिन मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार जो अनुमान लगाती है वह सही होने चाहिए। पिछले वर्ष में जितनी भी सेल्स टैक्स की वसूली की है, मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वर्ष में राज्य सरकार ने अधिक वसूली की है सरकारी खर्चे में कटौती करके उसको विकास के कामों में खर्च किया है—इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन हमारे राजस्थान की जो पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति है उसमें हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र सबसे बड़ा बाधक है। रेगिस्तान क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को कुछ सहायता मिलती है और सरकार ने कुछ योजनायें अपने हाथ में ली हैं। हमारे रेगिस्तानी इलाके में पशुपालन का धंधा खुल सकता है। उस इलाके में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस रेगिस्तानी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जब तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जावेगी तब तक रेगिस्तानी इलाके की समस्या के समाधान के लिए किसी भी तरह का स्थाई हल नजर नहीं आता है। आज पशुपालन जिनका मुख्य धन्धा है पानी के अभाव में उन पशुपालकों को अपने गांव छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है। इससे जो कैटल इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए वह कैटल इम्प्रूवमेंट का कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हमारे सूखा उन्मूलन कार्य क्रम में सबसे पहले इस बात की योजना होनी चाहिए कि हम गांवों में जहां पर पानी नहीं है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करावें जिससे सीधे हमारे जीवन को या विकास की मूलभूत आवश्यकता है, जो जीवन का आधार है—पानी, उसका प्रबन्ध कर सकें और इससे हमारे पशुधन का विकास हो। इसके बिना चाहे कोई योजना बने, कैटल इम्प्रूवमेंट योजना हो या कोई दूसरी योजना हो, कोई भी योजना ठीक ढंग से नहीं चल सकती है इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को भारत सरकार के

(श्री भीमसेन)

समक्ष इसको रखना चाहिए और सूखा उन्मूलन की योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना का भी प्रावधान किया जावे। इसके बगैर हम रेगिस्तानी इलाके में जो यह अभाव है, अकाल की परेशानी होती है उससे हम जनता को मुक्ति नहीं दिला सकते। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

इसी के साथ साथ हमारे यहां पर राजस्थान में बहुत से ऐसे पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जिनके पास काफी धनराशि है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस तरह के जो फण्ड है, उन फण्ड्स को अल्प बचत योजना में लगाने के लिए पाबन्द करे। वह अधिक से अधिक अपने ट्रस्ट का फण्ड है उसे अल्प बचत योजना में नियोजित करें जिससे सरकार को अल्प बचत योजना के जरिये विकास कार्यक्रमों के लिए फण्ड मिल सके।

इसके साथ साथ हमारे देवस्थान विभाग की बड़े–बड़े शहरों में और गांवों में काफी इम्मूएबल प्रोपर्टीज हैं। आज वह प्रोपर्टीज लोगों के कब्जे में है और नोमीनल किराया देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी शहरों में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है, जो मकान किरायेदारों के पास हैं उनके लिए सरकार को एक समिति की स्थापना करनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि उनकी आज बाजार को कीमत क्या है और वास्तव में किराया जो वसूल किया जा रहा है देवस्थान विभाग द्वारा वह किराया कितना आना जाना चाहिए और वर्तमान में कितना किराया आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें राज्य सरकार को कुछ आमदनी ज्यादा होगी।

इसी तरह से हमारे राजस्थान में जो भी अनाज के व्यापारी हैं, उन के व्यापारी हैं वे वर्षों से कृषकों से, उत्पादकों से धर्मादा फण्ड के नाम से पैसा एकत्रित करते हैं। वह राशि वर्षों से उनके पास है। इसके हर एक व्यापारी के इस फण्ड की जांच की जानी चाहिए देवस्थान विभाग के माध्यम से और जांच करके वह जितनी भी राशि जो व्यापारियों के पास है, उस राशि को अल्प बचत योजना में कम्पलसरी तौर से नियोजन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान में ऐसी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हो सकती है जिसका उपयोग विकास के कामों में किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

एक बात मैं सबसे अधिक आवश्यक समझता हूं वह यह है कि यह बात कही जाती है कि हमारे राजस्थान में हमने जो भी सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति की है और उन पर जो भी धनराशि खर्च हुई है उस धनराशि का जो सम्बन्धित काश्तकार हैं उनसे पूरा रिटर्न नहीं मिलता। यहां तक कहा जाता है कि जितनी धनराशि हमारे राजस्थान में हमने लगाई है उसके ब्याज का और उन सारे कार्यों के मेंटीनेंस का खर्चा भी सम्बन्धित काश्तकारों से वसूल नहीं किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इनके सम्बन्ध में इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें इस बात को देखा जाय कि

(72)

(श्री भीमसेन)

जो योजना सिंचाई को हाथ में ली गई है उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और उस योजना की क्रियान्विति से पहले क्षेत्र से राज्य सरकार को टैक्सेज के माध्यम में कितनी राशि आती थी और उस योजना की क्रियान्विति के पश्चात्, विकास होने के पश्चात् राज्य सरकार के पास सेल्स टैक्स के माध्यम से, भारत सरकार के पास उस एरिया से इन्कम टैक्स के माध्यम से और अन्य तरीकों से, एक्साईज से कितनी इन्कम हुई है। यह सारी आमदनी जो उस क्षेत्र से विकास के जरिये, सिंचाई की सुविधा होने के पश्चात् होती है उस सारी आमदनी का लेखा जोखा लिया जाना चाहिए कि काश्तकार के ऊपर जो खर्चा हुआ और जो डायरेक्ट बेनिफिट काश्तकार को मिलता है उसके अनुसार काश्तकार पर उतना ही बोझ डाला जाये जितना वह आर्थिक दृष्टि से सक्षम होकर बर्दाश्त कर सके। तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को इस तरह की प्रक्रिया अपना कर काश्तकार पर बोझा डालना चाहिए। काश्तकार जमीन से अधिक से अधिक, मैग्जीमम, कितना प्रोडक्शन कर सकता है, कितना उस पर खर्चा होता है, खर्चे के बाद कितनी राशि घर खर्च के लिए रहती है उसके पश्चात् जो कुछ उसकी आमदनी होती है उस आमदनी में से वाजिब तौर पर आयन्दा विकास कार्यक्रमों के लिए काश्तकारों से ले सकते हैं। लेकिन काश्तकारों को आमदनी नहीं होती और उससे अधिक सरकार मांगती है तो काश्तकार देने में असमर्थ रहेगा। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में उस इलाके से डायरेक्ट और इन डायरेक्ट कितना बेनीफिट होता है उस सारे बेनीफिट का हिसाब लगाकर फिर काश्तकार पर बोझ डालना चाहिए। तो सिंचाई की दरें जो तय की हैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, हमारे लिफ्ट कैनाल क्षेत्र और राजस्थान नहर क्षेत्र में जो ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास भूमि पीढ़ियों से है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उन काश्तकारों के लिए अब राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके मुताबिक उस पुरानी भूमि से भी काश्तकार को वंचित रहना पड़ रहा है। वैसे राज्य सरकार ने सन् 55 के पूर्व के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दे दिए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सबके साथ समान व्यवहार करने की व्यवस्था करने से जिन काश्तकारों के पास काफी वर्षों से जमीन चली आ रही है उन काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है आज जो राजस्थान में 25-25 बीघा सिंचित भूमि एक काश्तकार को अलॉट करने को, भू-खण्ड आवंटित करने का कार्यक्रम चलाया है उसके मार्फत लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में पुराने काश्तकारों को, उनके बच्चों को महरूम रखकर जमीन उनसे वापिस ली जा रही है। हालांकि सरकारी अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि जो काश्तकार के परिवार में लोग हैं उन काश्तकारों को हम भूमि का आवंटन करने का हक रखते हैं

(श्री भीमसेन)

लेकिन किसी काश्तकार का बच्चा अगर 17 वर्ष का है तो वहां के अधिकारी यह कहते हैं कि यह बालिग नहीं है इसलिए हम जमीन नहीं देते। तो इस तरह के जो हार्ड केसेज हैं उनके बारे में राज्य सरकार को कुछ प्रोसीजर डिसाइड करना चाहिए। एक परिवार में अगर लड़के हैं, वे खेती कर सकते हैं तो उन लड़कों को जमीन दी जावे। जो लड़के केवल छः महीने छोटे हैं या साल भर छोटे हैं इस बहाने उन्हें जमीन से महरूम नहीं रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और कोई प्रेक्टिकल रास्ता हो उसको निकालने का प्रयत्न करेगी। तो मैं समझता

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

हूं कि राज्य सरकार इस लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में जो मैंने सुझाव दिया है उसके अनुरूप भूमि अलाट करेगी।

सभापति महोदय, हमारे यहां पलाना खान है बीकानेर जिले में उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कई तरह की रिपोर्टस् तैयार की हैं लेकिन कुल मिला कर इस खान का विकास करने के लिए, उससे बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया है। राज्य सरकार किसी न किसी बहाने इस सारी व्यवस्था को टाल रही है। अभी मेरे प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने यह बताया था कि यहां पर थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाय तो जो कोल डिपोजिट है वह 15 वर्षों के लिए ही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि वहां पर ड्रीलिंग का प्रोग्राम चलाने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। जब तक हम इसकी जांच नहीं करेंगे हमें पूरी तरह से पता नहीं चल सकता है कि वास्तव में कोयला धरती में कितना उपलब्ध है। हम बराबर जांच नहीं करते और जब तक जांच नहीं करायेंगे राज्य सरकार कभी भी इस योजना को हाथ में नहीं ले सकेगी और किसी न किसी बहाने से इस योजना को आगे से आगे टालती रहेगी। मैं समझता हूं कि जो कोयले का डिपोजिट है उसके विकास के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी और राज्य सरकार पावर प्रोड्यूज करने के बारे में भी कुछ विचार करेगी। इसी तरह से हमारे यहां पर लिफ्ट कैनाल और राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि काश्तकारों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था करे, ताकि जिन इलाकों में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं हैं उनको डि-कोलोनाइज करने के बारे में तत्काल निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। आज कोलोनाइजेशन विभाग कहता है कि इरिगेशन विभाग से रिपोर्ट नहीं आयी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि उसने रिपोर्ट भेज दी है। इस तरह की लोटा फेरी होती है। इस लोटा फेरी को समाप्त करके, इरिगेशन और उपनिवेशन विभाग, इन दोनों विभागों की एक कमेटी बना दी जाये, जिससे काश्तकारों की समस्या दूर हो सके।

(श्री भीमसेन)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कतिपय सुझाव मैंने दिये हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। अपने अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में जो विचार माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं, उन पर तो मैं अपने विचार व्यक्त करने या उनके बारे में कहने में असमर्थ हूं। उन्होंने ये विचार डिमांड्स पर विचार होते समय भी प्रकट किये होंगे और उस समय माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए होंगे, उन पर संबंधित मंत्री महोदय ने अपनी ओर से जवाब दिया होगा, उनके बारे में, उनके सुझावों के बारे में उचित उत्तर दिया होगा। मैं तो केवल इस समय विनियोग विधेयक से संबंधित कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।

सभापति जी, इस समय हम देश में बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रधान मंत्रीजी ने एक ऐसा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है जिससे चाहे देहात हो, चाहे शहर हो–वहां बसने वाले गरीब लोगों को हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम के अनुसार पूरी मदद नहीं दे सके, तो उनको मदद देने का इरादा हमने जाहिर किया और हमने तय किया है कि इस प्रोग्राम को जो समयबद्ध है, उस टाइम के अन्दर ही समाप्त करेंगे। देहातों में जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं, जिन लोगों के पास मार्जीनल जमीन है, छोटी छोटी जोतें हैं, उन लोगों को इस तरह से फायदा मिल सके। साथ ही में जो शहरों के गरीब लोग हैं, जो स्लम में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, भू-खंड नहीं है, उन लोगों को किस तरह से सहायता पहुंचा सकते हैं। इन सबों को सहायता देने के लिए, प्रोग्राम को समय के अन्दर समाप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं। मुझे खुशी है यह कहते हुए, सभापति महोदय, इस सारे कार्यक्रम के अन्दर सारी की सारी सरकारी मशीनरी, सारी राजनैतिक पार्टियां लगी हुई हैं और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस कार्यक्रम को समय पर ही पूरा कर लिया जाये। इसके लिए सरकार की पूरी मदद की जाये। सभापति महोदय, मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस सारे कार्यक्रम के कारण सारे देश में एक नयी जागृति आई है, एक नयी चेतना आयी है और यह महसूस किया है कि यह ऐसा काम है गरीब लोगों के लिए, समय बद्ध कार्यक्रम जिसको पूरा करने का इरादा जाहिर किया गया है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस कार्यक्रम को राजस्थान में निर्धारित समय में पूरा कर लिया जायेगा। हम इस आशा में हैं कि कुछ समय बाद दूसरी तरह के कार्यक्रम भी देश के सामने आएंगे, जिनसे हम देश के गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे।

सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम करने जा रहे हैं, वह यह है कि सारे देश में इस बात को महसूस किया गया है कि अकाउन्ट्स और आडिट जो

(श्री चन्दनमल बैद)

आज तक कम्पट्रोलर, आडिटर जनरल आफ इंडिया के तहत था उसको अलग किया जाये। इस बात को महसूस किया गया है कि दोनों काम एक ही संगठन के पास में रहने से इन दोनों कामों को सुचारु रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस वास्ते भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स आर्डिनेन्स इश्यु किया है और निर्णय लिया है कि आडिट और अकाउन्ट्स को अलग अलग किया जाये। राजस्थान सरकार भी इस बारे में सोच रही है और इन्तजार कर रही है कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ जावे तो हम उसके अनुसार आडिट और अकाउन्ट्स को अलग अलग करें। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी जो कम्पट्रोलर आफ इंडिया के पास दोनों काम हैं, आडिट और अकाउन्ट्स, इनमें आडिटिंग का इनका मुख्य काम है, उस पर पूरा ध्यान वे नहीं दे पाते हैं और इस कारण इस काम को उन्हें एक सिम्पल चेकिंग, सिम्पल आडिट के द्वारा ही निपटाना पड़ता है। आज जो कुछ भी हम पब्लिक अकाउन्ट्स का आडिटिंग करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह का आडिट हो, उसका हमें फायदा मिले प्लानिंग करने में, तो यह संगठन उसको नहीं कर पाता है। अकाउन्ट्स का जो काम है वह विभिन्न विभागों के पास रहेगा। जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं वे अकाउन्ट्स की जिम्मेवारी अपने अपने ऊपर संभाल लें तो हमारे ए.जी. को, अकाउन्टेन्ट जनरल को आडिटिंग के लिए, पूरा पूरा समय मिल सकेगा और इस ओर ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी दिक्कते हैं अकाउन्ट्स के ए.जी. के पास रहने से हम को आती है, उन दिक्कतों से भी हमको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जो अकाउन्ट्स देरी से मिलते हैं, और इस देरी के कारण जो इवेलूएशन का काम है, दूसरी तरह से बजट प्लानिंग का काम है, उनमें भी देरी होती है, वह सब मिट जाएगी।

सभापति जी, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आज हमारे विभिन्न विभाग यह महसूस करते हैं कि फाइनेन्स की, वित्तीय अनुशासन रखने की सारी जिम्मेदारियां वित्त विभाग और ए. जी. की है, उससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है वित्त विभाग इसको पूरी तौर से निभा रहा है लेकिन यह जरूरी है और वित्तीय अनुशासन के लिए जारी भी है हमारे सारे विभाग इस बात को समझें कि अब केवल वित्तीय अनुशासन रखने की जिम्मेवारी वित्त विभाग और ए.जी. की नहीं है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी कि वित्त विभाग और अकाउन्टेन्ट जनरल की है। इस वास्ते अकाउन्ट्स का काम अलग अलग विभिन्न विभागों के पास हो जावेगा, अकाउन्ट्स रखने का, अकाउन्ट्स के काम की जिम्मेदारी उनकी होगी तो वे भी महसूस करेंगे कि वित्तीय अनुशासन रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इन दोनों विभागों को अलग करने के बारे में सारे देश में तेजी से कदम बढ़ते हैं तो हम भी उनके साथ में चलना चाहते हैं। सभापति जी, आपको खुशी होगी कि राजस्थान और तामिलनाडु, देश में ये दोनों ही ऐसे प्रान्त हैं जहां कि अकाउन्ट्स सर्विसेज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि जैसे

(श्री चन्दनमल बैद)

ही यह निर्णय लिया गया–राजस्थान अग्रणी प्रान्तों में होगा जहां कि एकाउन्ट्स और आडिट सब से पहले और सब से ज्यादा सुचारु रूप से अलग अलग किए जा सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें वित्तीय अनुशासन बरतना चाहिये–मेरे माननीय दोस्त मेरी इस बात को सुनते सुनते ऊब गये हैं। कहते हैं इसके पास वित्तीय अनुशासन की बात कहने के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास जितनी भी ताकत है, उस सारी ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि एक यही वह कुंजी है जिस कुंजी से वित्तीय व्यवस्था को सुधार कर अच्छा बनाये रख सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो तब तो वित्तीय अनुशासन जरूरी है ही लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी है; उस समय भी वित्तीय अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वित्तीय व्यवस्था जो है वह ठीक होने में तो समय लेती है लेकिन खराब होने में समय नहीं लेती है। इसको मानव के स्वास्थ्य की तरह ठीक रखना मुश्किल है, खराब करना तो आसान है। इस व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि हम वित्तीय अनुशासन बनाये रखें। जब वित्तीय स्थिति खराब थी तब हम ने इस चीज को अपनाया, इस कुंजी को अपनाया, इस दवाई को अपनाया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इसके जरिए से वित्तीय सुधार हुआ है लेकिन अभी भी इतना जरूर है कि इसको बनाये रखें जिससे हमारा जो वित्तीय सुधार हुआ है, उसमें सुधार निरन्तर जारी रख सकें और उसमें बिगाड़ न आ पावे।

(2.08 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष जी, इसको मैं और ज्यादा जोर से कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री की हैसियत से इस विधान सभा के काल में पांच बार मैं बजट पेश कर चुका हूं और झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी चार, पांच रोज पहले बजट भाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए यह कहा था–'बधाई देती हूं और दुःख भी होता है।' बधाई तो वे इस बात के लिए देना चाहती थीं कि मैंने इस सदन में पांच बार, पांच बजट प्रस्तुत किये और दुःख उनको इस बात का हो रहा था कि वित्त मंत्री को या तो दुबारा जीत कर आने का मौका नहीं मिलता और जीत कर आने का मौका मिलता है तो वे वित्त मंत्री नहीं बनते हैं, उन्हें वित्त मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता है। उनकी गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि मुझे इस बात की कोई तमन्ना नहीं है मैं वापिस राज्य का वित्त मंत्री बनूं या न बनूं I have played my innings and played them quite well.

श्री नत्थासिंह : प्रश्न करने वाली माननीय सदस्या तो गैर हाजिर हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही कह चुका हूं। आपने ध्यान से नहीं सुना है, उनकी गैर हाजिरी में कह रहा हूं। कृपा करके माननीय सदस्यों तक आप मेरी बात को पहुंचवा दें।

(श्री चन्दनमल बैद)

मुझे इस बात की कोई तमन्ना नहीं है.. और न इस बात की महत्वाकांक्षा है कि वापिस वित्त मन्त्री होकर यहां आऊं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : माननीय सदस्य को क्यों संकट में डालना चाहते हैं, आप ही उनको कह दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी जो तमन्ना थी कि राजस्थान की जो जीर्ण शीर्ण वित्तीय स्थिति थी, जो विगड़ी हुई आर्थिक स्थिति थी उसको सुधार सकूं तो बहुत अच्छा होगा। माननीय सदस्यों को यह कहते हुए मुझे खुशी है कि आप सारे लोगों के सहयोग से यह काम हो सका है, हम वित्तीय स्थिति को सुधार सके हैं। आज मैं सन्तोष के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपनी इनिंग को अच्छी तरह से खेला है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कोई मैं घमंड से नहीं कहता बल्कि फैक्ट्स को सामने रख रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस बात को कहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति जो चार साल पहले थी, आज उससे बहुत अच्छी है, उस समय मेरा यह भी फर्ज हो जाता है कि आपका भी आभार प्रगट करूं कि इसमें आपका बहुत ही सहयोग रहा है। शासन की तरफ से मुझको हमेशा सहयोग मिलता रहा है जिसके लिये मैं हमेशा शासन का आभारी रहूंगा। इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने मेरे किसी कर प्रस्ताव से या किसी कदम से नाराजगी जाहिर की हो लेकिन मैं सदन का आभार मानता हूं कि वित्त मन्त्री को उनका सहयोग बराबर मिलता रहा। मेरे वित्त मन्त्री काल में मुझे दो मुख्य मन्त्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। मुख्य मन्त्रीजी का लेटिट्यूड हमेशा मेरे पर रहा। उनके पेट्रोनेज के बिना कोई भी वित्त मन्त्री सफल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मैं अपने साथियों का भी जिक्र करना चाहूंगा। हर साथी यह चाहता है कि उनके विभाग को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। वित्त मन्त्री होने के नाते मुझे कई प्रकार की कटौतियां उनके विभाग में करनी पड़ीं लेकिन मेरे साथियों ने हमेशा मन्त्रिमण्डल में मेरा सहयोग दिया और उन्होंने महसूस किया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने का दायित्व केवल वित्त मन्त्री का ही नहीं हमारा भी है। उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रेस के लोगों ने भी मेरे को जो सहयोग प्रदान किया वह भी सराहनीय है और यही कारण है कि हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सफल हो पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं यह कह चुका हूं कि मेरी कोई तमन्ना नहीं है कि वित्त मन्त्री बनकर अब की बार फिर मैं छठा बजट भी इस सदन में पेश करूं। मैंने जो कुछ भी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये किया है, इन चार सालों में पांच बजट पेश करने के बाद यह जरूर चाहता हूं कि इस प्रकार के अनुभव मेरे बाद आने वाले मेरे दोस्त के लिये छोड़ कर जाऊं कि सफलता की कुंजी हमारा वित्तीय अनुशासन है, हम जो कुछ भी टैक्स लगावें तो हमारे में यह निश्चय भी होना चाहिए कि हम उनको पूरी सख्ती के साथ और ताकत के साथ वसूल कर सकें। उसके साथ ही हमको यह भी ध्यान रखना होगा

(श्री चन्दनमल बैद)

कि अनुपयोगी खर्चों में जो कि नान-प्लान एक्सपेन्डीचर हैं उनको जितनी बेरहमी के साथ काट सकें, इस प्रकार के खर्चों में कटौती कर सकें, हमको करनी चाहिए। यह भी खयाल रहे कि करों से जितनी ज्यादा आमदनी वसूल हो सके वह हम करें। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि करों से आप 8 करोड़ की आमदनी का अन्दाज लगाते हो, और आठ करोड़ का अकाउन्ट पेश करते हो, जब कि आमदनी दस करोड़ की हो गई। उनसे मेरा निवेदन यह है कि वित्त मन्त्री को हमेशा कन्जर्वेटिव होना चाहिए। हमारी जो भी सैल्स टैक्स की या एक्साइज की आमदनी है, फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि आपका ट्रेन्ड इन्क्रीज होना चाहिए। सेल्स टैक्स की दस पर्सेन्ट की ट्रेन्ड इन्क्रीज मानी गई है, इस हिसाब से अगर 60 करोड़ होती है तो हम 66 करोड़ वसूल कर पाने की आशा करेंगे। अगर नहीं भी हो पाती है तो 6 करोड़ के अन्दर ही रहते हैं, बीच में हमको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर मुस्तैदी और सख्ती के साथ ज्यादा पैसा वसूल कर पाते हैं तो उसको दूसरे डवलपमेंट के कामों में खर्च कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमेशा मेरी खुशकिस्मती रही है कि हमको हमेशा दस पर्सेन्ट का ज्यादा इन्क्रीज मिला है। बात यही है कि हम जो भी टैक्स लगायें उनकी वसूली में तत्परता बरतनी चाहिए। टैक्सों को लगाकर उनको अच्छी तरह से वसूल करना अच्छी बात है। कम टैक्स लगाकर भी उनको ज्यादा अच्छी तरह से वसूल कर सकते हैं तो अच्छा होगा। यही कारण है कि अधिकारियों में हमेशा यह बात बनी रही कि राजस्थान में हम चार पांच साल में सेल्स टैक्स वैरियेशन्स 141 पर्सेन्ट तक पैदा कर सके हैं और 76-77 तक मैं उम्मीद करता हूं कि यह 150 पर्सेन्ट तक हो जायेगी। इसलिए यह अच्छी चीज है कि एस्टीमेट कन्जर्वेटिव हों और वसूली में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बजट में अगर हमने जहां 60 करोड़ का एस्टीमेट रखा है तो अधिकारियों के सामने 70 करोड़ का टार्जेट है। इससे बजट की तरफ से भी सेफ रहता है नहीं तो ज्यादा फिगर्स न लें और कम आय हो तो विकास के कामों में कटौती करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा सेफ फिगर्स लेकर चलें जिससे नीचे नहीं जावें। अभी हमने जैसे मान लीजिये कि राजस्थान कैनाल के लिये 18 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर हमको भारत सरकार से सहायता मिल गई तो उसको हम साढ़े बाइस करोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स की कम वसूली होती है तो पहले ही साढ़े बाइस करोड़ करने में हमको दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा कन्जर्वेटिव एस्टीमेट रखकर चलें तो डवलपमेंट के कामों में ज्यादा खर्च किया जा सकता है।

इसी तरह से हमको लोन्स एन्ड एडवान्सेज को वसूल करने में भी तत्परता बरतनी चाहिए। अगर उनको हमने छोड़ दिया तो यह दुरसा के मुख की तरह है जो बढ़ता ही जायगा, जरा सा भी विचार कर लिया कि छोड़ देंगे तो सैकड़ों करोड़ से हजारों करोड़ तक पहुंच जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी हमेशा यह कोशिश रही है कि अल्प बचत योजना

(श्री चन्दनमल बैद)

के जरिये ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल कर सकें। यह एक ऐसा सोर्स है जिससे जनता से पैसा लेकर विकास के कामों में खर्च किया जा सकता है। यह विकास के कामों में खर्च करने का एक अच्छा साधन है। जितना पैसा हम अल्प बचत के साधनों से इकट्ठा कर पाते है उसका दो तिहाई हिस्सा हमको भारत सरकार से मिल जाता है, विकास के काम में खर्च करने के लिये। बहुत सी स्टेट्स ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और हम भी दे रहे हैं, जितना भी हम जनता से ज्यादा ले सकें इसके लिये उनको प्रेरित करना चाहिए। इससे हमको विकास के कामों में ज्यादा खर्च करने को पैसा मिलेगा। यही बातें वित्तीय प्रबन्ध के सिलसिले में याद रखें जो वित्तीय प्रबन्ध को सुधारने में सहायक सिद्ध होंगी।

मुझे पूरा भरोसा है इस बात का, राजस्थान में गट्स है, राजस्थान की भूमि से रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज और गट्स के आधार पर राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं और प्रगतिशील बना सकते हैं। एक बात हैं, वह बात है सिंचाई के बारे में, राजस्थान दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में रेगिस्तानी प्रदेश है, लेकिन फिर भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में अनाज पैदा करने में आत्म निर्भर है। और आत्म निर्भर ही नहीं, पूरा अनाज जब पैदा होता है तो दूसरे प्रदेशों को भेज सकते हैं। कौन नहीं जानता कि राजस्थान की मक्का मद्रास में जाती है और ठाठ से बिकती है। कौन नहीं जानता कि इस साल हम अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करेंगे। यह चीजें हैं जो राजस्थान को और प्रगतिशील बना सकती हैं। पिछले वर्षों में हमने बिजली और सिंचाई पर ज्यादा खर्च किया है, और उसका नतीजा भी मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के, माइन्स के हमारे पास में बहुत साधन है, जिनके द्वारा राजस्थान प्रगतिशील बन सकता है–इसमें दो राय नहीं है। केवल किसी चीज का ध्यान रखने की बात है तो वह यह है कि हम वित्तीय अनुशासन बनाये रखें, विकास कार्य हैं वह करें और जो अविकास के काम हैं उनको नियंत्रण में रख सकें, उनको कंट्रोल में रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों की कृपा रही कि उन्होंने बहुत कम आलोचना की है। मैं अन्दाज लगाता हूं कि आम तौर पर माननीय सदस्यों ने सारे बजट पर, सारी प्रक्रिया पर ज्यादा समय नहीं लिया है। इसलिए मैं उनको बोर नहीं करना चाहूंगा। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने, राजस्थान के कोने कोने से बहुत से लोगों ने मुझे कहा है और मेरे ध्यान में लाये हैं, वह यह है कि रेडीमेड क्लाथ की ओर मेरा ध्यान खींचा है, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, गरीब लोग रेडीमेड कपड़े सीने का काम करते हैं और व्यापार करते हैं, और बहुत से गरीब लोग, किसान भाई रेडीमेड कपड़े को उपयोग में लाते हैं, उन पर टैक्स का भार पड़े यह अच्छी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है कि मोडियम और कोर्स, सूती कपड़े से बने हुए रेडीमेड क्लाथ, जिनकी कीमत पन्द्रह रुपये से कम होगी, कर मुक्त होंगे। यही आप चाहते थे। दूसरे कपड़े

(श्री चन्दनमल बैद)

कर मुक्त नहीं रहेंगे। कोर्स, मीडियम सूती कपड़े से बने हुए पन्द्रह रुपये के नीचे के रेडीमेड कपड़े कर मुक्त होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस एप्रोप्रियेशन बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप मुझे सभी बात के लिए धन्यवाद देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1676 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 1976 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 2.23 बजे मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(81)

परिशिष्ट 1

(ला. प्र. सं. 450 के आदेशों की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(GR. A. V.)

No. F.9(19) Karmik(A-V)/74 Jaipur Dated the 10th Feb., 1975.

ORDER

In supersession of the Department of Personnel (A-II) Order No F.7(4)DOP (A-II)/73 dated the 3rd Oct., 1973, the Government of Rajasthan have been pleased to direct that:—

(1) The prescribed reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for appointment by promotion to each class/category/group of junior as well as senior posts under the State/Subordinate/Ministerial and Class IV Services in the State shall be 16% and 12% respectively and shall hereinafter apply to such posts in the respective Cadre of Service in which the element of direct recruitment, if and, does not exceed 50%, and which are filled up by promotion on the basis of:—

(i) Seniority-cum-merit,

(ii) Merit and Seniority-cum-merit,

(iii) Through Competitive Examinations,

limited to Departmental Candidates only.

(2) The procedure for the application of such reservation shall be as under :—

(i) The reservation in accordance with the prescribed percentage for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be calculated on the total vacancies determined each year by the concerned Authority Appointing for such category of posts in the respective Service to which promotions are made on the basis mentioned in para 1 above. In case 40 vacancies

(82)

are required to be filled in by promotion in any category of posts in a Service or Department, then out of the 40 posts only 11 posts (7 for SC and 5 for ST) shall be required to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. Accordingly, a roster to determine the number of vacancies to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of separately for each category of posts in cadre or Service, except for such class/category/group of posts in any Service to which promotion are always made by selection on the basis of merit alone, under the relevant Service Rules, shall be maintained by each Appointing Authority, in which points 1, 7, 14, 21, 28 & 35 and points 4, 12, 22, 30 & 39 should be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

(ii) Wherever according to the points in the roster there are any vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separate lists shall be drawn up of the eligible Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates, as the case may be falling within the zone of normal consideration for promotion and arranged in order of their *inter-se* seniority in the main list.

(iii) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates should be adjusted by the Departmental Promotion Committee, or by the Appointing Authority where there exist no such Committee, separately in regard to their promotion on the basis of Merit-Cum-Seniority.

(iv) When the lists of the selected person in the general category and those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been prepared by the Departmental Promotion Committee, these should be merged into a combined list in which the names of all the selected persons, general as well as those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are arranged in the order of their *interse* seniority in the original seniority list of the Category of grade from which the promotion is being made. The combined list of selected persons should there after be followed for making

promotions on vacancies as and when they arise during the year in accordance with roster in sub-paragraph (i) above. The list of selected persons thus prepared would normally be operative for a period of one year or till next meeting of Departmental Promotion Committee, whichever is earlier.

(v) In respect of the posts or class/category of posts in any Service for which the procedure for promotion on recommendations of a Departmental Promotion Committee has not been prescribed in the relevant Service Rules, the above procedure shall be observed by the concerned Appointing Authority.

(vi) If the number of eligible candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes found fit for promotion falls short of number of vacancies reserved for either of them during the year, the extent of such shortfall should be reported to the Department of Personnel alongwith the proposals, if any, for the de-reservation of vacancies in respect of which the shortfall has occurred. If on a scrutiny of the data furnished in this regard, any de-reservation is agreed to by the Department of Personnel, the vacancies so de-reserved may be filled up by another candidate included in the combined list of selected persons.

(vii) In the event of non-availability of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes being found eligible or fit for promotion by the Departmental Promotion Committee or the appointing Authority, as the case may be, the vacancies so reserved for them shall be filled in by appointing the next person in the combined list of selected persons and the equivalent number of additional vacancies shall be reserved for them to be filled in the subsequent year. If a sufficient number of suitable candidates belonging to the Scheduled Castes or scheduled Tribes is also not available in the next year, then such of the vacancies which remain so unfilled shall be carried forward for the subsequent year, but such carry forward should not

exceed three years in total and thereafter such reservation would lapse :

provided that there shall be no such carry forward of vacancies in posts or class/category/group of posts in any Cadre of Service to which promotions are to be made also by selection strictly on the basis of merit, under the relevant Service Rules,

(3) This reservation shall not apply to appointments made on "Ad-hoc" or 'Urgent Temporary' basis.

(4) The above instructions shall take effect from the date of issue of this order except where a select list, if any, for promotion has already been prepared by the Departmental Promotion Committee and approved by the appropriate Authority before the date of issue of this order.

By Order,
Sd/-
(V.B.L. Mathur)
Special Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(GR. A. V.)

No. F. 9 (19) DOP/A-V/74 Jaipur, dated 10th Feb., 1975.

ORDER

Subject:—Reservation for Scheduled Castes/Tribes in direct recruitment-change in percentage.

Government have revised the percentage of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointments to posts in Government Departments filled by direct recruitment to 16% for Scheduled Castes and 12% for Scheduled Tribes. Accordingly, the figures 17% and 11% mentioned in Appointments (A-V) Department order No. F. 7 (11) Apptts. (A-V)/70 dated the 15th Oct., 1971, shall be substituted by the figures 16% and 12% respectively and the figures 14% and 9% shown against item No. 1 against Rajasthan Police Service shall also be substituted by the figures 16% and 12% respectively. Instead of a 100 point rosters 40 points roster shall now be maintained for all services in which points 1, 7, 14, 21, 28 & 35 and points 4, 12, 22, 30 and 39, shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

By Order,
(Sd/- V.B.L. Mathur)
Specail Secretary to Government.

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं. 454 की सूची)

जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों के नाम जहां प्रमुख/उप प्रमुख तथा प्रधान के स्थान रिक्त हैं ।

प्रमुख
- टोंक
- डूंगरपुर
- उदयपुर
- जालोर

उप प्रमुख
- पाली
- अलवर
- जयपुर
- सिरोही
- सीकर
- उदयपुर
- चित्तौड़गढ़
- भरतपुर

प्रधान

1. आसीन्द
2. रायपुर
3. मांडल
4. श्री नगर
5. किशनगढ़
6. भिनाय
7. जवाजा
8. बानसूर
9. राजगढ़ (अलवर)
10. नीमराना
11. रैणी
12. मंडावर
13. चिड़ावा
14. अलसीसर
15. उदयपुरवाटी
16. करौली
17. नोखा
18. बीकानेर
19. नैनवा
20. बिलाड़ा
21. भोपालगढ़
22. बाफ
23. मंडोर
24. ओसियां
25. रतननगर
26. रतनगढ़
27. सुजानगढ़
28. डूंगरगढ़
29. खैरवाड़ा
30. आमेट
31. राजसमन्द
32. मावली
33. कुम्भलगढ़
34. गोगुन्दा
35. सलूम्बर
36. टोंक
37. टोडारायसिंह
38. चित्तौड़गढ़
39. भोपालसागर
40. गढ़ी
41. पीपलखूंट
42. सज्जनगढ़
43. पिड़ावा
44. मनोहरथाना
45. आसपुर
46. सिमलवाड़ा

Page No 87

(87)

47. डूंगरपुर
48. बारां
49. ढ़ाबा
50. चेचट
51. छिपाबड़ौद
52. सिरोही
53. शिवगंज
54. खारची
55. सोजत
56. गंगानगर (मिर्जेवाली)
57. नोहर
58. सादुलशहर
59. कोटपूतली
60. बस्सी
61. शाहपुरा
62. झोटवाड़ा
63. बैराठ
64. गोविन्दगढ़
65. डीडवाना
66. लाडनूं
67. मकराना
68. कुचामन
69. रियां
70. डेगाना
71. जायल
72. मूंडवा
73. सायला
74. फतेहपुर
75. भेद
76. श्री माधोपुर
77. खण्डेला
78. कुम्हेर
79. सेवर
80. बयाना
81. रूपवास
82. धौलपुर
83. बाड़ी

उप प्रधान सरपंच तथा उप सरपंच की जिलेवार रिक्त स्थानों की सूची

जिले का नाम	उप प्रधान	सरपंच	उप सरपंच
1. बाड़मेर	—	29	34
2. टोंक	—	21	18
3. भीलवाड़ा	2	44	27
4. चित्तौड़गढ़	2	38	16
5. सीकर	1	44	18
6. जैसलमेर	—	6	18
7. कोटा	—	32	27
8. उदयपुर	2	47	32
9. झुंझुनूं	1	27	18
10. सिरोही	—	18	13
11. गंगानगर	—	46	22
12. झालावाड़	—	19	8
13. भरतपुर	—	29	30
14. सवाईमाधोपुर	2	35	17
15. अजमेर	—	51	41
16. बीकानेर	—	22	22
17. पाली	1	42	11
18. बांसवाड़ा	—	17	8
19. बूंदी	—	13	18
20. नागौर	—	49	49
21. जोधपुर	1	33	24
22. डूंगरपुर	1	14	39
23. जालोर	—	23	21
24. चूरू	1	33	13
25. अलवर	—	34	55
26. जयपुर	1	91	45

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 223 की सूची)

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान का विवरण

क्र.सं.	1975 में आई बाढ़ से प्रभावित जिले	मकानों को हुई हानि आंशिक	मकानों को हुई हानि पूर्ण	मकानों को हुई हानि योग	मृतकों की संख्या	पशु हानि	सड़कों को हुई हानि	सड़कों को हुई हानि की लम्बाई की.मी.	सड़कों पर पुलियों को हुई हानि	लघु सिंचाई कार्यों की संख्या	पी.एच.ई. डी.के कार्यों को हुई क्षति	भूसंरक्षक कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अजमेर	2070	3022	5092	14	5732	100	157	35	121	1	1
2.	अलवर	2	18	20	6	—	14	35	7	14	—	—
3.	भरतपुर	2609	1548	4157	10	28	18	131	17	153	1	12
4.	बून्दी	69	25	94	—	12	5	87	—	11	—	—
5.	चूरू	942	1673	2615	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गंगानगर	14	19	33	—	—	—	—	—	8	—	—
7.	जोधपुर	—	400	400	—	—	—	—	—	1	—	—
8.	कोटा	684	774	1458	—	195	26	342	25	23	—	—
9.	नागौर	5344	3275	8619	15	358	25	392	32	39	[illegible]	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	सवाई माधोपुर	208	–	208	3	–	26	130	65	34	–	5
11.	सीकर	398	318	716	–	15	–	–	–	3	8	21
12.	टोंक	177	–	177	–	–	8	77	15	55	–	13
13.	जालोर	–	–	–	–	–	5	65	24	16	13	18
14.	बाड़मेर	–	–	–	–	–	10	188	52	5	–	–
15.	जयपुर	–	–	–	–	–	53	444	88	49	7	6
16.	बीकानेर	–	–	–	–	–	5	153	–	–	–	–
17.	झालावाड़	–	–	–	–	–	11	119	31	6	1	–
18.	उदयपुर	–	–	–	–	–	29	241	18	61	–	–
19.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	13	93	5	–	–	24
20.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–	20	108	84	36	–	–
21.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	22	276	102	67	–	–
22.	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	22	233	7	8	–	2
23.	झुन्झुनू	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
24.	पाली	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	2
25.	सिरोही	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	5
	योग :—	12517	11072	23589	48	6340	414	3271	588	749	40	113

Page No 91

(91)

2–50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध जिलेवार लिए गये कार्यों व स्वीकृत राशि का विवरण (राशि–लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	सिंचाई कार्य		सा. नि. विभाग के कार्य	
		कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)	कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)
1.	अजमेर	40	5.00	11	14.00
2.	अलवर	15	4.00	7	7.00
3.	बांसवाड़ा	11	2.00	2	2.00
4.	भरतपुर	30	11.00	21	49.00
5.	बून्दी	5	2.00	3	12.00
6.	चित्तौड़गढ़	–	–	8	9.00
7.	डूंगरपुर	9	1.00	1	1.00
8.	जयपुर	22	4.00	18	22.00
9.	जालौर	–	–	3	4.00
10.	झालावाड़	–	–	4	10.00
11.	जोधपुर	–	–	1	5.00
12.	कोटा	5	4.00	11	19.00
13.	नागौर	8	1.00	9	16.00
14.	पाली	6	2.00	4	11.00
15.	सवाई माधोपुर	16	7.00	11	9.00
16.	सिरोही	–	–	1	4.00
17.	टोंक	20	3.00	1	5.00
18.	उदयपुर	16	3.00	1	2.00
19.	सीकर	3	0.30	–	–
20.	झुन्झुनूं	1	0.30	–	–
		207	50.00	117	200.00

(92)

बाढ़ सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	कुल धनराशि जो आवंटित की गई
1.	अजमेर	18,75,000
2.	अलवर	27,848
3.	भरतपुर	2,80,000
4.	बून्दी	10,000
5.	चूरू	50,000
6.	जयपुर	40,000
7.	झालावाड़	10,000
8.	जोधपुर	32,950
9.	कोटा	2,50,000
10.	नागौर	7,95,000
11.	स. माधोपुर	43,905
12.	सीकर	25,000
13.	टोंक	10,000
14.	उदयपुर	967
15.	गंगानगर	1,650
16.	नावों का किराया आदि	3,865
17.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,00,000
18.	पशु पालन विभाग	30,000
	योग:–	35,86,185/–

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योगों में बिजली की चोरी के मामले

464. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एच. टी. वाले उद्योग धन्धों में बिजली चोरी होती है ? यदि हां, तो जनवरी, 1975 से जनवरी, 1976 में कौन कौन उद्योगों में चोरी हुई तथा कुल कितनी यूनिट चोरी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बोर्ड द्वारा चाहे गये समय में बिल अदा न करने पर कौन से एच. टी. उद्योग की बिजली सप्लाई काटी गई तथा कितने समय के लिये ? जनवरी, 1974 से जनवरी, 1976 को जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(3) क्या किसी एच. टी. उद्योग में बिजली खर्च का चुकारा बाकी है ? यदि हां, तो कितने समय से तथा किस कारण से ?

(4) क्या किसी एच. टी. उद्योग ने बिजली चुकारे को लेकर किसी न्यायालय की शरण ली है ? यदि हां, तो कितने समय से ?

(5) एच. टी. उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों को बिजली दरों में क्या बोर्ड का संशोधन करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) ऐसे उद्योगों का बिजली चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया।

(2) इस बारे में वांछित जानकारी सूची 'अ' में संलग्न है।

(3) जी हां। वांछित सूचना सूची 'ब' में संलग्न है।

(4) जी हां। वांछित सूचना उपरोक्त सूची 'ब' में दर्शायी गई है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये कार्यवाही

465. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने लोग भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं ?

(2) राज्य सरकार ऐसे लोगों के बेहतर जीवन के लिये क्या क्या साधन जुटा रही है ?

(3) राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) राज्य में भिक्षकों के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तर

(समाज कल्याण मंत्री)
पर कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। लेकिन सन् 1961 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य में 50,551 भिक्षुकों और आवारा व्यक्तियों की संख्या थी जिनमें से 35,443 पुरुष व 15,108 महिलायें थी। सन् 1971 की जनगणना के प्रोविजनल आंकड़ों के आधार पर भिक्षुकों व आवारा व्यक्तियों की संख्या 47,300 है।

(2) राज्य में भिक्षुकों के पुर्नवास हेतु जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में सेवा सदन चलाये जा रहे हैं। इन सदनों में भिक्षुकों के रहने, खाने, पीने, वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। जयपुर सेवा सदन में 50 अजमेर में 100 तथा उदयपुर में 50 भिक्षुकों के रहने की व्यवस्था है। जयपुर सेवा सदन के साथ एक स्वागत आश्रम है जहां पर भिक्षुकों का मानसिक, सामाजिक व आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। भिक्षुकों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर उनको विभिन्न उद्योग धन्धों तथा अन्य कार्यों पर लगाया जाता है। राजकीय सेवा सदन, अजमेर में भिक्षुकों के आर्थिक पुर्नवास के कार्यक्रम के अन्तर्गत भिक्षुकों के पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोला हुआ है। इस केन्द्र में लुहारी, सुथारी, बुनाई, बागवानी आदि आदि कार्य सिखाये जाते हैं।

राजकीय सेवा सदन, उदयपुर में खिलौना उद्योग संचालित किया गया है तथा राजकीय सेवा सदन, जयपुर में बढ़ई गिरी, साबुन उद्योग लाख उद्योग, केनिंग आदि उद्योग चलाये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान में भिक्षावृति रोकने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में सेवा सदन चलाये जा रहे हैं जिनमें भिक्षुकों के पुर्नवास हेतु विभिन्न उद्योग चलाये जा रहें हैं। भिक्षुकों की शारीरिक क्षमता, योग्यता तथा अभिरुचि के अनुसार उन्हें विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आर्थिक एवं सामाजिक पुर्नस्थापन किया जा सके। इसके अलावा क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति छोड़ने तथा समाज में भिक्षावृत्ति निरोध हेतु सामाजिक चेतना की दिशा में प्रयत्न किए जाते हैं।

भिक्षावृत्ति निरोध अधिनियम, 1976 अब राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम कुशालपुरा में हुई चोरियों के मामले

466. **श्री सुखलाल संणचा** (जैतारण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के रायपुर तहसील के ग्राम कुशालपुरा में 1972 से आज तक कितनी चोरियां व अन्य फौजदारी मुकदमें तथा काला बाजारी के मुकदमें हुए हैं? उनमें से कितने मुकदमें पुलिस थाना जैतारण में दर्ज किये? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह सही है कि जितने मुकदमें पुलिस थाना जैतारण में दर्ज किये गये हैं उसमें पुलिस की लापरवाही एवं पक्षपात के कारण कोई भी चोरी का मामला नहीं खुल सका? यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(श्री सुखलाल सेणचा)

(3) क्या राज्य सरकार स्थानीय पुलिस की असफलता को देखते हुये ग्राम कुशालपुरा के आज तक जितने मुकदमे दर्ज हुये हैं और जिनकी जांच अपूर्ण है उन सब मामलों की जांच किसी एक ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

(1) ग्राम कुशालपुरा में सन् 1972 से 20-3-1976 तक 17 चोरियों के 38 अन्य फौजदारी व 2 कालाबाजारी के मुकदमे दर्ज हुए।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान साहित्य अकादमी को अनुदान

467. श्री मनोहर लाल कोठारी (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना से 1975-76 तक कितनी राशि अनुदान व अनुपूरक अनुदान के रूप में राज्य सरकार ने दी है ?

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि पुस्तक प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन, विभिन्न साहित्यिक संस्थान-पत्रिकाओं को अनुदान, पुरस्कार व वृत्ति स्वरूप व्यय की गई ? तालिका सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या अकादमी ने आय के स्रोत का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कौन से और इनसे कितनी आय हुई ?

(4) क्या सरकार अकादमी की गतिविधियों और उपलब्धियों से संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी को राज्य सरकार से स्वायत्त होने के पश्चात् (जून, 63) से 74-75 तक 23,61,140-00 रु. तथा वर्तमान सत्र 75-76 में अभी तक 1,50,000-00 रु. अर्थात् कुल 25 लाख 11 हजार एक सौ चार रु. की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अकादमी के आय के स्रोत निम्न प्रकार हैं:—

1. सरकार से अनुदान,
2. प्रकाशन बिक्री,
3. पत्रिका शुल्क,
4. विज्ञापन,
5. बैंक के जमा राशि का ब्याज, विविध। राज्य सरकार के अनुदान के अतिरिक्त अकादमी को सत्र 74-75 तक 2,05,321-29 की आय हुई है।

(4) जी हां।

सूची 13

		रुपये
1.	पुस्तक प्रकाशन पर	2,96,832-64
2.	पत्रिका प्रकाशन पर	1,95,145-54
3.	संस्था अनुदान पर	1,53,522-12
4.	साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं को सहयोग पर	92,200-00
5.	साहित्यकारों को सहयोग (वृत्ति) पर	2,62,276-62
6.	पुरस्कार स्वरूप	42,500-00

Page No 96

(96)

ग्राम पंचायत हिण्डोली के सरपंच द्वारा पंचायत राशि का दुरुपयोग

464. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डोली): क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हिण्डोली के भूतपूर्व सरपंच श्री शिवराज सिंह ने अब तक कार्यवाहक सरपंच को पंचायत के कागजात नहीं सम्भलाए हैं ? यदि हां, तो शिथिलता का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि श्री शिवराज सिंह ने निलम्बन आदेश प्राप्त करने के बाद भी पंचायत राशि का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूतपूर्व सरपंच से कार्यवाहक सरपंच को चार्ज दिलवाने के लिये जिलाधीश बूंदी ने तहसीलदार हिण्डोली को नियमानुसार अधिकृत किया और उक्त अधिकारी ने बार बार प्रयत्न करने के पश्चात् भी असफल रहने पर ग्राम पंचायत का ताला तोड़कर उपलब्ध रिकार्ड, जो सन् 1970 के पूर्व का था, अपने कब्जे में लेकर उसे कार्यवाहक सरपंच को संभलवा दिया गया है उसके बाद का रिकार्ड संभलवाने के लिये कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई है और उसके अनुसार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नैनवा द्वारा सर्च वारन्ट प्राप्त किया जा चुका है अतएव कार्यवाहक सरपंच को चार्ज संभलवाने में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है।

(2) जी नहीं। निलम्बित आदेश जारी होने के पश्चात् भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत कोष से पूर्व में निकाली गई राशि को खर्च करने के लिये जो निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये गये थे उप सरपंच द्वारा उसकी शिकायत की जाने पर उन कार्यों को तुरन्त बन्द करवा दिया गया।

राज्य पथ परिवहन निगम के विरुद्ध मामले

469. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरुद्ध श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 एवं मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कितने मामले वर्ष 1975-76 में विभिन्न निरीक्षणों में सामने आये हैं एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बनाये गये निगमों में श्रम कानूनों की अवहेलना के कितने मामले वर्ष 1975-76 में श्रम विभाग के ध्यान में लाये गये एवं ऐसी अवहेलनाओं के मामलों में क्या क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

उत्तर

(1) प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के विरुद्ध कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, जयपुर व भरतपुर के समक्ष एक एक मामला दायर हुआ। जिनमें से क्षतिपूर्ति आयुक्त जयपुर के समक्ष मामला विचाराधीन है एवं

(श्री रामसिंह कुड़ी)
भरतपुर में निगम द्वारा मुआवजे की रकम जमा करा दी गई है जिसके वितरण की कार्यवाही जा रही है।

(2) केवल जयपुर में एक मामला मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा उल्लंघन किया जाना निरीक्षण के दौरान पाया गया जिसके बारे में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

निगम के खिलाफ बोनस भुगतान अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का जयपुर व उदयपुर में निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में चालान प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों ने स्वीकृति चाही है, जो कि राज्य सरकार के विचाधीन है।

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत उदयपुर में निरीक्षण के दौरान राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल व राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लि. उदयपुर द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करना पाया गया। इनमें से राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज एवं राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा अधिनियम की पालना कर ली गई है व अन्य दो ने पालना नहीं की है, जिसके लिए श्रम निरीक्षकों को इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं। अजमेर में अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बुकिंग आफिस का पंजीकरण न कराने के कारण मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अजमेर की अदालत में चालान दायर कर दिया गया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक समय कार्य को मजदूरी न देने के कारण जयपुर में हाऊसिंग बोर्ड के विरुद्ध 6 मामले दायर किये गये जिनमें सभी मामलों में निर्णय श्रमिकों के हक में दिये गये हैं। अजमेर में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरुद्ध 3 मामले दायर किये गये है जो कि अभी विचाराधीन है।

वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 143 मामले राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के विरुद्ध भरतपुर में दायर किये गये जिनमें से 130 में फैसले दिये जा चुके हैं। भरतपुर में ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के खिलाफ इस अधिनियम के अन्तर्गत 142 मामले दायर किये गये जिनमें से 53 में फैसले दिये गये हैं। अजमेर में 83 मामले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विरुद्ध दायर हुए, जिनमें से 56 में फैसले दे दिये गये हैं तथा 27 मामले अभी विचाराधीन हैं। निर्णय दिये गये मामलों में 38 मामले श्रमिकों के पक्ष में तथा 16 निगम के पक्ष में हुए एवं 2 मामले श्रमिकों ने वापस ले लिये। उदयपुर में राजस्थान विद्युत् मण्डल के विरुद्ध 19, राजस्थान पथ परिवहन निगम के विरुद्ध 13, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के विरुद्ध एक मामला दायर हुआ है, जिनमें से 5 मामलों में निर्णय दिये जा चुके हैं एवं शेष विचाराधीन है।

(98)

पुलिस थाना अटरू में दर्ज मामला

470. श्री रामचरण (अटरू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चडंना, तहसील अटरू, जिला कोटा में अनुसूचित जाति के बैरवा लोगों को कुछ जमीदारों ने मारपीट कर उनके मकानों में आगजनी कर ग्राम से निकाल दिया है ?

(2) क्या इस केस की बैरवा समाज ने पुलिस स्टेशन, अटरू में रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो किस समय किन तारीखों में और पुलिस ने जमीदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि 15–2–76 तक बैरवा समाज के व्यक्ति ग्राम बाहर बारां कस्बा में निवास कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 30–4–75 को केवल मारपीट की घटना हुई थी।

(2) इस घटना की दिनांक 30–4–75 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त दिनांक 9–7–75 व 10–7–75 को श्री जगन्नाथ बैरवा ने जान व माल की रक्षा के लिए रिपोर्ट की। इस पर जांच कर 12–7–75 को श्री रामकुमार मीना व रामप्रसाद को 107 सी. आर. पी. सी. के तहत गिरफ्तार किया गया और दिनांक 18–8–75 को 110 सी. आर. पी. सी. में गिरफ्तार किया। एस. डी. एम. छबड़ा द्वारा दोनों को एक साल तक नेक चलनी के लिए पाबन्द किया गया।

(3) जी नहीं।

डीडवाना क्षेत्र में कम वोल्टेज की शिकायतें

471. श्री भीमाराम चौधरी (नोहर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना तहसील में एल. टी. लाइनें बिजली विस्तार हेतु बिछाई हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी लम्बी, व कहां से कहां तक ?

(2) क्या यह सही है कि इन लाइनों पर वोल्टेज बराबर नहीं आता, जिससे कुओं से सिंचाई हेतु पानी नहीं निकाला जा सकता ?

(3) क्या इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार व बिजली बोर्ड को की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। डीडवाना तहसील में एल.टी. लाईन की लम्बाई करीब 290 किलोमीटर है।

(2) कुछ स्थानों पर जहां लाइनें लम्बी हैं उनके अन्तिम छोर पर स्थित उपभोक्ताओं को कभी कभी वोल्टेज बराबर नहीं मिलता।

(3) विभिन्न स्थानों पर लाईनों व ट्रांसफरमर्स की क्षमता बढ़ाकर प्रणाली में सुधार करने के यथा–सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

सीकर-नागौर मार्ग पर चलने वाली बसें

472. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर-नागौर रोडवेज की दिन भर में कितनी बसे चलती हैं ?

(2) यह बसें सीकर से नागौर पहुचने में कितने घंटे लेती है तथा रास्ते में किस किस स्थानों पर रुक कर सवारियां लेती हैं ?

(3) मकराना कस्बा इस राष्ट्रीयकृत मार्ग से कितने मील दूर है ?

(4) क्या मकराना की जनता ने व जन प्रतिनिधियों ने इसे राष्ट्रीयकृत मार्ग से जोडने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या राज्य सरकार मकराना की तीस हजार आबादी को इस आवागमन की सुविधा से महरूम रखना चाहती है ?

उत्तर

(1) निगम की दिन भर में 6 बसें आवागमन करती है एवं ये बसें अध्याय 4 में प्राइवेट बसों के साथ चलती हैं।

(2) 5 घन्टे लेती है। जिन जिन स्थानों पर ये बसें रुकती हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। प्रात: एक बस जो सीकर से जोधपुर जाती है वह सीकर से नागौर के बीच 4.30 घन्टे का समय लेती है।

(3) यह राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है इस मार्ग पर स्थित दौलतपुरा स्टेण्ड से मकराना को अलग से रास्ता जाता है जो इस स्थान से करीब 36 मील है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा भूमि का बेचान

473. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति सूरतगढ श्री बीरबल सिंह भादू और उसके परिवार के सदस्यों के नाम 1974 में नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा कुछ प्लाटों की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार सूरतगढ़ के यहां कराई गई ? यदि हां, तो कितने मूल्य में किस किस साइज के प्लाटों की तथा इसका बाजार भाव क्या था तथा बोर्ड को कितनी हानि हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जिस समय रजिस्ट्री कराई गई उस समय अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य कर रहा था ? क्या यह भी सही है कि रजिस्ट्री केवल खाली प्लाटों की कराई गई थी जब कि उन प्लाटों पर दो तीन वर्ष पूर्व ही लाखों की बिलडिंग खडी थी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जुम्मेवार है ?

(3) क्या यह सही है कि नया अध्यक्ष बनते ही तत्काल उसने सब रजिस्ट्रार को इस संबंध में सूचित किया ? यदि हां, तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इस संबंध मे क्या कार्यवाही की गई और इस प्रकार की रजिस्ट्री से राज्य सरकार को कस्टम ड्यूटी के राजस्व की कितनी हानि हुई ?

उत्तर

(1) श्री बीरेन्द्रसिंह एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री बीरबल सिंह के नाम नगरपालिका सूरतगढ़ ने दो भू-खण्डों की रजिस्ट्री 1974 में कराई थी । 6) रु. प्रतिवर्ग गज के हिसाब से 48'×60' एवं भू-खण्ड संख्या 119 (बी) की रजिस्ट्री कराई गई। बाजार भाव और बोर्ड को हानि होने के बारे में जांच के पश्चात् ही कहा जा सकता है।

(2) जी हां। प्लाट पर कुछ तामीर कार्य पहले कराया गया था तथा कुछ तामीर कार्य रजिस्ट्री होने के बाद में हुआ है। इसमें जिम्मेदारी किस व्यक्ति की थी यह जांच के पश्चात् ही मालूम पड़ सकता है।

(3) इस प्रश्न से संबंधित सभी विषय जांच के विषय हैं और इसमें जांच के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है।

डूंगरपुर जिले में वर्ष हत्या के मामले

474. श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डूंगरपुर जिले में गत 5 वर्षों में कितनी हत्याएं व मानव वध सम्बन्धी मामले पुलिस स्टेशनों पर दर्ज हुए हैं ? कृपया, गांवों, मृतकों आदि के नाम विस्तार से बतावें ? इन मामलों में किन किन व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. डूंगरपुर जिले में गत 5 वर्षों मे 41 हत्याएं व मानव वध सम्बन्धी मुकदमें दर्ज हुए। तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा सूची में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चौबीसा क्षेत्र का विद्युतिकरण

475. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन तहसील के अन्तर्गत चौबीसा क्षेत्र का विद्युतिकरण के लिये बिजली विभाग द्वारा सर्वे कराया गया ? अगर हां, तो कब और इस में अब तक क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या हिण्डौन में बने 132 के.वी. पावर स्टेशन से चौबीसा क्षेत्र को जोड़ने की कोई योजना है ? अगर हां, तो योजना कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे 1975 वर्ष में की गई है। तकनीकी दृष्टि से साध्य योजना का प्रारुप तैयार किया जा रहा है।

(2) जी हां। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा योजना स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

वृद्धावस्था पेन्शन के अन्तर्गत मिलने वाली राशि

476. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(1) राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियम, 1964 के अन्तर्गत आज तक प्रति वर्ष राज्य भर में कुल कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ? जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार की राय में इस भयंकर महंगाई के युग में वृद्धावस्था पेन्शन में मिलने वाली राशि अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जयपुर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सीकर जिले की पंचायतों में सरप्लस कर्मचारी

477. श्री नारायण सिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले की किस किस पंचायत समितियों में कितने कितने कर्मचारी कितने समय से सरप्लस हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद् ने विभाग को इस सम्बन्ध में कई बार लिखा है ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

(3) सीकर जिले में कितने ग्राम सेवक ट्रेन्ड शुदा कितने समय से बेकार बैठे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(2) जी नहीं। केवल एक बार जिला परिषद् सीकर ने उनके पत्र दिनांक 14-9-75 द्वारा दो सरप्लस ग्राम सेवकों के समायोजन हेतु लिखा है तथा दिनांक 17-11-75 को विभाग द्वारा मांगने पर उनका सेवा विवरण भेजा है। पर्याप्त सूचना तथा स्थाई रिक्त पदों के अभाव में इनका समायोजन नहीं किया जा सका है। अब निकट भविष्य में अतिरिक्त पद स्वीकृत होने पर समायोजन शीघ्र किया जावेगा।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सीकर जिले की पंचायत समितियों में सरप्लस कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पंचायत समिति का नाम जहां से सरप्लस घोषित किये गये	अवधि जब से सरप्लस हैं
1.	श्री मोहनसिंह	ग्राम सेवक	फतहपुर	अगस्त, 75
2.	श्री नन्दलाल	ग्राम सेवक	धोंद	अगस्त, 75
3.	श्री सम्पत कुमार	पशुधन सहायक	फतहपुर	1-1-76 से प्रशासन में कटौती के फलस्वरूप।
4.	श्री भंवरलाल	,,	प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।	
5.	श्री नेमीचन्द	कनिष्ठ लिपिक	श्री माधोपुर	मार्च, 76

सीकर जिले के ट्रेन्ड शुदा ग्राम सेवकों की सूची

1. श्री मालीराम पुत्र श्री सालगराम विज्ञापन संख्या 36(1969) द्वारा सीकर जिले के लिये चयनित।

पिछड़ा जिला भीलवाड़ा

478. श्री नारायण सिंह मसूदा (मसूदा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिला कब से पिछड़ा जिला माना गया है और ऐसा मानने के तब क्या मापदण्ड थे?

(2) उसी समय अजमेर जिले की समानान्तर क्या आर्थिक स्थिति माने हुये मापदंड के आधार पर है?

(3) तब से आज तक भीलवाड़ा जिले में चहुमुखी क्या प्रगति हुई और फलस्वरूप अब क्या आर्थिक स्थिति माने हुए मापदंड के आधार पर है?

(4) नं. 3 की भूमिका में अजमेर की क्या आर्थिक स्थिति है?

(5) क्या उपरोक्त दोनों जिलों की तुलना में केवल भीलवाड़ा ही पिछड़ा जिला माना जाना चाहिए?

(6) पिछड़े जिले भीलवाड़ा में कितने पूंजीपतियों को रियायती तरीके से व्यवसायों की अनुमति मिली?

(7) पूंजीपतियों को रियायत देना क्या समाजवादी नीति का अंग है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिला, भारत सरकार। योजना आयोग द्वारा दिनांक 2–12–70 को पिछड़ा जिला घोषित किया गया था। निर्धारित आधारों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) औद्योगिक दृष्टि से भीलवाड़ा में हुई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है:–

लघु उद्योगों की संख्या 1970 में 191 थी जो 1975 में 906 हो गई है। गत पांच वर्षों में भीलवाड़ा में राजस्थान स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा व मसूदा सिन्थेटिक्स मिल, गुलाबपुरा की स्थापना हुई है तथा मेवाड टेक्सटाईल मिल लि. व राजस्थान स्पिनिंग व वीविंग मिल लि. ने अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। अजमेर फिर भी उसी श्रेणी में नहीं आता है।

(4) उपरोक्त आधारों पर भारत सरकार ने भीलवाड़ा को ही पिछड़ा जिला माना है, अजमेर को नहीं।

(5) भीलवाड़ा जिले में पूंजीपतियों को रियायती तरीकों से व्यवसायों की कोई अनुमति नहीं गई दी।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

Criteria for declaring Industrially Backward Districts.

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of food-grains/cash crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (Gross)

(iv) Number of factory employees per lakh of population of alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population of railway mileage in relation to population.

नीम का थाना सब-डिवीजन में बांधों पर कार्य

479. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नीम का थाना सब डिवीजन में कौन-कौन से बांधों पर कार्य चल रहा है तथा किन किन बांधों पर कितनी कितनी धन-राशि व्यय की जा रही है तथा ये कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे ?

उत्तर

नीम का थाना सब डिवीजन में दो बांध श्यामपुर बिहार व रायपुर जागीर पर निर्माण कार्य चल रहा है। इन बांधों पर क्रमशः रु. 5.12 लाख व रु. 1.32 लाख की धन राशि व्यय की जा चुकी है। रायपुर जागीर बांध इस वित्त वर्ष 1975-76 में पूर्ण हो जावेगा व श्यामपुर बिहार बांध 1976–77 तक पूर्ण हो जावेगा।

जालौर जिले में ऋण का वितरण

480. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में गरीब काश्तकार व उद्योग धन्धे वालों को सरकार द्वारा किस किस को कितना ऋण वितरण किया गया ? क्षेत्र वाइज नाम, जाति, ग्राम सहित बताने की कृपा करें।

(2) जिले में ऋण के लिये अभी कितने लोगों की मांग है ?

(3) इस वर्ष जालौर जिले में सरकार द्वारा कितना ऋण वितरण करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जांच का प्रश्न पैदा नहीं होता।

पुलिस लाइन में सिपाहियों को बेचे गये लाटरी के टिकिट

481. **श्री रणजीत सिंह (ओसियां) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस लाइन में जवानों को जबरन लाटरी के टिकिट बेचे गये ?

(2) क्या यह सही है कि 58 वां ड्रा की लाटरी जो 11-2-76 को ही खुल गई उसके टिकिट मार्च में बांटे गये और मार्च में वेतन का चुकारा करते समय उनके वेतन से लाटरी के पैसे काटे गये ?

(3) क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायथल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

482. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायथल (आमेर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह कितने वर्षों से इस विद्यालय में पदस्थापित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम, प्रधानाध्यापक के खिलाफ वहां की जनता ने भ्रष्टाचारों की शिकायत निरीक्षक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को एक आवेदनपत्र द्वारा कर उसके स्थानान्तरण की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया तथा सरकार उसका कब तक स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। 7 वर्षों से।

(2) जी हां। शिकायत पर जांच कारवाई गई। शिकायत निराधार पाई गई।

अधिशासी अभियन्ता टोंक के विरुद्ध शिकायत

483. **श्री चतरभुज (टोडारायसिंह)** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल टोंक के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध श्री दुर्गालाल साइकिल मर्चेन्ट नाम के उपभोक्ता ने न्यायालय टोंक में रिश्वत मांगने एवं रिश्वत न देने पर

(श्री चतरभुज)
कनेक्शन काटने संबंधित एक शपथ-पत्र पेश किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ता पर मंडल की राशि बाकी होते हुए उसी मकान में 2 नये कनेक्शन उसके रिश्तेदार के नाम से गत दीपावली के आस-पास दिये गये थे और क्या इस संबंध में कोई शिकायतें विद्युत मंडल एवं विद्युत मंत्री को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो विद्युत मण्डल द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और क्या कोई जांच की गई ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहायक अभियन्ता, टोंक के विरुद्ध एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(2) जी हां। एक घरेलू उपयोग का कनेक्शन माह नवम्बर, 75 को दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच की गई है और जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

नगर विकास न्यास गंगानगर

484. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गंगानगर शहर में नगर विकास न्यास (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) कब कायम किया गया और इसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(2) उक्त न्यास की अब तक कितनी बैठकें हुई और कितनी कच्ची बस्तियों को नियमित (रेगुलराइज) किया ? शेष बस्तियों को नियमित करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) गंगानगर में नगर विकास न्यास की स्थापना 15 जनवरी, 1973 में हुई है। इस न्यास के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

(1)	जिलाधीश	चेयरमैन
(2)	उप-नगर नियोजक, बीकानेर	सदस्य
(3)	अधिशासी अभियन्ता, (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	,,
(4)	अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग	,,
(5)	अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत मण्डल	,,
(6)	अध्यक्ष/प्रशासक, नगर परिषद्	,,
(7)	श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा	,,

(2) अब तक इस न्यास की 6 बैठकें हुई हैं। अब तक एक शास्त्री बस्ती को नियमित किया जा चुका है। शेष कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा इनको सरकारी निर्देशों के अन्तर्गत योजनाबद्ध तरीके से बसाने का प्रस्ताव है।

करौली उप जिले में अध्यापकों के रिक्त स्थान

485. श्री बृजेन्द्र पाल (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

करौली उप जिले में कितनी माध्यमिक शालाओं में कितने अध्यापकों के स्थान

(श्री बृजेन्द्र पाल)

रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

करौली उप जिले की 9 माध्यमिक शालाओं में एक एक द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

सूची

(1) मा. वि. आलोर
(2) मा. वि. कुंरमाल
(3) मा. वि. मिजपुरा
(4) मा. वि. मडायल
(5) उ. मा. वि. करौली
(6) उ. मा. वि. गंगापुर
(7) उ. मा. वि. खंडार
(8) मा. वि. बरनाला
(9) मा. वि. मलाना चौड़

भूतपूर्व थानेदार रायपुर के विरुद्ध शिकायत

486. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री गोरीशंकर भूतपूर्व थानेदार रायपुर तहसील पिड़ावा के खिलाफ 200/- रुपये रिश्वत लेने की शिकायत चावली गांव के किसी व्यक्ति ने सतर्कता समिति झालावाड़ में एक वर्ष पूर्व की थी और शिकायत करने वाले ने सबूत भी पेश कर दिया है ? अगर हां, तो इस थानेदार के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जांच सतर्कता समिति द्वारा की जा रही है।

अजमेर जिले में पब्लिक नोटेरी की नियुक्ति

487. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले के लिये जो तीन नोटेरी पब्लिक का कोटा निश्चित किया गया था उसमें एक स्थान ब्यावर नगर के लिये भी रखा गया था ? यदि हां, तो अब तक वहां नोटेरी पब्लिक क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

(2) क्या कुछ वर्ष पहले जिला कलेक्टर ने ब्यावर उपखण्ड अधिकारी की मार्फत नोटेरी पब्लिक के लिये ब्यावर के वकीलों से आवेदन-पत्र मांगे थे तथा आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही कर ब्यावर में नोटेरी पब्लिक क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

(3) क्या प्रगतिशील अभिभावक मंच, ब्यावर ने राज्य सरकार एवं जिलाधीश को गत वर्ष ब्यावर के औद्योगिक व शैक्षणिक महत्व तथा मजदूरों व छात्रों आदि की परेशानी को दूर करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र ब्यावर में नोटेरी पब्लिक नियुक्त किये जाने बाबत पत्र लिखे थे और ऐसे ही पत्र ब्यावर की अन्य संस्थाओं ने भी प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई, और अब ब्यावर में कब तक नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति निश्चित रूप से कर देगी ?

(विधि मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर जिले के लिये तीन नोटेरी पब्लिक नियुक्त थे, उनमें से एक स्थान ब्यावर नगर के लिये नहीं रखा गया था। ब्यावर नगर के लिये 3 नोटेरी पब्लिक के अलावा एक अलग नोटेरी पब्लिक नियुक्त करने का निश्चय राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे वे नोटेरी रूल्स, 1956 के नियम 4 के अनुसार सही नहीं पाये गये, अतः नोटेरी पब्लिक ब्यावर शहर के लिये नियुक्त नहीं किया जा सका।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर ने ब्यावर उपखण्ड के अधिकारियों की मार्फत नोटेरी पब्लिक के लिये ब्यावर के वकीलों के प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे थे लेकिन वे आवेदन-पत्र नोटेरी रूल्स, 1956 के नियम 4 के अनुसार सही नहीं पाये गये अतः उन पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने नोटेरी पब्लिक की संख्या तीस निश्चित कर दी और नोटेरी पब्लिक राजस्थान में नियुक्त किये जा चुके थे अतः ब्यावर नगर में नोटेरी पब्लिक नियुक्त नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। ब्यावर में 13-8-75 को प्रगतिशील अभिभावक फोरम की ओर से नोटेरी पब्लिक नियुक्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र मिला था, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिये 13-5-74 को नोटेरी पब्लिक की संख्या 30 निर्धारित की गई है, जिन पर सभी नियुक्त हैं। अतः नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति ब्यावर में संभव नहीं हो सकी। भारत सरकार से प्रत्येक जिले में और राज्य में नोटेरी पब्लिक की संख्या बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है। अंतिम निर्णय आने पर ब्यावर में नोटेरी पब्लिक अन्य स्थानों के साथ नियुक्त करना सम्भव होगा।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची)

चतुर्थ योजना काल तक जयपुर जिले में पूर्ण की गई लघु एवं मध्यम योजनाओं की सूची

प्रथम योजना

1. झिलमिली बांध व नहर
2. माधो सागर नहर
3. करन सागर
4. परबत सागर
5. हनुमान सागर
6. ताज सरोवर
7. विजय सागर लाम्बीया
8. गोबिन्द सागर
9. किशन सागर
10. केरिया सागर
11. बनाकिया सागर
12. विजय सागर
13. छापरवाड़ा
14. भंडारी

द्वितीय योजना

1. मदन सरोवर
2. गज सागर
3. छीतोली
4. बुचारा बांध एवं नहर
5. राहुवास

तृतीय योजना

1. झिलमिली केनाल
2. कालाखो केनाल

चतुर्थ योजना

1. कालाखो बांध
2. ढूंढ

मध्यम योजना

1. मोरेल

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 237 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the district wise number of localities Electrified during last 4 years i.e. 71-72 to 74-75 in the State of Rajasthan

S.No.	Name of the District	YEARS 71-72	72-73	73-74	74-75
1.	Ajmer	22	11	31	35
2.	Alwar	35	62	140	58
3.	Banswara	27	12	30	51
4.	Barmer	14	—	—	—
5.	Bharatpur	30	78	82	16
6.	Bhilwara	104	68	52	7
7.	Bikaner	4	7	3	5
8.	Bundi	11	20	6	1
9.	Chittorgarh	91	67	31	76
10.	Churu	4	21	6	—
11.	Dungarpur	45	5	8	18
12.	Jaipur	102	96	129	66
13.	Jaisalmer	—	—	—	—
14.	Jalore	25	25	3	2
15.	Jhunjhunu	63	19	20	24
16.	Jhalawar	54	3	21	26
17.	Jodhpur	49	18	3	—
18.	Kota	80	52	17	17
19.	Nagaur	47	62	46	3
20.	Pali	32	81	9	18
21.	Sawaimadhopur	21	49	46	25
22.	Sikar	42	29	8	28
23.	Sirohi	8	1	1	—
24.	Sriganganagar	55	31	86	22
25.	Tonk	14	83	23	29
26.	Udaipur	122	89	77	21
	Total	1101	889	878	548

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न सं. 238 की सूची)

माह फरवरी, 1976 तक जिलेवार विद्युतिकृत ग्रामों के विद्युतिकरण की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है

क्र. सं.	जिले का नाम	जिले में कुल ग्राम (1971 की जनगणना के अनुसार)	माह फरवरी 76 तक विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतिकरण का प्रतिशत
1.	अजमेर	962	271	28.17
2.	अलवर	1873	560	29.89
3.	बांसवाड़ा	1441	214	14.85
4.	बाड़मेर	839	47	5.60
5.	भरतपुर	1877	379	20.19
6.	भीलवाड़ा	1512	386	25.52
7.	बीकानेर	546	78	14.28
8.	बून्दी	733	88	12.00
9.	चित्तौड़गढ़	2130	449	21.07
10.	चूरू	861	140	16.08
11.	डूंगरगढ़	827	133	16.08
12.	जयपुर	2694	890	33.03
13.	जैसलमेर	434	3	0.56
14.	जालोर	597	114	19.09
15.	झुंझुनूं	705	289	40.99
16.	झालावाड़	1446	288	19.91
17.	जोधपुर	706	172	24.36
18.	कोटा	1911	311	16.27
19.	नागोर	1224	295	24.10
20.	पाली	830	241	29.03
21.	सवाई माधोपुर	1537	266	17.30
22.	सीकर	817	231	28.27
23.	सिरोही	428	68	15.88
24.	श्री गंगानगर	2398	362	15.09
25.	टोंक	1012	187	18.47
26.	उदयपुर	3122	541	17.32
	योग	33462	7003	20.93

Page No 111

(111)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची)

जिलेवार योजना मद में सिंचाई कार्यों पर व्यय की सूची 1970—71 से 1975—76

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	70—71	71—72	72—73	73—74	74—75
1.	अजमेर	2.48	5.36	5.75	3.94	6.02
2.	अलवर	10.59	2.12	4.78	5.80	6.00
3.	बांसवाड़ा	27.01	23.28	41.40	65.68	250.42
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—
5.	भरतपुर	90.61	52.91	24.94	15.01	30.04
6.	बीकानेर	476.00	563.00	517.72	661.66	762.37
7.	बूंदी	32.70	27.98	17.49	14.52	72.27
8.	चित्तौड़गढ़	19.09	22.73	9.53	6.21	13.16
9.	चूरू	—	—	—	—	—
10.	डूंगरपुर	3.45	4.17	0.87	0.43	—
11.	गंगानगर	1547.53	829.59	1073.89	1153.34	1547.06
12.	जयपुर	5.30	8.40	6.64	12.63	8.96
13.	जैसलमेर	—	—	—	—	—
14.	जालोर	—	—	—	—	—
15.	झालावाड़	8.68	13.81	3.40	11.44	—
16.	भीलवाड़ा	64.69	75.62	50.75	44.49	86.68
17.	झुंझुनूं	0.78	1.14	0.10	0.30	1.07
18.	जोधपुर	—	—	—	—	—
19.	कोटा	56.21	33.25	45.60	43.54	131.63
20.	नागौर	—	0.68	3.88	0.71	1.71
21.	पाली	39.42	36.88	33.27	37.26	68.46
22.	सवाई माधोपुर	4.84	8.18	3.58	2.60	7.80
23.	सीकर	0.66	0.17	0.08	0.31	3.01
34.	सिरोही	1.13	2.30	3.80	3.58	7.83
25.	टोंक	1.57	2.69	0.98	1.08	0.75
26.	उदयपुर	62.45	76.02	52.25	39.32	95.31
27.	सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन	68.93	42.86	24.00	27.98	38.73
	योग	2524.19	2843.14	1926.72	2071.80	3137.65

Page No 112

(112)

जयपुर जिले में प्रस्तावित सिंचाई कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	सिंचाई एकड़ों में
1	2	3	4
1.	गोकुलपुरा	फागी	400
2.	महेशरा	दौसा	229
3.	बनेडी	कोटपूतली	1412
4.	सेपुरा	लालसोट	111
5.	चन्देरा	सिकराय	46
6.	तेलीघाट	बसवा	50
7.	सीकर घाटा	शाहपुरा	171
8.	केरली घासीपुरा	बैराठ	31
9.	दूबली	बस्सी	–
10.	छोटा मंडूसरा	दौसा	370
11.	छोट पारली	ज. रामगढ़	सर्वे कार्य चालू है।
12.	खरसा	बैराठ	सर्वे कार्य चालू है।
13.	राजपुरा	बैराठ	96
14.	धूलकोट	बैराठ	373
15.	लुहकना	बैराठ	100
16.	भावढ	बैराठ	158
17.	रघुनाथपुरा	बैराठ	59
18.	धाईखेडी	कोटपूतली	57
19.	छापरा	बैराठ	168
20.	रामपुरा मालिया	कोटपूतली	92
21.	झांझी	बैराठ	500
22.	बडगाव	कोटपूतली	303
23.	बढ़ीमोरी	बैराठ	116
24.	सूरजमल की ढाणी	कोटपूतली	सर्वे कार्य करना है।

1	2	3	4
25.	दांतिल	कोटपूतली	सर्वे कार्य हो चुका है।
26.	टोरडा	कोटपूतली	सर्वे कार्य करना है।
27.	शुक्लावास	कोटपूतली	223 सर्वे कार्य करना है।
28.	खारवाली	कोटपूतली	360 सर्वे कार्य करना है।
29.	बागावास	बैराठ	6 सर्वे कार्य करना है।
30.	देवीपुरा	शाहपुरा	200 सर्वे कार्य करना है।
31.	खेजडी	चाकसू	220
32.	पवर्दो	बैराठ	120
33.	कानोता	जयपुर	20 [illegible]0

इसके अतिरिक्त रामगढ़ बांध जिसका पानी केवल जयपुर शहर को पेयजल हेतु सुरक्षित है, से यदि सिंचाई के निमित्त पूरा पानी प्राप्त हो तो लगभग 20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है।

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न स. 243 की सूची)

Statement showing the details of the Govt. Servants who have been occupying Cottage Wards from March, 74 to date.

S.No.	Room No.	Name of Occupant	Period From	Period To
1	2	3	4	5
1.	3	Dr. K.L. Jhalani, Ex-Dy. Superintendent, SMS	9-6-74	23-7-74
2.	3	Mrs. B.D. Harsh, wife of B D.Harsh, Dy.Labour Comm.	13-5-74	till date.
3.	5	Krishna Kumari, wife of Sh. Roop Singh Asstt. Comdt. RAC	13-6-74	14-9-74
4.	5	Miss Krishan Rai, D/o G.N. Rao, Dy. C.M.H.O. Pratap Garh.	8-2-75	18-4-75
5.	5	Miss Bhawar Lal	1-9-75	11-10-75
6.	5	Dr. B.S. Mathur, Rtd. Dy. C.M.H.O.	8-1-76	11-3-76
7.	6	Mrs. N.D. Mathur, Dy. Supdt. S.M.S. Hospital, Jaipur	5-6-74	18-8-74
8.	6	Mrs. Keshav Devi W/o P.R. Sharma, Collector	26-2-76	till now
9.	7	Mrs. Krishan Puri, Ex-Chief Secretary, Govt. of Rajasthan	25-7-76	8-10-75
10.	8	Mrs. K.P. Jain, Examiner, Local Fund Audit Deptt.	13-5-74	17-6-74
11.	8	Mrs. Veena Mishra, W/o K.K. Mishra C.A.S.	12-9-74	19-11-74

1	2	3	4	5
12.	8	Mr. Nandan Bhargawa	10-5-75	17-8-75
13.	8	Mrs. Rajvi Roopsingh, Rtd. Justice	23-2-76	till now.
14.	9	Shrimati Kesar Devi, W/o Prahlad Rai, I.A.S.	16-4-74	16-5-75
15.	9	Miss Madhok D/o Brijendra Singh, Director of Local Services Deptt., Jaipur	16-5-74	13-6-74
16.	9	Mrs. M.L. Kakkar, Collector, Dungarpur	1-2-76	9-3-76
17.	10	Mrs. Bhagwati Patel, W/o Hira Lal Patel, Rtd. Dy. Director, Animal Husbandry	19-9-74	1-10-74
18.	10	Dr. J.S. Mathur, Reader in S.M.S. Medical College	2-10-74	6-12-74
19.	10	Mrs. Kunj Bihari Lal, Rtd. Dy. S.P.	27-12-74	23-5-75
20.	10	Mrs. Radhey Kant, Dy. Comm. Devasthan.	29-6-75	11-10-75
21.	10	Dr. B.S. Mathur, Rtd. Dy. C.M.H.O. (Fp)	6-11-75	13-12-75
22.	11	Miss Arti, D/o A.A.O., Town Planning	27-12-74	1-4-75
23.	11	Mrs. Pritam Sing, W/o Dr. Pritam Singh, Dy.D.M.H.S	5-11-75	6-12-75
24.	11	Shri S.L Agarwal, Rtd. RHJS	1-11-74	14-12-74
25.	12	Shri Gajraj Singh Dy. Secretary.	16-12-74	19-2-75
26.	12	Shri Gajraj Sing, Dy. Secretary.	16-12-75	16-3-76

1	2	3	4	5
27.	13	Shri S. L. Agarwal, Rtd. Session Judje.	29-3-74	12-5-74
27.(b)	13	Dr.P.K Sinha, CAS, Govt. Hospital, Shahpur.	17-6-75	23-8-75
28.	13	Miss H.D.Bhargawa, C.M.	1-3-76	10-3-76
29.	13	Shri Umrao Singh, Excise Officer, Bharatpur.	30-11-75	25-1-76
30.	14	Virendra Singh, Agriculture Asstt. D.A.M. Project	16-3-74	7-4-74
31.	14	Mrs. S. Gumawat, Dy. Secretary, Rajasthan.	24-3-74	7-7-74
32.	14	Miss Arti D/o A.A.O. Town Planning.	6-5-75	23-7-75
33.	15	Versha Sharma	16-7-75	24-8-75
34.	16	Chand Beharilal Mathur	10-5-75	27-8-75
35.	16	Mrs Shyam Devi W/o Ram Sahai Sawal, Dy. Secretary Rajasthan.	18-1-76	12-3-76
36.	17	Mrs Hari Har Lal, Inspector of Schools.	26-9-74	18-10-74
37.	17	Mrs. Savita W/o Dr. B.B. Gupta, CAS, Medical & Health.	10-2-75	20-3-75
38.	17	Mrs. Shanti Devi	5-4-75	28-4-75
39.	17	Mrs. R.D. Sharma	12-9-75	31-10-75
40.	18	Sh. S.J.B. Mathur, Professor Maharaja College, Jaipur	24-8-74	11-9-74
41.	18	Sh. Adarsh Kumar	24-9-74	15-5-75
42.	18	Rukma	7-8-75	9-9-75
43.	18	Sh. D.N. Purohit, Rtd. IPS.	13-1-76	8-2-76

1	2	3	4	5
44.	20	Mr. K. D. Pareek, Section Officer, F.D.	24-4-74	25-6-74
45.	20	Vimla Sexena.	11-6-75	9-8-75
46.	20	Dr. K. L. Jhalani, Ex. Dy. Superintendent., SMS Hospital	10-8-75	21-8-75
47.	21	Sh. V.P. Bhatia, Ex. Engineer, Irrigation Deptt.	1-5-74	22-5-74
48.	21	Shanti Uma Devi, w/o Nerendra Singh, B. D. O.	7-6-74	8-10-74
49.	21	Mrs. Roop Rani	3-5-75	23-5-75
50.	21	Mrs. Kusum Devi w/o Shyam Sunder, Rtd. Co-operative Ins.	22-10-75	21-11-75
51.	21	Mrs. T. P. Joshi RAS, Settlement Officer	14-12-75	17-1-76
52.	21	Mrs. Shashi Jain w/o Jinandra Kumar, IAO.	20-2-76	till now
53.	22	Sh. ChampaLal, Rtd. AC. FD.	12-3-74	10-4-74
54.	22	Mrs. Girja Devi w/o N. C. Bhatnagar, IAS Food Commn.	16-5-74	16-6-74
55.	22	Som Rani Bhargawa w/o Raja Ram Bhargawa	31-8-74	30-12-74
56.	22	Shrimati Kamla Devi w/o Shri Narain Rtd., Head Master.	1-1-75	2-2-75
57.	22	Chameli	27-5-75	5-7-75
58.	22	Mrs. Acharaj Devi w/o Natwar Lal, CTO Taxes Deptt.	3-10-75	12-11-75
59.	23	Dr. M. C. Sinha, CAS M. & H. Deptt.	13-6-74	5-6-74

1	2	3	4	5
60.	23	Mr. Pradeep, Supdt. Eng. PHED.	12-10-74	17-11-74
61.	24	Mr. S. L. Agarwal, Rtd SE. Judge.	2-9-74	16-8-74
62.	24	Mr. Shankar Lal, Rtd. Stock Verifier.	15-1-75	18-9-75
63.	24	Mr. P. P. Singhal.	24-4-75	12-9-75
64.	24	Dr. Harchan Singh, CAS. M&H. Deptt.	10-11-75	till now
65.	25	Mrs. K. D. Khan, Statistical Astt.	18-8-74	29-9-74
66.	26	Dr. Garg, CAS, M&H.	19-11-74	24-12-74
67.	26	Mrs. S. Mathur, mother of Dr. R. D. Bunni, Tutor, SMS Medical College.	24-12-74	23-5-75
68.	26	Dr. Sheela Rani Mathur, CAS, M&H. Rajasthan	11-7-75	20-8-75
69.	26	Mrs. Pushpa Mathur w/o Dr. S.S. Mathur, Dy. CMHO. (FP)	23-12-75	14-2-76
70.	27	Mr. M. L. Mathur, Central Govt. Salt Deptt, Jaipur.	30-3-74	20-4-74
71.	27	Shri Prem Pratap Singh, AEN Mica Project, Jaipur.	23-11-74	8-2-75
72.	27	Dr.D.G Sharma Vet. Deptt.	7-5-75	2-8-75
73.	27	Mr. G. L. Sharma, JEN, PWD. Deptt., Rajasthan	27-1-76	25-3-76
74.	28	Mr. Daya Nand, Section Officer Government Secretariat.	24-4-74	31-5-74

1	2	3	4	5
75.	28(A)	Shri M. B. Saxena	17-10.74	31-10-74
76.	28(B)	Mrs. M. B. Saxena	17-10-74	31-10-74
77.	28	Mr. M. C. Verma, Assembly Dy. Secretay.	14-1-75	16-5-75
78.	28	Mrs. Hem Saria, w/o R. M., Khmssiraya Judge of Cooperative Tribunal.	28-1-76	till now
79.	30	Mr. K. B. Lal, father of Ramesh Behari Lal Bhardwaj, Instructor Cooperative Deptt.	11-10-75	10-12-75
80.	33	Shri Harish Chandra Sharma, Dy. Director, Employment.	30-7-76	13-9-75

(120)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 246 शि. म. सूची)

छात्र प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवंटित पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम कार्यालय	आवंटित च.श्रे.क.
1.	जि.शि.ज. (छात्र) अजमेर	96
2.	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, ब्यावर	20
3.	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर	1
4.	जिला शिक्षा अधिकारी, करौली	3
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक	5
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर–प्रथम	12
7.	जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर द्वितीय	10
8.	जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर	14
9.	जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर	8
10.	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर	3
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	10
12.	जिला शिक्षा अधिकारी, झुँझुनूं	6
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र), बीकानेर	17
14.	जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू	23
15.	जिला शिक्षा अधिकारी, गंगानगर	20
16.	जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर	18
17.	जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर	1
18.	जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	8
19.	जिला शिक्षा अधिकारी, पाली	16
20.	जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर	2
21.	जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही	7
22.	जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर	2
23.	जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर	8
24.	वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी राजसमन्द	4
25.	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	8
26.	जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़	11
27.	जिला शिक्षा अधिकारी, बाँसवाड़ा	7

1	2
28. जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर	10
29. जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी	9
30. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) कोटा	48
31. जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़	5
योग:–	412

छात्रा प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवंटित पदों का ब्योरा

क्र.सं.	नाम कार्यालय	आवंटित च.श्रे.क.
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर	31
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), बीकानेर	15
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), कोटा	13
4.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर, (छात्रा)	18
5.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), चित्तोड़	10
6.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), गंगानगर	14
7.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जयपुर	30
8.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), सीकर	5
9.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), भरतपुर	19
10.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), सवाई माधोपुर	4
11.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), जोधपुर	44
12.	उपजिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), पाली	9
13.	उपजिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़	2
	योग:–	214

Page No 122

(122)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उदयपुर

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 28 का बिन्दु संख्या 3 के अनुसार पंचायत समितियों की उप विद्यालयों की सूची जिसमें 200 से ऊपर छात्र पढ़ते हैं:—

क्र.स. 1	पंचायत समिति का नाम 2	विद्यालय का नाम 3	छात्र संख्या 4
1.	पं. स. केलवाड़ा	प्रा. वि. रीछेड़	235
2.	,, ,,	,, केलवाड़ा	349
3.	,, ,,	,, चारभुजा	281
4.	,, देवगढ	,, निरस्त	
5.	,, भीम	,, भीम	459
6.	,, राजसमन्द	,, निरस्त	
7.	,, खेरवाड़ा	,, घलवड़ी	240
8.	,, ,,	,, खाण्डी चोबरी	239
9.	,, ,,	,, छाणी	292
10.	,, ,,	,, मभाभ बेव	402
11.	,, ,,	,, करावाडा	235
12.	,, कोटड़ा	,, कोटड़ा	266
13.	,, आमेट	,, निरस्त	
14.	,, गोगुन्दा	,, गोगुन्दा	324
15.	,, ,,	,, कमोल	222
16.	,, ,,	,, साधरा	245
17.	,, सराड़ा	,, बावन्ड	331
18.	,, ,,	,, झाडोल	271
19.	,, ,,	,, सेमारी	391
20.	,, भीण्डर	,, वल्लभनगर	308
21.	,, ,,	,, खेरोदा	277
22.	,, ,,	,, कानोड़	226
23.	,, ,,	,, मेनार	216
24.	,, गिर्वा	,, कुडावड़	322
25.	,, ,,	,, बम्बोरा	374
26.	,, खमनोर	,, कोठारिया	265
27.	,, ,,	,, खमनोर	216
28.	,, मावली	,, मावली मं.	314

1	2		3	4
29.	पं. स.	मावली	प्रा. वि. धारा	216
30.	,,	रेलमगरा	,, रेलमगरा (I)	233
31.	,,	,,	,, ,, (II)	233
32.	,,	,,	,, मदारा	100
33.	,,	,,	,, धनेरिया	230
34.	,,	,,	,, गिलूण्ड	254
35.	,,	झाडोल	,, निरल	
36.	,,	धरियावद	,, धिरल	
37.	,,	बडगांव	,, देलवाडा	211
38.	,,	सलुम्बर	,, गोगला	200 से अधिक

———

(124)

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं. 247 की सूची)

सूची – "क"

आपात कालीन स्थिति के बाद जिन समाचार पत्रों को विज्ञापनों की मान्य सूची से निरस्त किया गया उनकी सूची।

साप्ताहिक :

1.	रतनकला, जयपुर	14–7–75
2.	जय पराजय, जयपुर	"
3.	राजस्थान लीडर, जयपुर	"
4.	बीकाणा सन्देश, बीकानेर	"
5.	न्यायतंत्र रतनगढ़	"
6.	यातायात टाइम्स, जयपुर	"
7.	पुकार, उदयपुर	"
8.	जलते दीप, जोधपुर	"
9.	युग चरण, जयपुर	"
10.	हमारा वतन, जयपुर	"
11.	सोशलिस्ट समाचार, कोटा	"
12.	घुमक्कड़, जयपुर	"
13.	रेल्वे मैन अजमेर	"
14.	हिन्दू संदेश, जोधपुर	"
15.	मरुदीप, बीकानेर	"
16.	चिन्मय किरण, जयपुर	"
17.	दकाल, बूंदी	"
18.	बेधड़क आवाज, जयपुर	"
19.	कन्ट्रोल, जोधपुर	"
20.	आवाज, जयपुर/भरतपुर	"
21.	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर	"
22.	जाग्रति, कोटा	"
23.	युवक, चुरू	"
24.	जयपुर एक्सप्रेस, जयपुर	"
25.	राजगढ़ पत्रिका, सादुलपुर	"
26.	आजाद सन्देश, जयपुर	"
27.	पहला राजस्थान, जयपुर	"

28.	वर्तमान, बीकानेर	14-7-75
29.	लाल निशान, भरतपुर	"
30.	हिन्दवासी (सिन्धी), अजमेर	"
31.	जय मेवाड़, चित्तौड़गढ़	"
32	राजस्थान न्यूज, जयपुर	"
33.	राज न्यूज, जयपुर	"
34.	हिन्दू भूमि, अजमेर	"
35.	युग द्रष्टा, उदयपुर	"
36.	दो अक्टूबर, भीलवाड़ा	"
37.	धोलपुर गजट, धोलपुर	"
38.	जनपथ, फलोदी	"
39.	वीर सैनिक, भरतपुर	"
40.	एकात्मक, कोटा	"
41.	गोड़वाड़, टाईम्स, रानी	"
42.	प्रजायुग, जयपुर	"
43.	क्रान्तिगढ़, भरतपुर	"
44.	खबरनवीश, जयपुर	"
45.	यंगलीडर, जयपुर	"
46.	डिक्टेटर, ब्यावर	"
47.	झंझावत, भीलवाड़ा	"
48.	निराला राजस्थान, हिन्डौन	"
49.	जनबल, जयपुर	"
50.	उदयपुर वीकली, उदयपुर	"
51.	अणु विक्षक, बीकानेर	"
52.	झुंझुनूं समाचार, झुंझुनूं	"
53.	हमारी मातृभूमि, उदयपुर	"
54.	सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	"
55.	चम्बल, कोटा	"
56.	कूक, जयपुर	"
57.	बारह खम्भा, रूपावास	"
58.	राष्ट्रवाणी, अजमेर	"
59.	धरती करे पुकार, कोटा	"
60.	वीर जनता, भरतपुर	"
61.	भारतजन, सूरतगढ़	"
62.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	"

63.	राजलोक, जयपुर	14-7-75
64.	यादगार, जयपुर	,,
65.	चित्तौड़गढ़ संदेश, चित्तौड़गढ़	,,
66.	राजस्थान, जयपुर/उदयपुर	,,
67.	सरलसंदेश, श्री गंगानगर	,,
68.	चहक, जयपुर	,,
69.	चिट्ठी, नवलगढ़	,,
70.	शेखावाटी प्रवासी, जयपुर	,,
71.	आवेड़ो, जोधपुर	,,
72.	चौरासी खम्भा, कामां	,,
73.	सरदार शहर टाइम्स, सरदार शहर	,,
74.	विश्वमान, जयपुर	,,
75.	मरुधरा, सीकर	,,
76.	ग्रामवाणी, हिण्डोन	,,
77.	तीखातीर, जयपुर	,,
78.	कर्मज्योति, जयपुर (पाक्षिक)	,,
79.	भभक, अजमेर	,,
	पाक्षिक	
80.	महाप्राण, चिड़ावा	,,
81.	बशारत, जयपुर,	,,
82.	ग्रामीण, कोटा	,,
83	कामधेनू, बीकानेर	,,
84.	तरुण देश, भीलवाड़ा	,,
85.	जंगजू, चितौड़गढ़	,,
86.	अोलमों, रतनगढ़	,,
87.	जागृत जनमत, बीकानेर	,,
88.	नवयत्न, जयपुर	,,
89.	चुरू एक्सप्रेस, चुरू	,,
90.	बूंदी संदेश, बूंदी	,,
91.	हलकारा, सादड़ी	,,
92.	श्रमशक्ति, जयपुर	,,
93.	कोलाहल साप्ताहिक, उदयपुर	16-10-75 को निरस्त किये गये।
94.	भारत भूमि दैनिक, अजमेर	,,
95.	उदयपुर एक्सप्रेस दैनिक, उदयपुर	,,
96.	मजदूर ललकार, मारवाड़ मूंडवा	,,

97.	मरुवारी मासिक, जयपुर	16-10-75
98.	अग्रदूत मासिक, जयपुर	,,
99.	राजस्थान स्वायत्त शासन मासिक, जयपुर	,,
100.	जी.एन.पी. मासिक, जयपुर	,,
101.	संघशक्ति मासिक, जयपुर	,,
102.	चेतन प्रहरी मासिक, बाड़मेर	,,
103.	नारी संदेश मासिक, कोटा	,,
104.	क्रीड़ांचल मासिक, बीकानेर	,,
105.	हैलो न्यू. मासिक, बीकानेर	,,
106.	नवज्योति हेरल्ड, दै. जयपुर	,,
107.	नवयुग संदेश सा., भरतपुर	,,
108.	चोपड़ा साप्ताहिक, बाड़मेर	30-10-75 से निरस्त किये गये।
109.	लोक शिक्षक पाक्षिक, जयपुर	,,
110.	ग्रामराज साप्ताहिक, जयपुर	,,
111.	बाड़मेर टाइम्स साप्ताहिक, बाड़मेर	,,
112.	मरुमेथन साप्ताहिक, बाड़मेर	,,
113.	ललकार साप्ताहिक, चित्तौड़गढ़	,,
114.	नवजीवन साप्ताहिक, उदयपुर	17-1-76 से निरस्त किये गये।
115.	राजस्थान क्रानिकल दैनिक, जयपुर	20-3-76 से निरस्त किये गये।

सूची 'ख'

आपातकालीन स्थिति के बाद जिन समाचार पत्रों की श्रेणी में परिवर्तन किया गया उनकी सूची

1. कूक, दैनिक, जयपुर	19–7–75 6–1–76	सी श्रेणी ए श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत किया गया था।
2. राजस्थान केहरी, सा. जयपुर	28–12–73 11–3–76	सी. श्रेणी बी. श्रेणी	पत्र के स्तर पाठ्य सामग्री गेट अप आदि में वृद्धि होने के कारण श्रेणी क्रमोन्नत की गई।
3. पूर्वोदय सा. जयपुर	22-5–73 6–8–74 3–1–76	ए श्रेणी बी श्रेणी ए श्रेणी	पत्र को पेज आल्ट्रेशन के कारण 6-8-74 को बी श्रेणी में कर दिया था। इसके बाद पत्र के स्तर में वृद्धि किये जाने के कारण पुनः 'ए' में क्रमोन्नत कर दिया गया।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न स. 129 म. ता. की सूची (129) स्थगित 22-3-76

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19/म. मं. की सूची

क्र. सं.	नाम उद्योग	आवंटित कच्चा माल	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	उत्पादित वस्तु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मैसर्स साधू इण्डस्ट्रीज	जी.आर.बी.पी.	3270 कि.ग्रा.	—	—	5036 कि.ग्रा.	4006 कि.ग्रा.	चांवल मिल,
		बी. पी. शीट	—	—	1994 कि.ग्रा.	2004 ,,		आटा मिल व
		बी.आर.वी.बी.	—	—	1004 ,,	—		एमरी पत्थर
		एंगल्स	—	—	2009 ,,	2995 ,,		व चक्कियां
		प्लेट्स	—	—	1000 ,,		10400 ,,	
		राउण्ड्स	—	—	2032 ,,		[illegible]	
		बी.सी. सीट	—	—			1005 ,,	
		पिग आइरन	—	—			23000 ,,	
2.	,, बाबू इन्जि-नियरिंग वर्क्स	एंगल्स	—	3250 कि.ग्रा.	3769 ,,	5000 कि.ग्रा.	—	बी.एस. वीटर व
		बी.सी. शीट	—	1015 ,,	3990 ,,	6547 ,,	—	पुर्जे, खनिज पदार्थ
		राउण्ड्स	—	1010 ,,	2032 ,,	—	—	पीसने के स्वचालित
		प्लेट्स	—	20150 ,,	5436 ,,	—	—	मशीनें, जिब क्रेनस्

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		बी.पी. शीट	—	—	1004 कि. ग्रा.	—	—	अमर मिल नमक
		बी.आर.बी.पी.	—	—	8011 ,,	—	—	पिसाई रोलिंग मिल
		जोईस्ट व	—	—	3213 ,,	25130 कि.ग्रा.	—	
		चेतका	—	—	—	3029 ,,	—	
3.	मैसर्स साबू आइ-रन फाउण्ड्री	पिग आइरन	—	—	—	—	26000 कि.ग्रा.	लोहे की ढली वस्तुएं
4.	मैसर्स एसोसियेट एमरी	कोई माल नहीं उठाया	—	—	—	—	—	एगरी प्रेस आफ मेरियल प्रेस
5.	मैसर्स पूरण मिन-रल इन्ड.	कोई माल नहीं दिया गया	—	—	—	—	—	स्पिनिंग
6.	मैसर्स एमरी स्टोन	कोई माल नहीं दिया गया	—	—	—	—	—	एगरी प्रेस